



सतर्कता संदेश Satarkta Sandesh

अंक / Issue No. 23

अक्टूबर / October, 2021



सत्यनिष्ठा
से
आत्मनिर्भरता

पूर्व मध्य रेल

East Central Railway

पारदर्शिता हेतु सतत प्रयासरत एवं कटिबद्ध



Saluting the
Iron Man and the
Pioneer of National Integration

Sardar Vallabhbhai Patel

on his birth anniversary.

31st Oct, 1875 - 15th Dec, 1950



“सतर्कता जागरूकता सप्ताह”

सरदार वल्लभभाई पटेल

**के जन्मदिवस के अवसर पर
मनाया जाता है।**



पूर्व मध्य रेल

East Central Railway



सत्यमेव जयते

सतर्कता संदेश

Satarkta Sandesh





अनुपम शर्मा
महाप्रबंधक
Anupam Sharma
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



संदेश

मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर “सतर्कता संदेश” का 23वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम है “स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता” जो वर्तमान में राष्ट्र की आवश्यकता को सही ढंग से प्रतिबिम्बित करता है। भारतीय रेल कर्मियों की चारित्रिक सत्यनिष्ठा भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। सतर्कता जागरूकता के प्रसार से रेल कर्मियों को अपनी आत्मनिष्ठा के प्रति ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी।

किसी भी क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार लालच की एक अंतहीन मनोदशा है। इसका कोई अन्त नहीं है। हम सब अपने आप में एक सतर्कता कर्मी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी कार्यों का निष्पादन पूरी आत्मनिष्ठा, वस्तुपरकता, ईमानदारी और पारदर्शिता से करें। हमारे द्वारा उठाया गया यह कदम भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाने की दिशा में गति प्रदान करेगा।

मुझे खुशी है कि इस “सतर्कता संदेश” का ई-बुलेटिन पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि बड़ी संख्या में कर्मचारीगण इस बुकलेट में प्रकाशित केस अध्ययन, लेखों, प्रणाली सुधार पत्रों और अन्य सामग्रियों से शिक्षित होंगे। इससे उनकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा जो लंबे समय तक संगठन को लाभ पहुँचाएगा।


(अनुपम शर्मा)
महाप्रबंधक





अनुपम शर्मा
महाप्रबंधक
Anupam Sharma
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



MESSAGE

It gives me great pleasure to know that Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out 23rd issue of **“Satarkta Sandesh”** on the occasion of Vigilance Awareness Week starting from 26th October to 1st November, 2021. The theme of Vigilance Awareness Week during the current year is **“Independent India @75: Self Reliance with Integrity”**. This rightly reflects the need of the nation at this stage. Integrity of character of officials in Indian Railway will help India to become a self-reliant nation. Spreading Vigilance Awareness will help Railway Officials to focus towards their integrity.

Corrupt practices, in any area, are one of the major hindrances in our Hon'ble Prime Minister Sri Narendra Modi's goal to make India self-reliant. Corruption is an endless greed of mind. There is no end to it. We all are vigilance officials in ourselves. We have to ensure that all works are executed with complete integrity, objectivity, honesty and transparency. This only will catapult India in the league of self-reliant nations.

I am happy that e-bulletin of this “Satarkta Sandesh” is also being made available on the website of East Central Railway. I anticipate mass of employees will get educated through case studies, articles, system improvement letters and other matters of this booklet. This will raise their level of competence and confidence which will benefit the organization in the long run.

(Anupam Sharma)
General Manager



रमेश कुमार झा
प्रमुख कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)
एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी



भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN,
RAISINA ROAD, NEW DELHI-110001



संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान सतर्कता बुलेटिन “सतर्कता संदेश” का 23वां अंक प्रकाशित कर रहा है। मुझे हर्ष है कि इस वर्ष अर्थात् भारत के 75वें स्वतंत्रता वर्ष पर रेलवे “स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता” के थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सरकारी कर्मचारियों समेत नागरिकों की ईमानदारी हमारे महान राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक मंत्र है।

“सतर्कता संदेश” के इस बुलेटिन में प्रकाशित अतिशय समीक्षात्मक मामले, गलत कार्यों से बचाने की दिशा में एक महती भूमिका निभाते हैं। यह सामान्य रूप से रेलकर्मियों को शिक्षित करता है कि कैसे उन्हें इस तरह की स्थितियों में कार्य करना चाहिए ताकि वे कोई गलती ना कर सकें। इस बुलेटिन का उद्देश्य नियमों और प्रक्रियाओं को सही ढंग से पालन करते हुए पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार, निःस्वार्थ और सतर्क तरीके से कार्य करने की आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है।

मैं पूर्व मध्य रेल के सतर्कता संगठन को इस “सतर्कता संदेश” को प्रकाशित करने में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे सच में अति प्रसन्नता है कि इस बुलेटिन का एक डिजिटल संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है जो रेलकर्मचारियों के लिए कहीं भी, कभी भी बस एक क्लिक की दूरी पर होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस बुलेटिन को सही ढंग से अपनाने से पूर्व मध्य रेल के कर्मियों में निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

(रमेश कुमार झा)

प्रमुख कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)



Ramesh Kumar Jha
Principal Exec. Director (Vig.)
&
Chief Vigilance Officer



भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
राज्यसीमा रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN,
RAISINA ROAD, NEW DELHI-110001



MESSAGE

I am pleased to know that Vigilance Organisation, East Central Railway, is bringing out 23rd issue of Vigilance Bulletin, **“Satarkta Sandesh”**, during 'Vigilance Awareness Week- 2021'. I am glad to know that this year i.e. on the year of India's 75th independence, Railway is observing Vigilance Awareness Week on the theme of **“Independent India @75: Self Reliance with Integrity”**. Integrity of citizens including Government employees is a mantra to achieve self-reliance for our great nation.

This bulletin, “Satarkta Sandesh” plays a great role by providing gist of plethora of critical cases and situations of wrong doings. It educates Railway Officials in general as to how they should act in similar situations so that they do not commit any mistake. The purpose of the bulletin is to create awareness amongst the employees about the need to perform in a transparent, objective, honest, selfless and vigilant manner following rules and procedures correctly.

I congratulate the Vigilance Organisation of East Central Railway for their sincere efforts in bringing out this “Satarkta Sandesh”. I am really very happy that they are also bringing out a digital version of this bulletin which will be just a click away anytime anywhere for Railways Employees. I have firm belief that the decision making capability of Railway Officials of East Central Railway will enhance many fold if they go through the bulletin in true earnest.

(Ramesh Kumar Jha)
Principal Exec. Director (Vig.)





सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager



सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



प्राक्कथन

भ्रष्ट आचरण जनता के विश्वास को नुकसान पहुँचाते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर संगठन की छवि को धूमिल करते हैं। इसका प्रभाव इतना कठोर होता है कि बिना सत्यनिष्ठा के कोई भी संगठन नियत समय में धराशायी हो जाता है। अनैतिक और कपटी तरीके अपनाने वाले राष्ट्रों का भी यही हाल है। इसलिए, इस वर्ष 26 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 01 नवम्बर तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए थीम **“स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** है।

इस गरिमामय अवसर पर **“सतर्कता संदेश”** का 23वाँ अंक एक स्वच्छ, पारदर्शी तथा आत्मविश्वास के साथ कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। **“सतर्कता संदेश”** में प्रकाशित लेख, केस अध्ययन तथा प्रणाली सुधार पत्र पूर्व मध्य रेल के विभिन्न कर्मियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका रेलकर्मियों के लिए उनके रोजमर्रा के कार्यों में अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

यदि **“सतर्कता संदेश”** की सामग्री पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो हमारा उद्देश्य सार्थक होगा और संगठन को लाभ पहुँचेगा। हम पाठकों के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं।

(सुजीत कुमार मिश्रा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक





सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



FOREWORD

Corrupt practices damage the trust of public and tarnish the image of organization both on national and international platforms. The impact is so harsh that an organization without integrity collapses in due course. The same is the fate of nations adopting unscrupulous and dishonest means. Therefore, this year the theme given for Vigilance Awareness Week starting from 26th October to 1st November is **“Independent India @75: Self Reliance with Integrity”**.

The 23rd issue of **“Satarkta Sandesh”** is being brought out on this august occasion with an objective to ensure clean, transparent and confident working. The articles, case studies and system improvements letters in the “Satarkta Sandesh” are based on the experiences gained by different officials working in East Central Railway. Thus, we hope it will be very useful and handy for Railway Officials in their day to day working.

Our objective would be achieved if the contents of the “Satarkta Sandesh” are useful to the readers, which in turn will benefit the organization. We welcome constructive suggestions from the readers.

(Sujit Kumar Mishra)
Sr. Dy. General Manager



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- * जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- * ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- * सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- * जनहित में कार्य करूँगा;
- * अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- * भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।



विषय सूची / INDEX

क्र.सं.	पृष्ठ सं.
1. भारत आत्मनिर्भरता की ओर	02
✍ सुजीत कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पूमरे	
2. विभागीय चयन में बरती जाने वाली सावधानियाँ	06
✍ आलोक अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक, पूमरे / समस्तीपुर	
3. भ्रष्टाचार पर अंकुश का चाणक्य मार्ग	10
✍ सलील कुमार झा, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक / पूमरे	
4. सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता	20
✍ सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य कार्मिक अधिकारी / आईआर / पूमरे	
5. सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता	22
✍ पी. के. सिन्हा, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक / आरडब्ल्यूपी / बेला	
6. ईमानदारी एवं आत्मनिर्भरता	24
✍ शिवानी, उप मुकाधि / राज. / पूमरे	
7. उभरते भारत की आवश्यकता : सत्यनिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता	28
✍ उदयाचल कुमार, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / मंडार / पूमरे	
8. भ्रष्टाचार के कारण	31
✍ विकास कुमार, तकनीकी सहायक / वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पूमरे	
9. क्या करें और क्या ना करें (Do's & Dont's)	
कार्य अनुबंध (Works Contract)	32
चयन (Selections)	42
मंडार संबंधित मामले (Stores Matters)	44
यातायात (Traffic)	50
ईआईएमडब्ल्यूबी का रखरखाव (Upkeepment of EIMWB)	52
10. केस अध्ययन (Case Study)	
यातायात (Traffic)	56
लेखा एवं कार्मिक (Accounts & Personnel)	68
अभियंत्रण (Engineering)	72
मंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा (Stores, Medical & Security)	78
सकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक (S&T, Elect. & Mech.)	82
11. प्रणाली सुधार पत्र (System Improvement Letters)	84
12. कविता (अनेकता में एकता) — ✍ महादेव कुमार मंडल, मुस्तानि / मंडार	128

भारत आत्मनिर्भरता की ओर

✍ सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

‘बहुत—से लोग, विशेष कर अज्ञानी लोग, आपको सच बोलने के लिए, सही होने के लिए, आपके स्वयं होने के लिए दंडित करना चाहते हैं। सही होने के लिए या अपने समय से वर्षों आगे होने के लिए कभी भी माफी न माँगें। अगर आप सही हैं और आप इसे जानते हैं, तो अपने मन की बात कहें। भले ही, आप अत्यंत में हों, फिर भी सच, सच है।’

— महात्मा गाँधी

ऐसे समय में जब दुनिया एक घातक महामारी से जूझ रही है, भारत इस संकट को एक अवसर में बदलने और **आत्मनिर्भर** बनकर अपनी लड़ाई को मजबूत करने की योजना बना रहा है। यह शब्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान दिया था। उन्होंने इस अभियान को **आत्मनिर्भर भारत अभियान** का नाम दिया एवं आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभों को परिभाषित भी किया।

अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था लानी होगी जो इंफ्रीमेंटल बदलाव न लाए बल्कि क्वाण्टम छलांग की ओर ले जाए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर — हमें एक ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके।

तंत्र — एक ऐसा तंत्र जो पिछली शताब्दी के मानदण्डों का पालन करने वाली नहीं बल्कि हमारे 21वीं सदी के सपनों को साकार करनेवाली तथा प्रौद्योगिकी संचालित भी हो।

कम्पमान जनसांख्यिकी — यह हमारी ताकत है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के हमारे सपने को पूरा करने की ऊर्जा प्रदान करता है।

मांग — “मांग—आपूर्ति” शृंखला हमारी शक्ति है। हमें इसकी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए।

राष्ट्रीय पहचान पहाड़ों, झीलों, नदियों या ब्लॉकों, जिलों तथा राज्यों द्वारा नहीं बनता है बल्कि किसी राष्ट्र की पहचान उसकी सुदृढ़ जनसांख्यिक चरित्रता से परिलक्षित होती है। ‘सत्यनिष्ठा’ शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हो। उसका नैतिक चरित्र सबल हो और वो दिल से ईमानदार हो। उसके निर्णय स्वार्थ रहित, निष्पक्ष और पारदर्शी हो और किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में मुक्त हो। उसे

ARTICLE

INDIA TOWARDS SELF RELIANCE

 **Sujit Kumar Mishra**
Sr. Dy. General Manager

“Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.”

– Mahatma Gandhi

At a time when the world is suffering from a deadly pandemic, India plans to convert this crisis into an opportunity and strengthen its fight by becoming **Aatma Nirbhar or self-reliant**. The term was coined by Hon’ble Prime Minister of India Sri Narendra Modi during his address to the nation on May 12, 2020. He called this campaign as **Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan (Self-Reliant India Movement)**. He also defined five pillars of Aatma Nirbhar Bharat:-

Economy: We have to bring in an economy that doesn’t bring incremental changes but leads to quantum jump.

Infrastructure: We need an infrastructure which can become the identity of modern India.

System: A system that doesn’t follow norms of the previous century. It should be able to fulfill our 21st century dreams and should be technology driven.

Vibrant Demography: It is our strength. It is the source of energy for our dream to make India self-reliant.

Demand: The demand-supply chain is our power. We should use it to its full potential.

National identity is not made of mountains, lakes and rivers or blocks, districts and states. A nation’s identity is reflected by the soundness of the character of its population. The word ‘**Integrity**’ means a man who adheres to ethical principles of life. He is of sound moral character and honest to the core. His decision should be selfless, objective and transparent and must not be influenced by any person

भयमुक्त होकर एवं बिना किसी पक्षपात या दबाव के संगठन और राष्ट्र के हित में निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए।

यदि हम अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सही रूप में निष्ठावान रहेंगे तभी हम पर विश्वास और भरोसा किया जाएगा। सत्यनिष्ठा से संगठन तथा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि हमारी निष्ठा हमारे सभी कार्यों और निर्णयों में अक्षुण्ण रहती है तो हमारे आस-पास के लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। यह सर्वविदित है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला इत्यादि जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों की सफलता के पीछे उनकी सत्यनिष्ठा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्य के कड़ाई से पालन और निःस्वार्थ सेवा से इन व्यक्तित्वों ने उच्चतम स्तर का सम्मान प्राप्त किया और दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बने। इनके द्वारा लिए गए निर्णय जनसामान्य की बेहतरी के लिए जाने जाते रहे हैं अतः पीढ़ी-दर-पीढ़ी सभी आँख बंद करके इनका अनुसरण करने लगे हैं। वास्तव में, ये हमारे काफी प्रतिष्ठित 'ब्राण्डेड व्यक्तित्व' हैं और लोग इनके विचारों का अनुकरण बेझिझक होकर करते हैं।

यही तथ्य 'ब्राण्डेड उत्पाद' के संदर्भ में भी लागू होता है। प्रतिष्ठित और ब्राण्डेड उत्पादों के विनिर्माण में लगी कम्पनियों के डीएनए में निष्ठा और नैतिकता निहित होती है। उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता अपितु ग्राहकों के पैसे का सही मूल्य देना होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग प्रीमियम कीमत चुकाकर भी इन कम्पनियों के उत्पादों को खरीदते हैं। कुछ राष्ट्रों द्वारा यही नैतिकता और सत्यनिष्ठा अपनायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्पाद दुनिया भर में हॉटकेक की तरह बिकते हैं। ग्राहकों को पता होता है कि यदि वे अमुक देश के अमुक कंपनी का कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो उन्हें उनके पैसों का पूरा मूल्य मिलेगा और उनके साथ किसी तरह का धोखा नहीं होगा।

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को अन्तःमुखी या तटस्थवादी राष्ट्र में बदलना नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत होकर दुनिया को गले लगाना है। इसका मतलब वैश्वीकरण के दरवाजे को बंद करना नहीं बल्कि दुनिया के साथ कदम-से-कदम मिलाकर विकास के पथ पर अग्रसर होना है। आत्मनिर्भर भारत के पास दुनिया को ऑफर करने के लिए और भी बहुत कुछ है और यह तभी संभव होगा जब हम विश्व भर में ग्राहकों का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए नैतिकता और निष्ठा के साथ चीजों का निर्माण व उत्पादन करें। यूँ तो भारत में भी बहुत-सी कम्पनियाँ हैं जिनके ऊपर ग्राहकों का पूरा विश्वास है, लेकिन स्वतंत्रता के इस 75वें वर्षगांठ पर हमें संकल्प लेना होगा कि हमें ऐसी कम्पनियों की संख्या अधिकतम करनी होगी ताकि **मेड इन इंडिया** लेबल भी दुनिया भर में मेड इन जापान या मेड इन यूएसए के समान विश्वसनीय और भरोसेमंद हो सके।

*

or organization. He should act as per laid down rules and procedures in the best interest of organization and nation without any fear or favor or pressure.

We are trusted and relied upon if we stay true to our morals, values and ethics. Integrity enhances our reputation in the organization and society. People around us start trusting us if our integrity remains intact in all our actions and decisions. It is well known to us that integrity has played a key role behind the success of many great personalities like our father of nation Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela etc. These personalities, with strict adherence to truth and selfless service commanded highest level of respect and became a source of inspiration for others. As their decisions were considered to be for betterment of common people, generation after generation, all started following them blindly. In fact, they are highly reputed “branded personalities” and people act according to their ideas without any hesitation.

The same is true about “branded products”. The companies engaged in manufacturing such reputed and branded products have integrity and ethics enshrined in their DNA. They are not guided by mere profit rather their motto is to give value for money to the customers. It is because of their sustained emphasis on quality of products that many people buy their products at premium prices. The same ethics and integrity have been adopted by some nations whose products sell throughout the world as hot cakes. The customers know that if they buy a product of a certain company of a certain country, they will get full value for their money and will not be cheated.

A self-reliant India does not mean turning the country inwards or into an isolationist nation, but to embrace the world by becoming stronger. It doesn't mean shutting down doors to globalization but to grow with the world, as a self-reliant India will have more to offer to the world. This can only be possible if we manufacture and produce things ethically and with full integrity to win the trust and faith of the customers around the globe. In India also there are many firms on whom customers have full faith but we have to make a resolve in this 75th year of independence to increase the number of such firms to the maximum so that the label **Made in India** becomes as reliable and trusted as Made in Japan or Made in USA throughout the globe.

*

विभागीय चयन में बरती जाने वाली सावधानियाँ

 आलोक अग्रवाल

मंडल रेल प्रबंधक, पुनरे / समस्तीपुर

भारतीय रेलों पर अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में निविदा प्रबंधन के बाद दूसरे नम्बर पर चयन में होने वाली गलतियों से जुड़े मामले होते हैं। अधिकतर मामलों में चयन की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण मामला अनुशासनिक कार्यवाही स्तर तक पहुँचता है। चयन की प्रक्रिया में प्रारंभ से लेकर अंत तक अत्यधिक सजगता के साथ निष्पादन की आवश्यकता होती है। क्रमानुसार विभागीय चयन के मामले में निम्न महत्वपूर्ण कार्यवाई अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए :-

1. चयन समिति में कम-से-कम 03 सदस्य होने चाहिए।
2. चयन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि को पद आधारित रिक्तियों का लाइजन अधिकारी से विधीक्षा तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी से रिक्तियों के अनुमोदनोपरांत विस्तृत अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
3. अधिसूचना किसी भी चयन का आधार माना जाता है। इसलिए अधिसूचना में सभी तथ्यों यथा चयन का प्रकार, चयन के लिए मदवार निर्धारित अंक, चयन की विधि तथा नामिका प्रकाशन की शर्तों आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
4. चयन के लिए समिति का गठन सक्षम अधिकारी (कम से कम SAG Level) के अनुमोदन से यथासमय होने चाहिए। यदि पात्रता के दायरे में अजा/अजजा समुदाय के कोई अम्भ्यर्था आ रहें हों या अजा/अजजा के लिए पद अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित हैं, तो इस परिस्थिति में चयन समिति में कम से कम एक सदस्य अवश्य आरक्षित समुदाय से होने चाहिए।
5. चयन समिति का गठन करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि:-
 - 5.1 चयन समिति में Question Setter तथा Evaluator समान विभाग के अधिकारी होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो Question Setter तथा Evaluator अलग-अलग अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो एक ही अधिकारी से दोनों कार्य कराने की मनाही नहीं है।
 - 5.2 चयन समिति का 01 सदस्य अवश्य कार्मिक विभाग से होना चाहिए। कार्मिक अधिकारी का स्तर चयन के लिए निर्धारित स्तर से एक ग्रेड नीचे भी हो सकता है।

- 5.3 आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों से संबद्ध मामले में चयन समिति में कम से कम 01 सदस्य आरक्षित समुदाय से होने चाहिए। यदि 03 अधिकारियों के नामन से यह शर्त पूरा नहीं हो रहा हो, तो चयन समिति में आरक्षित समुदाय के अधिकारी को शामिल करने के उद्देश्य से चौथे सदस्य का भी नामन किया जा सकता है।
- 5.4 चयन समिति के गठन के समय यह ध्यान रखना अनिवार्य है, कि कोई सदस्य दूसरे के अधीनस्थ नहीं हो।
6. **चयन की प्रक्रिया को बढ़ाने के क्रम में Question Setter द्वारा Question Paper बनाने में निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए:—**
- 6.1 प्रश्न पत्र के प्रश्न पूरी तरह से पाठ्यक्रम (Syllabus) के अधीन होने चाहिए।
- 6.2 गुप-“सी” में पदोन्नति हेतु चयन/LDCE के एक भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का व्यावहारिक आधार होना चाहिए अर्थात् वे इस तरह तैयार किये जाने चाहिए कि अभ्यर्थियों की व्यावहारिक समस्याओं (Practical Problems) को सुलझाने की योग्यता को परख सके जिन्हें सैद्धांतिक ज्ञान/जानकारी से कहीं ज्यादा सामना करना पड़ता है।
- 6.3 लिखित परीक्षा हेतु सभी प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। इन निर्देशों का उल्लंघन प्रक्रियागत अनियमितता समझी जाती है और चयन को निरस्त किया जा सकता है।
- 6.4 नये निर्देशों के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु 100 प्रतिशत अंक 04 विकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए होने चाहिए। प्रश्न पत्र तैयार करने में अनावश्यक कठोरता से भी बचना चाहिए।
- 6.5 लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों में से कुल व्यावसायिक अंकों के कम से कम 10 प्रतिशत अंक राजभाषा नीति और अधिनियमों/नियमों पर आधारित होना चाहिए। ये प्रश्न वैकल्पिक होने चाहिए अर्थात् इन प्रश्नों को प्रश्न पत्र में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि अभ्यर्थियों को इसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं हो।
- 6.6 चयन/LDCE में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 25 से अधिक होने पर प्रश्न पत्र 03 अलग-अलग सेटों में तथा मॉडल उत्तर को भी 03 अलग-अलग सेटों में तैयार किया जाना चाहिए। इन सेटों में प्रश्न तो समान रहेंगे पर उनके क्रम संख्या में भिन्नता होगी।
- 6.7 प्रश्न पत्र पर न केवल कुल अंक स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए बल्कि, प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग अंक भी निर्धारित रहने चाहिए।

- 6.8 यह वांछनीय है कि प्रश्न पत्रों की वांछित प्रतियाँ चाहे साक्लोस्टाइल या छाया-प्रति के माध्यम से तैयार करने का रूटीन कार्य तथा प्रश्न पत्र पैकेटों का सीलबंद करने का कार्य भी प्रश्न पत्र सेट करने के लिए नामित किए गए अधिकारी के व्यक्तिगत स्तर पर या पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए। अनधिकृत व्यक्तियों को यह कार्य कदापि नहीं सौंपा जाना चाहिए।
- 6.9 चयन समिति के कार्मिक शाखा के सदस्य द्वारा परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि प्रश्न पत्र बनाने में सभी प्रभावी नियमों का अनुपालन किया गया है। यदि कोई छोटी-मोटी त्रुटि पाई जाती है तो उसका परीक्षा भवन में निराकरण करा देना चाहिए।
- 6.10 मूल्यांकनकर्ता को मॉडल उत्तर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ताकि उत्तर पुस्तिकाओं के ठीक-ठीक तथा यथासमय पर मूल्यांकन करने में उसे आसानी हो।
- 6.11 नये निर्देशों के अनुसार लिखित परीक्षा समाप्ति के उपरांत सम्यक स्वमूल्यांकन एवं प्रश्न पत्र के सामान्य पैटर्न से वाकिफ रहने के उद्देश्य से प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाना है।
- 6.12 चयन प्रक्रिया में पद्धति सुधार के तहत पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक/ कार्मिक कार्यालय द्वारा सर्वसंबंधित को पत्रांक प्रमरे/गोप/चयन दिनांक 03.07.2017 द्वारा प्रमुख निर्देश अनुपालनार्थ परिपत्रित किए गए हैं :-
- (a) एक बार चयन समिति का सक्षम अधिकारी से गठन हो जाने पर सभी सदस्यों को चयन की प्रक्रिया तथा नियमों से अवगत करा दिया जाना चाहिए।
- (b) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में बहुविकल्प अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जैसे: A, B, C, D के रूप में इंगित किये जाने चाहिए। विकल्प कभी भी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों जैसे: a, b, c, d या i, ii, iii, iv में नहीं होने चाहिए।
- 7. उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच – मार्गदर्शन एवं सावधानियाँ :-**
- 7.1 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए और एक समान मानक अपनाया जाना चाहिए।
- 7.2 मूल्यांकनकर्ता को प्रश्न-पत्र/परीक्षा से संबंधित निर्देश के साथ-साथ मॉडल उत्तर Question Setter द्वारा अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उत्तर पुस्तिकाओं के सम्यक और यथासमय मूल्यांकन करने में मूल्यांकनकर्ता को आसानी हो।
- 7.3 मूल्यांकन बेहतर रूप से लाल अमिट स्थायी या बॉल प्वाइन्ट पेन से किया जाना चाहिए लेकिन किसी भी दशा में लेड पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन अलग-अलग किए जाने चाहिए और प्रश्नों के सामने अंक दिया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा की परिधि में अधिक उम्मीदवारों को लाने के उद्देश्य से उत्तीर्ण अंको की प्रतिशतता

- को दिमाग में रखते हुये मूल्यांकन का पुनरीक्षण तथा अंक देने की अनुमति मूल्यांकन करने वाले अधिकारी की नहीं है। काट-छाँट/ओवर राइटिंग/संशोधन/परिवर्तन, राउंड ऑफ करने की अनुमति नहीं है। यदि परिवर्तन/काट-छाँट आवश्यक प्रतीत होता है तो अंक को पूरी तरह काट कर संक्षिप्त हस्ताक्षर के साथ फ्रेश अंक दिया जाना चाहिए।
- 7.4 यदि कोई उम्मीदवार अपेक्षित संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया हो तो मूल्यांकनकर्ता अधिकारी को उसे छोड़ देना चाहिए। फिर भी, यदि ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन मान्य हो, तो केवल सबसे पहले दिए गए उत्तरों की अपेक्षित संख्या के लिए दिए गए अंको को उत्तर पुस्तिकाओं के शीर्ष पत्रक पर तालिका में शामिल किया जाना चाहिए और शेष को छोड़ दिया जाना चाहिए।
- 7.5 दशमलव अंक जब कभी दिए जाते हैं तो उसे प्रथम दशमलव तक ही सही किए जाने चाहिए और उसे राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए। कुल प्राप्तांक भी बिना कोई राउंड ऑफ किए छोड़ दिया जाना चाहिए।
- 7.6 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यथाशीघ्र संभव और उचित समय में संपन्न कर देना चाहिए क्योंकि विलंब होने से शिकायते उत्पन्न होती है और सतर्कता दृष्टिकोण को आमंत्रित करती है।
- 7.7 मूल्यांकनकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए हुए अंक पत्र जिसमें कोड संख्या और प्राप्त अंक (अक्षरों और शब्दों में) दर्शाये गए हैं, सीलबंद लिफाफे में चयन समिति के कार्मिक विभाग के सदस्य को सौंप दिए जाने चाहिए।
- 7.8 मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में कार्मिक विभाग को लौटा दिया जाना चाहिए।
- 7.9 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में जब कभी ऐसे प्रश्न लिखित परीक्षा में शामिल किए जाते हैं, किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसके उत्तर का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। **संशोधन में शामिल है :** काट-छाँट, ओवर राइटिंग, मिटाना, बहुविकल्पीय प्रश्नों में 01 से अधिक Encircle को डार्क किया जाना या किसी तरह उत्तर में संशोधन करना इत्यादि।
- 7.10 उत्तर पुस्तिकाओं का **कोडिंग एवं डिकोडिंग** नामित कार्मिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यदि चयन कार्मिक विभाग के लिए हो तब कोडिंग एवं डिकोडिंग मूल्यांकनकर्ता अधिकारी को छोड़कर अन्य कार्मिक अधिकारी से कराना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी द्वारा कोडिंग एवं डिकोडिंग नहीं किया जाना चाहिए।

*

भ्रष्टाचार पर अंकुश का चाणक्य मार्ग



सलील कुमार झा,

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक / पूमरे

सत्यनिष्ठा जन्मजात या स्वतःस्फूर्त गुण नहीं है। यह एक उपार्जित सदगुण है। मनुष्य का सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें अन्य प्रजातियों की तुलना में नैतिक रूप से अस्थिर होने की संभावना अधिक होती है। उसके अनुभव करने, सोचने, विचार करने और विश्लेषण करने की श्रेष्ठ शक्ति उसे कुचक्र रचने की क्षमता और नियत पथ से भ्रष्ट होने के प्रति भी सहज बनाती है। सत्यनिष्ठा इन विकृत प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षा कपाट के रूप में काम करती है।

मनुष्य जिन परिस्थितियों से गुजरता है उनसे प्रायः गुण और दोष धारण कर लेता है। जिस परिवार में वह पला बढ़ा है, उसके मूल्य; जिन दोस्तों की संगति में उसके प्रारम्भिक वर्ष व्यतीत होते हैं उनके नैतिक मानक, और जिन संस्थानों में वह ज्ञान प्राप्त करता है वहाँ मूल्यों को दिया गया महत्व, इन सभी का असर उसके चरित्र पर पड़ता है। लेकिन इस तरह के अलौकिक एवं दिव्य गुण आसानी से नहीं आते हैं। इसलिये मनुष्य का चरित्र सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का अलग-अलग अनुपात में मिश्रण बन जाता है। सतर्कता विभाग, एक कर्मचारी के दृष्टिकोण से, अपना महत्व इसी कारण से प्राप्त करता है।

मनुष्य कभी भी स्वाभाविक रूप से नीतिपरक नहीं रहा है। इसके विपरीत, मूल्यों के खिलाफ जाने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक ही रही है। प्राचीन काल भी इसका अपवाद नहीं था। चाणक्य के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। लेकिन उनमें जो चीज अध्ययनकर्ता को सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है शिक्षक के रूप में मुद्दों को सुलझाने की उनकी अदभुत क्षमता।

सदियों, शायद अपने समय से सहस्राब्दी आगे, प्रकांड विद्वता, संतोचित आत्मत्याग, निष्कलंक चरित्र और एक महान कूटनीतिज्ञ की चतुराई का एक सम्मिलित प्रतिमान, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य के रूप में जाना जाता है, वस्तुतः भारतीय श्रुतिकथाओं का एक प्रसिद्ध चरित्र है। इतना विस्मयकारी कि विशाखदत्त ने उनके चरित्र और कृत्यों पर आधारित अपना प्रसिद्ध नाटक लिखा— “मुद्राराक्षस”। गुरु व महान मौर्य साम्राज्य के प्रधान मंत्री जो मगध के भ्रष्ट नंद वंश के सुनियोजित विध्वंस के कारक बने। मौर्य शासन की स्थापना के बाद, उन्होंने न केवल आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को अधिग्रहण करने के लिये राज्य की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि कानून और न्याय का शासन भी स्थापित किया जो आने वाले समय के लिये एक प्रतिमान बन गया।

TAMING CORRUPTION - THE CHANAKYA'S WAY

 **Salil Kumar Jha, PCOM/ECR**

Integrity is not an inborn or a spontaneous quality. It's an acquired virtue. Man, essentially being an animal- though of the social kind, is much more prone to be vagrant than other species. His superior power to feel, think, ideate and analyse also lends to him the ability to scheme and the susceptibility to debauch from the ordained path. Integrity acts as a safety valve against these aberrant tendencies.

Man acquires the virtues and vices largely from the conditioning he undergoes. The values espoused by the family he grows up in; the ethical standards of friends in whose company his formative years are spent and the accent on scruples placed in the institutions where he gains knowledge - all have a bearing on the character the man comes to acquire. But qualities such as these are more ethereal, more angelic than real and thus not easily to come by. Man's character, therefore, ends up being a mix of the positives and the negatives in varying proportions. Vigilance in regard to a man on the job derives its *raison d'être* from this very reason.

Man has never been naturally ethical. If anything, to go against the mores has been his tendency by default. Ancient times were no exception in this regard. A study of Chanakya brings out this fact unambiguously. But what astonishes the reader the most is the uncanny ability of the master to address the issues.

Centuries, perhaps millennia ahead of his time; an epitomic mix of profound scholarship, saint like self-abnegation, irreproachable character and the wiliness of a master conspirator; Chanakya or Kautilya as he is variously called is a fabled character of Indian lore - so awe inspiring that Vishakhadatta wrote his famous play "Mudrarakshasa" around his character and about his exploits. The teacher - PM of the great Mauryan empire, he was instrumental in systematic dismantling of the corrupt Nanda dynasty of Magadh. After establishing the Mauryan rule he not only expanded the boundaries of the state to envelope large parts of today's India, Pakistan and Afghanistan but also established a rule of law and justice that became a model for all times to come.

उनके प्रसिद्ध 'अर्थशास्त्र' और 'चाणक्य नीति' के माध्यम से हमें उस व्यक्ति के कुशाग्र मस्तिष्क, राज कौशल की गूढ़ समझ, प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ गहरा परिचय और कुशल एवम् कल्याणोन्मुख प्रशासन प्रदान करने के मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। केवल इस तथ्य से कि उनका 'अर्थशास्त्र' भ्रष्टाचार के खतरे का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, स्थापित होता है कि यह रोग प्राचीन भारत में भी व्याप्त था, और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर विशेषज्ञ सुझाव की आवश्यकता थी। आज के समय में भी इन समस्याओं के संदर्भ में हमारे लिये कौटिल्य के सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है।

चाणक्य भ्रष्टाचार को व्यवस्थापरक मानते हैं— सामाजिक भेदभाव एक पदानुक्रमित आधिकारिकता पर आधारित राजनीतिक—आर्थिक प्रणाली में यह हमेशा संभावित रूप से होता है। उनका मानना था कि मानव स्वभाविक रूप से चंचल मन वाले होते हैं और अपने स्वभाव में निरंतर परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। इससे उनका तात्पर्य यह था कि ईमानदारी कोई ऐसा गुण नहीं है जो निरंतर और आजीवन बना रहे और भ्रष्ट तरीकों से आसान लाभ प्राप्त करने का प्रलोभन किसी भी समय ईमानदारी के गुण को खत्म कर सकता है। इनमें से कुछ विचारों को व्यक्त करने के लिये चाणक्य ने कुछ भव्य व युक्तिसंगत उपमाओं का प्रयोग किया है। आइए, उनके कुछ मूल्यवान विचारों का आनंद लें और अपने पुरखों के लिये विस्मय और श्रद्धा से भर जाएँ।

1. अधिकारियों के तरीके को भांपने की कठिनाई पर:

“अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम्।

ननु प्रच्छन्न भावानां युक्तानां चरतां गतिः।।”

“आकाश में उड़ते पंछियों के मार्ग को तो जाना जा सकता है लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली और उनके इरादों को भांपना कतई संभव नहीं।”

2. सरकारी कर्मचारी के ईमानदार बने रहने की असंभवता पर:—

“यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्य

जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा।

अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः

स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः।।”

“जिस तरह जीभ पर रखे शहद या ज़हर का स्वाद न ले पाना असंभव है उसी तरह राजकीय कोष से कोषाध्यक्ष का पैसे का स्वाद नहीं लेना असंभव है चाहे थोड़ा ही क्यों न हो।”

Through his famous ‘Arthashastra’ & ‘Chanakya Neeti’ we get a glimpse of the man’s brilliant mind, deep understanding of state craft, close familiarity with the prevailing social mores and practical approach to solving the problems that came in the way of providing efficient and welfare oriented administration. That the ‘Arthashastra’ of his provides an elaborate description of the menace of corruption, only confirms the fact that the malady was rampant even in ancient India, enough to necessitate expert advice on how to tame it. Also, since those problems have persisted to this day, explains the germaneness of Kautilya’s thesis for our times as well.

Chanakya finds corruption to be systemic - it is always potentially there in a politico-economic system based on social differentiation and a hierarchised officialdom. He believed that men are naturally fickle minded and exhibit constant change in their disposition. By that he meant that honesty is not a virtue that would remain consistent and lifelong and the temptation to make easy gains through corrupt means can override the trait of honesty at any time. For expressing some of these ideas, Chanakya has used some brilliant and beautifully apt similes. Just savour a few of his nuggets and be filled with awe and reverence for our great ancestry:

1. ON DIFFICULTY IN KNOWING THE WAYS OF OFFICERS

“अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम् ।

नतु प्रच्छन्न भावानां युक्तानां चरतां गतिः ।।”

“While it’s possible to know the paths of the birds flying in the sky, it’s not possible to know the ways of officers moving with intentions.”

2. ON IMPOSSIBILITY OF A GOVERNMENT SERVANT TO REMAIN HONEST

“यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्य

जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा ।

अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः

स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः ।।”

“It’s impossible not to taste honey or poison placed on one’s tongue. Similarly it is impossible for one dealing with the money of the king not to taste the money, if only a little.”

3. भ्रष्ट की पहचान में कठिनाई पर

“मत्स्या यथान्तस्सलिले चरन्तो
ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः।
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता
ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः।।”

“जैसे हम नहीं जान पाते कि पानी में तैरने वाली मछली कब पानी पी रही है वैसे ही यह पता नहीं चलता कि किसी कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी ने कब अवैध धन अर्जित करना शुरू कर दिया”

दो और उदाहरण प्रस्तुत हैं:

घोड़ा स्थिर बंधे रहने तक शांत और अकष्टकारी रहता है लेकिन बिना किसी नियंत्रण के मैदान में जाने पर उसका व्यवहार बदल सकता है। पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि सत्ता और अधिकार दिए जाने पर कुलीन और शांत व्यक्ति भी विभिन्न दोषों के आगे झुक जाता है।

ज्ञान और कौशल की कमी, आलस्य, लोलुपता, अति भोग, वासना, क्रोध, भय, लालच और ज्ञान, शक्ति एवं पद का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के स्रोत हैं।

एक संत—प्रधानमंत्री की कितनी तीक्ष्ण और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि! उन अंतर्निहित प्रवृत्तियों की पहचान करने के बाद जो एक आदमी को लुभाते हैं, चाणक्य, एक कुशल प्रशासक और उत्कृष्ट सिद्धांतकार, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं और अधिकारियों के बीच इन अस्थिर प्रवृत्तियों पर बलात् अंकुश लगाने के उपाय सुझाते हैं। उनके कुछ सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं और नियम पुस्तिकाओं में दर्ज हैं। उनमें से कुछ प्रस्तुत हैं:

नियमित स्थानान्तरण पर

“किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख को लंबे समय तक एक पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने अधीनस्थों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर अपने अनुचित कार्यों को छिपाने का मौका मिल सकता है। उन्हें निचले संवर्गों एवं अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने का मौका भी मिल सकता है। समाज के लोगों में यह डर व्याप्त हो जाता है कि एक पद पर अधिक समय तक रहने वाले अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यक्तिगत हित को नुकसान पहुँचा सकता है और वे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ संकट के समय शिकायत भी नहीं कर सकते।”

दंड—नीति (भ्रष्ट के लिए दंड व्यवस्था)

“सरकारी राजस्व के गबन करने वालों के लिए आठ गुणा जुर्माना निर्धारित

3. ON DIFFICULTY IN KNOWING WHO IS CORRUPT

“मत्स्या यथान्तस्सलिले चरन्तो
ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः ।
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता
ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ।।”

“As we can’t know when a fish swimming in water is drinking water; just so we can’t know when officers appointed for carrying out works are appropriating money”

Here are another two :

“Horse remains calm and trouble free till it is tied in stable but its behaviour might change when out in the field without any control. Such is the nature of men that noble and peaceful person succumbs to various vices when given power and authority.”

“Lack of knowledge and skills, laziness, gluttony, over indulgence, lustiness, anger, fear, greed and misuse of knowledge, power and designation are the sources of corruption in the Government employees.”

What an incisive and penetrating insight from a saint-Prime Minister ! Having identified the inherent predilection that a man has for the lure of the lucre, Chanakya, the master administrator and a theoretician par excellence, takes his thesis forward and suggests remedies to forcibly rein in these vagrant tendencies among the officials. Many of them are still relevant and are also prescribed in the rule books . Here are a few of them:

ON REGULAR TRANSFERS

“Head of any government department should not be allowed to hold the post for prolonged time, as it may give him a chance to establish friendly relationship with the subordinates to cover up his wrongdoings. It may give him time to spread the corruption in lower cadres as well as other functions. People of the society too gets afraid of the fact that official staying longer time in one post may harm their individual interest directly or indirectly and they cannot complain against such officials under a threat.”

DANDA - NITI (THE PUNISHMENT REGIME FOR THE CORRUPT)

“For one who swallows the government revenue, the fine is

है। झूठे बयान के मामले में वही सजा निर्धारित है जो चोरी के लिए है। यदि अधिकारी राजस्व उगाही में कमी या स्वीकृत व्यय से अधिक खर्च करता है, तो यह राजस्व की क्षति है। ऐसे अधिकारी के ऊपर हानि धन का 4 गुणा दंड दिया जाना चाहिए।”

“यदि कोई अधिकारी किसी कार्य संपादन में या कार्य के परिणाम पाने में असफल या समय से कार्य निष्पादन में विफल रहता है तो अधिकारी के ऊपर शामिल राशि का दसवां हिस्सा दंड के तौर पर लगाया जाना चाहिए।”

“यदि अधिकारी अर्जित आय प्रदान नहीं करता है या लिखित रूप से खर्च राशि का भुगतान नहीं करता है या प्राप्त की गई राशि से इन्कार करता है तो यह हेराफेरी है। इसके लिए राशि का 12 गुणा जुर्माना निर्धारित है।”

“गबन के चालीस तरीके हैं। जो पहले अर्जित किया है वह बाद में वसूल किया जाता है। सभी प्रकार की विसंगतियां चाहें वह लेखांकन, विवरण, स्टेटमेंट प्रदर्शन, गुणवत्ता, मूल्य, माप, तिथियाँ इत्यादि में ही क्यों न हो, दंडनीय है।”

“कई आरोपों के मामले में यदि अधिकारी सभी आरोपों से इन्कार करता है परन्तु वह किसी एक मामले में भी दोषी साबित होता है, तो वह सभी आरोपों के लिए उत्तरदायी होगा। आंशिक रूप से भी किसी राशि के लिए स्वीकारोक्ति होने पर उस पर सभी मामलों में मुकदमा चलाया जायेगा। किसी राशि के एक छोटे से हिस्से का भी दोषी पाए जाने पर वह बड़ी राशि के गबन के सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।”

निर्वाहकों के लिए पुरस्कार

“सरकारी अधिकारी जो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त रहते हैं और राजस्व एकत्र करने और राजकीय धन प्रबंधन में ईमानदारी बरतते हैं, वे अपने राजा के प्रिय पात्र होते हैं। ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।”

चाणक्य मानव इतिहास के सबसे महान प्रशासनिक विचारकों में से एक रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च अधिकारियों के बहुत अधिक व्यक्तिगत संपर्क या मेल-जोल भ्रष्टाचार का कारण बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवीय भावनाएं और व्यक्तिगत संबंध प्रशासन के सफल संचालन में बाधक बनती हैं जो मूल रूप से एक नियम आधारित अव्यक्तिगत मामला है। चाणक्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि भ्रष्टाचार केवल कार्यपालिका में ही नहीं बल्कि न्यायपालिका में भी है। भ्रष्टाचार से भरे माहौल में वह शायद यह सुनिश्चित कराना चाहते थे कि वादियों को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी जायज शिकायतों पर ध्यान दिया जाए। वित्तीय हेराफेरी और न्यायिक अनौचित्य का पता लगाने के लिए चाणक्य ने विस्तृत गुप्तचर

eightfold. For case of false statement the punishment is that for theft. If the officer causes diminution of revenue fixed or causes an increase in the expenditure sanctioned, that is the revenue lost. For that the officer should be punished 4 times the money lost.”

“If there is a failure to carry out a work, or failure to realise its fruit or failure to deliver it in time, the officer should be fined one-tenth of the amount involved.”

“If officer does not deliver the income that has accrued or does not pay the expenses put down in writing or denies the balance received, that is misappropriation. For that the fine is 12 times the amount.”

“The ways of embezzlement are forty. What has accrued first is realised afterwards. What is to accrue later is realised first. All types of discrepancies are punishable whether in accounting, description, statement, performance, quality, price, measurements, dates etc.”

“In case of many accusations if the officer denies all charges and is proved guilty in a single case, he shall be liable for all charges. In case of partial admission, he shall stand trial in all cases and, in case of misappropriation of a large amount of money, if he is proved guilty with respect to even a small part of it he shall be liable for all.”

REWARD FOR THE PERFORMERS

“Government officials who work honestly in fulfilling their duties, who do not do corruption and work honestly towards collecting revenues and righteous management of state money, are favourable of the king. Such officials should be given promotion and salary hikes.”

Chanakya has been one of the greatest administrative thinkers in human history. He argued that too much personal interaction or union among higher executives leads to corruption. This is because human emotions and personal concerns act as impediments to the successful running of an administration which is basically a rule-based impersonal affair. Chanakya was well aware that corruption was not only in the executive but also in the judiciary. In an atmosphere pervaded by corruption he perhaps wanted to ensure that litigants were encouraged and given voice to air their legitimate grievances. For detecting financial misappropriation and judicial impropriety Chanakya prescribed reliance on elaborate espionage

समुदाय पर निर्भरता वर्णित की। गुप्तचरों की भर्ती की जाती थी और उन्हें अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखाकारों, लिपिकों और अन्य सभी पर नज़र रखनी होती थी जो 'शहद चखने' की स्थिति में थे।

दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने 'मुखबिरी' की परिकल्पना पर भी सोचा। कोई भी मुखबिर जो बाहरी व्यक्ति ('सूचक') होता था और वह गलत वित्तीय कार्यों की जानकारी देता था तो वह उस राशि के छठे हिस्से के पुरस्कार का हकदार होता था। दूसरी ओर, यदि मुखबिर सरकारी सेवक (भृतिका) होता था तो उसे कुल राशि का केवल बारहवां हिस्सा दिया जाता था। सूचक मुखबिर का हिस्सा अधिक था क्योंकि व्यवस्था से बाहर रहते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना अधिक चुनौतीपूर्ण था। भृतिका के मामले में, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए प्रयास करना उसके कर्तव्य का हिस्सा था जिसकी अपेक्षा एक आदर्श सरकारी सेवक से की जाती है। चाणक्य ने गलत जानकारी देने या आरोपों को साबित न कर पाने वालों को चेतावनी भी जारी की।

राष्ट्र का नैतिक पथ प्रदर्शक होने के नाते चाणक्य ने अपने जीवन और आचरण पर भी घोर कठोरता लागू कर रखी थी, उन्होंने अभाव का जीवन व्यतीत किया और गंगा के तट पर एक झोपड़ी में निवास किया, जिसके बारे में विशाखदत्त ने अपने 'मुद्राराक्षस' में लिखा है:

“उपलशकलमेतद् भेदकं गोयमानां,
वटुभिरुपहृतानां बहिषां स्तोम एषः।
शरमपिसमिदिभः शुष्यमाणाभिराभिर,
विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम्।।”

“झोपड़ी के किनारे एक पत्थर का टुकड़ा है जो गाय के उपले को तोड़ने के लिए है। दूसरी तरफ 'ब्रह्मचारियों' द्वारा लाई गई 'कुश' घास का ढेर है। फूस की छत पर सुखाने के लिए लकड़ी के टुकड़े रखे हैं, जिसके भार से नाजुक और जर्जर छत दबी जा रही है।”

यह उस युग के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्य के प्रधान मंत्री का घर है! क्या इतिहास कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जो इस जबरन दरिद्रता की भव्यता के कहीं से भी निकट आता है? इस आत्म-त्याग से उस गरीब ब्राह्मण को शक्ति मिली जो एक ही समय में भयप्रद, निन्दित, श्रद्धेय और सम्मानित था। हम उस स्वप्नलोक से कितनी दूर चल गए हैं!

यह महान प्रतिभा लगभग ढाई सहस्राब्दी पहले पृथ्वी पर आई थी। वे अभी भी प्रासंगिक हैं, और उन शाश्वत मूल्यों के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपनाई और जिनकी वकालत की। चाणक्य की उपेक्षा से संसार श्रीहीन लगेगा।

✱

network. spies were recruited and they were to keep a watch on officers, officials, accountants, clerks and all others who were in the position of 'tasting honey'.

Interestingly, Chanakya also dealt with the concept of 'whistleblowers'. Any informant who happened to be an outsider ('Suchakas') and who provided details about financial wrongdoing was entitled to an award of one sixth of the amount in question. If, on the other hand, the informant happened to be a government servant (Bhritikas), he was to be given only one twelfth of the total amount. The former's share was more because exposing corruption while being outside the system was more challenging. In case of the latter, striving for corruption free administration was more of a duty that was ideally expected of them. Chanakya also issued warnings about providing wrong information or for not being able to prove the accusations.

To be the moral torch bearer for the nation, Chanakya imposed severe rigour on his own life and conduct. He led a life of penury and lived in a hut on the bank of the Ganges about which Vishakhadatta, in his 'Mudrarakshasa', writes :

“उपलशकलमेतद् भेदकं गोयमानां,
वटुभिरुपहृतानां बहिषां स्तोम एषः।
शरमपिसमिदिभः शुष्यमाणाभिराभिर,
विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम् ।।”

“On the side of the hut is a stone piece meant for breaking cow dung cakes (उपला). On the other is a heap of 'kusha' grass brought by the 'brahmacharins'. On the thatched roof are kept wood pieces for drying, under the weight of which the fragile and rickety roof is giving way.”

This is house of the Prime Minister of the largest and the mightiest state on the earth of that age ! Can history produce any example that comes anywhere near the grandeur of this forced indigence? From this self-denial stemmed the power of that poor brahmin who was feared, reviled, revered and respected - all at the same time. How far have moved from that utopia!

This great genius walked on the earth about two and a half millennia ago. That he still bears relevance speaks volumes about the eternal worth of the values he himself espoused and advocated for. World will be poorer by neglecting Chanakya.

✽

सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

✍ सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, IRPS

मुख्य कार्मिक अधिकारी / आईआर
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

जब हम “सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता” की बात करते हैं तो इसका आशय ऐसी “आत्मनिर्भरता” से है जो “सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्” के दर्शन से उद्भूत हो। ऐसी आत्मनिर्भरता— जिसका उद्देश्य स्वावलंबन हो, स्वाभिमान हो, सर्वजन कल्याण हो, शुभता हो। ऐसी आत्मनिर्भरता जिसमें “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया” और “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना निहित हो। ऐसी आत्मनिर्भरता जो स्वकेंद्रित न होकर, स्व से सर्व की ओर उन्मुख हो। ऐसी आत्मनिर्भरता जिससे सभी स्वायत्त और समर्थ बनने की प्रेरणा प्राप्त करें।

ऐसी दूरगामी आत्मनिर्भरता का आधार छल—प्रपंच नहीं हो सकता। ऐसी आत्मनिर्भरता स्वार्थ परक भावना और अवसरवादिता के माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती। स्वार्थ और पाखंड के धरातल पर खड़ी की गयी इमारतें सुदृढ़ और दीर्घकालिक कदापि नहीं हो सकती। यदि कोई इमारत अथवा पुल आदि सम्यक् मानक के अनुसार गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाता है तो अंततः ढह जाता है। पुल के ढहने के बाद न केवल समाज की आर्थिक क्षति होती है बल्कि धीरे-धीरे समाज में अविश्वास का भाव पैदा होता है तथा समाज की अस्मिता को भी चोट पहुँचती है, और जिन व्यक्तियों की अकर्मण्यता और झूठे उसूलों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उनमें भी अंततोगत्वा अंतर्विरोध, भय और आत्मग्लानि की भावना पैदा होती है।

अतः झूठ के माध्यम से क्षणिक सुख ही प्राप्त हो सकता है। “येन—केन—प्रकारेण” की विधा से अथवा दोहरे मापदंडों से हम सही मायने में जीवन की बुलंदियों पर नहीं पहुँच सकते हैं और न ही राष्ट्र को समर्थ और समृद्ध बना सकते हैं।

सत्यनिष्ठा, सत्प्रयास, सत्संकल्प, सत्प्रेरणा और सदमार्ग से ही हम स्वयं को और पूरे देश को नई दिशा प्रदान करते हुए सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सत्यनिष्ठा पर आधारित कार्यशैली के माध्यम से ही हम अपने संगठन को, समाज को और देश को शिखर पर पहुँचा सकते हैं। जब हम सत्यनिष्ठा से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म में पारदर्शिता होती है, एकरूपता होती है,

समयबद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता होती है। सत्यनिष्ठा से किए गए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य परिणामतः हमें स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाते हैं और हम 'सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता' के 'Virtuous Cycle' में प्रविष्ट हो समुन्नति और सम्पूर्ण समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

आइए हम 'सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' के पथ का अनुगमन कर रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सपने को साकार करें :-

जहाँ उड़ता फिरे मन बेखोफ
और सर हो शान से उठा हुआ,
जहाँ इल्म हो सबके लिए बेरोक-टोक
बिना शर्त रखा हुआ,
जहाँ घर की चौखट सी छोटी सरहदों में न बंटा हो जहाँ,
जहाँ सच से सराबोर हो हर बर्याँ,
जहाँ बाजुएँ बिना थके लगी रहें कुछ मुकम्मल तराशने,
जहाँ सही सोच को धुँधला ना पायें उदास मुर्दा रवायतें,
जहाँ दिलो-दिमाग तलाशें नये ख्याल और उन्हें अंजाम दें,
ऐसी आजादी की जन्मत में ऐ खुदा
मेरे वतन की हो नई सुबह !!

जय हिन्द, सत्यमेव जयते।

✽

ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है,
उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की
जरूरत नहीं होती।

— प्रेमचंद

लेख

सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता

पी.के. सिन्हा,

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक / आरडब्ल्यूपी / बेला

भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा कर रहा है। हमने प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हम आत्मनिर्भरता के पथ पर प्रयास करना जारी रखते हैं, किन्तु सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मोर्चे पर उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने बहुत ऐसे देशों को देखा है जिसने बहुत तेजी से विकास किया लेकिन बाद में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण टूट गए। इसलिए दिन-प्रतिदिन के कार्यों में, पारदर्शिता, उच्च स्तर की निष्ठा एवं नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता है। इन मूल्यों का आगमन अनायास नहीं होता वरन् इन मूल्यों को व्यक्ति/समाज में विकसित करना होता है। ऐसे कई कारक हैं जो इन मूल्यों के विकास में सहायक हैं। इन कारकों में से कुछ सहायक हो सकने वाले हैं, उन्हें यहाँ चिह्नित किया जा रहा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है सही शिक्षा, उचित प्रशिक्षण तथा इन मूल्यों के महत्व को उजागर करना।

व्यक्ति के बचपन से ही इसकी नींव पड़ जाती है तथा परिवार, विद्यालय एवं समाज की भूमिका सर्वोपरि है। यह एक बच्चे के शुरुआती विकास के वर्षों में नैतिक मूल्यों की ठोस नींव रखने में मदद कर सकता है और उस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहता है। उसके बाद आती है कार्य संस्कृति, सहकर्मियों का आपसी सहयोग ऊँचे व्यक्तियों एवं संस्था से सहयोग/सुरक्षा की भूमिका। यदि कोई संस्था अपने कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सुखदायी वातावरण प्रदान करे तथा उन्हें प्रोत्साहित करे तो आउटपुट दोगुना हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में एक ही शब्द “कार्य संस्कृति” में व्यक्त किया जा सकता है। एक अच्छी कार्य संस्कृति कर्मचारी को प्रेरित करती है और इसके माध्यम से काफी कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम एवं शारीरिक अभ्यास की भूमिका आवश्यक है। आवासीय कॉलोनी में इनकी सुविधा विभ्रान्ति एवं मन की शांति में मदद कर सकती है। नियमों एवं विनियमों की जानकारी तथा इनकी प्रयोज्यता भी महत्वपूर्ण है। सूचना तकनीकी भी आज के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी स्तर पर कार्य में विलंब को दूर करना भ्रष्टाचार समाप्ति का सबसे अच्छा तरीका है। निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिए तथा शीघ्र निपटान हेतु कर्मचारी को मदद/प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निर्णयों में पारदर्शिता भी एक महत्वपूर्ण साधन है लेकिन आजकल ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अत्यधिक पारदर्शिता हस्तक्षेप भी कभी-कभी कार्य में विलंब को आमंत्रित करती है।

अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रवर्तन एजेंसी की आती है। इन एजेंसियों से एक निश्चित मात्रा में डर आवश्यक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि स्व-नियंत्रण एवं संयम सबसे महत्वपूर्ण हैं तथा आदर्शतः ऑडिट एवं विजिलेंस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन नियम का लोप एवं उल्लंघन अगर सीमा से बाहर हो तो इन प्रवर्तन-एजेंसियों को सामने आना ही पड़ता है।

✱

ARTICLE

Self-Reliance with Integrity

 P. K. Sinha

PCMM/RWP/BELA

India is completing 75 years of Independence. We have excelled in each and every field. We continue to strive on the path of self-reliance but there is need to maintain high level of integrity in Public & Personal front. We have seen many countries who have developed fast but have subsequently crumbled due to corruption prevailing in the society. Therefore, there is a need to maintain transparency, high level of integrity & moral ethics in day-to-day working life. These values do not come suddenly but have to be inculcated and developed in a person/society. There are many factors which support in development of these values. Some of the factors which can attribute are being highlighted here. The first & foremost factor is right education, proper training and highlighting the importance of these values.

This starts from early childhood of a person and role of family, school and society is of paramount importance. They can help in putting solid foundation of moral values in early formative years of a child which remain throughout life of a person. Then comes role of work culture, co-operation of colleagues, support/protection from higher ups and the organization. If an organization provide soothing atmosphere to employees at his workplace and encourages them, then the output is simply doubled. This can be summarized in a single work as “Work Culture”. A good work culture motivates the employee and even very tough goal can also be achieved. For good mental and psychological health role of Yoga, Pranayama and Physical exercise is necessary. Facilities of these at residential colony can help in relaxation and peace of mind. Knowledge of rules & regulations and its applicability is also important. Role of IT has also an important role in today's parlour. Avoiding delay at any level is the best method of elimination of corruption. Decision should be taken quickly and employee should be supported/encouraged for quick disposal. Transparency in decisions is also an important tool but now a days, it is being felt that too much of transparency is inviting interference and sometimes delays the work.

Last and most important comes the roles of enforcement agency. A certain amount of fear from these agencies is necessary. People should understand that self-control and restraints are the most important and ideally there should not be any role of audit & vigilance. But if omission and violation of rule is beyond a limit these enforcing agencies have to come in picture.

✱

ईमानदारी एवं आत्मनिर्भरता

शिवानी

उप मुकाधि/राज./पूमरे

थॉमस जेफरसन का कहना है— 'ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है।' ईमानदारी का गुण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने कई पीढ़ियों, बुजुर्गों तथा युवाओं को सही विकल्प चुनने में मदद की है। ईमानदार होना मात्र एक गुण नहीं है। यह एक जीवन शैली है, यह एक अभिवृत्ति है। यह एक स्वच्छ अंतःकरण की कुंजी है। एक स्वच्छ अंतःकरण व्यक्ति को आंतरिक अनुसमर्थन और आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाता है।

ईमानदार होने का अर्थ सिर्फ सच होना नहीं है। इसका अर्थ है सच होना, किसी बात को स्वीकार करने में सक्षम होना, यह जानते हुए भी कि परिणाम अवश्यंभावी है। ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वास्तविक साहस की आवश्यकता होती है और जो इस डर पर विजय प्राप्त करने में जो सक्षम होते हैं, वे ही अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

गौंधी जी ने एक स्वतंत्र, ईमानदार और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की थी। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी उपलब्धियों तथा स्वतंत्रता पर गर्व करता हो। इन सबकी कुंजी है— सभी कार्यों में सच्चा और ईमानदार होना। एक राष्ट्र जो सच्चा और ईमानदार है, अपने प्रयासों से राष्ट्र के चरित्र को बदल देता है और अपने लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाता है।

हर किसी को अनुरूपता से बचने और अपनी मूल प्रवृत्ति तथा विचारों का पालन करने की आवश्यकता है जो स्वाभाविक रूप से इस तथ्य में अंतर्निहित है कि प्रयास, उद्यम और उद्यमिता तभी समृद्ध हो सकती है जबकि यह वास्तविक और ईमानदार हो।

किसी ने सही कहा है 'स्वयं पर दृढ़ रहें, कभी भी नकल न करें' ईमानदारी और आत्मनिर्माता के बीच सेतु, तभी बनती है जब हम स्वयं पर विश्वास करने लगते हैं। अपने सोच में विश्वास रखते हुए विचार और राय तब शुरू होता है जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं और यह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, "अपने मन और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। इन्हें पहले से ही भान होता है कि आप वास्तव में क्या बना

ARTICLE

HONESTY AND SELF RELIANCE

 SHIVANI

Dy. CPO/GAZ/ECR

“Honesty is the first chapter in the book of wisdom” said Thomas Jefferson. The virtue of honesty has stood the test of time. It has helped generations, the old and young, to make the right choices. Being honest is not merely a virtue. It is a way of life, it is an attitude. It is the key to a clean conscience. A clean conscience enables one to attain internal validation and self reliance.

Being honest doesn’t just mean being true. It means being true, being able to admit to something, even while knowing that there will be consequences. To face such a situation requires real courage and only those who are able to conquer this fear can achieve what they set out as their goal.

Gandhi had a vision of India. An independent, honest and self reliant India. A nation that stands tall and proud, of its achievements and of its freedom. Key to this, is being true and honest, in all endeavours. A nation that is true and that which is honest produces such effort that transforms the character of the nation and enables its people to be independent and self reliant.

The need for each individual to avoid conformity, and follow his or her own instincts and ideas is inherently embedded in the fact that endeavour, enterprise and entrepreneurship can prosper only when there is genuine and honest effort.

Someone rightly said “insist on yourself, never imitate”. The bridge between honesty and self reliance occurs when we start to believe in ourselves. Having faith in our thoughts, ideas and opinions starts when we are honest and true to ourselves, and that paves the way for being independent and self reliant.

Steve Jobs once said “Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.

चाहते हैं। बाकी सब कुछ गौण हैं।” वह जिस साहस की बात करते हैं वह केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदारी है और यह साहस, यही ईमानदारी हमें राष्ट्रनिर्माता बनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है जैसा कि महान् नेताओं ने कल्पना की थी।

‘उपलब्धि और आत्मनिर्भरता’ परिश्रम, सच्चा प्रचार और कुछ हासिल करने की इच्छा से उमड़ती है। भारत में बेईमान लोगों के लिए आम मुहावरा है— ‘मन में चोर’ अर्थात् जिनके मन में छल—कपट है। ऐसे लोग कभी भी वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। वे जो कुछ भी सोचते हैं वह उनके भीतर से प्रवाहित नहीं होता है बल्कि किसी बाहरी स्रोत से प्रवाहित होता है। वे जिस मान्यता का अनुभव करते हैं, वह हमेशा बाहरी होता है, कभी आन्तरिक नहीं। इसका अर्थ है कि नियंत्रण का वह स्थान जो हमारी क्रियाओं का मार्गदर्शन और कारण बनता है, बाहरी हो जाता है। यह एक अत्यंत अवांछनीय स्थिति है और एक व्यक्ति में निरंतर चिंता और संघर्ष का स्रोत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति का ईमानदार होना बहुत कठिन लगता है।

कोई यह सोचेगा कि उपरोक्त विचार और धारणाएं हमारी वास्तविकता से अलग हैं और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा प्रतिदिन किया गया कोई छोटा—सा भी कार्य या हमारे कार्य काल में किया गया कोई बड़ा कार्य या हमारे उद्यमशील निर्णय— सभी इन विचारों से प्रभावित होते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हम सोचते हैं और करते हैं, वह हमारे कार्यों में समान रूप से परिलक्षित होता है।

दृढ़ विश्वास, साहस की वह कुंजी है जो ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के बीच की खाई को पाटती है। वे जो ईमानदारी के गुण को आत्मसात् करते हैं, उनमें दृढ़ता के साथ कठिन निर्णय लेने का साहस आ जाता है। वे प्रसन्नता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनके चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। उनके अंदर जो सकारात्मकता प्रवाहित होती है वह इस कदर उन्हें मुक्त और स्वतंत्र बनाती है कि वे बुद्धिमानी से और पूरे विश्वास के साथ अपनी पसंद को लागू कर सकें। स्वयं के प्रति ईमानदार होने से आपको एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रमाणिकता और विशिष्टता को सामने लाने में मदद मिलती है।

सच बोलो और यहीं बोलो

जोर से बोलो ताकि सभी सुनें

आज भी बोलो, कल भी बोलो

तुम्हारा गौरवगान होगा, तुम्हारे ज्ञान का बखान होगा।

✱

Everything else is secondary”. This courage that he speaks of is nothing but honesty, not only to others but towards oneself. And this courage, this honesty is what teaches us to stand on our feet, to be the nation builders that our great leaders imagined and wanted us to be.

'Achievement and self reliance' flow from hard work, genuine effort and the will to achieve something in life. There is common phrase in India for people who are dishonest - “Mann mei chor” i.e. those whose deceit in their minds. Such people can never truly be self reliant. Whatever they think or do flows not from within them, but from an external source. The validation they experience is, thus, always external and never internal. This means that the locus of control, that guides and reasons our actions, becomes external. This is a highly undesirable situation, and becomes a source of constant anxiety and conflict in a person. Such persons find it extremely hard to be honest.

One would think that these ideas and notions are divorced from our reality and do not affect our daily lives. But that is not so. From every small action that we do daily, to big tasks in our work life, or entrepreneurial decisions, all are affected by these ideas. What we think and do in our personal lives, translates equally into our work life.

Courage of conviction is that key which bridges the gap between honesty and self reliance. Those who practice the virtue of honesty find it in them to have the courage to take even the difficult decisions, and stand by them. They achieve a state of happiness that allows their characters and personalities to grow. The positivity that flows enables them to be free and independent and make their choices wisely and with full conviction. Being honest with yourself helps you to bring out your authenticity and uniqueness as an individual.

*Speak the truth, speak it here,
Speak it loud, for all to hear,
For all days and years to come,
Yours shall be the glory, and all its wisdom.*

✱

उभरते भारत की आवश्यकता : सत्यनिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता

 उदयाचल कुमार

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / भंडार / पूमरे

“Integrity means always doing what is right and good, regardless of the immediate consequences. It means being righteous from the very depth of our soul, not only in our actions but, more importantly, in our thoughts and in our hearts.”

Joseph B. Wirthlin

भारत हमेशा से ही आत्मनिर्भरता के साथ सशक्त खड़ा रहा है। आप सिंधुघाटी की सभ्यता को ही उठा लीजिए या मगध साम्राज्य अथवा उसके समकालीन का अखण्ड भारत। चाहे गुप्त वंश का भारत हो या मुगल साम्राज्य के दौर का भारत, अपनी आवश्यकता के लिए भारत को कभी भी किसी अन्य देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आधुनिक भारत के इतिहास को देखें तो संभवतः महात्मा गांधी प्रथम ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की न सिर्फ परिकल्पना की बल्कि उसकी जरूरत एवं प्राप्ति के मार्ग की भी व्याख्या की। गांधी जी ने अपनी बहुचर्चित रचना “हिन्द स्वराज” में, आत्मनिर्भर भारत के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी जो औपनिवेशिक शासकों के सोच एवं सिद्धांत पर चोट करती थी और इसीलिए “हिन्द स्वराज” को उस समय प्रतिबंधित कर दिया गया था।

वैसे तो हमारी धरती प्राकृतिक संसाधनों से सदा ही परिपूर्ण रही है। इसके साथ ही भारत के सदियों से आत्मनिर्भर होने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि हमने सदियों से अपनी जरूरतों एवं उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से तकनीक विकसित की है। फिर चाहे वह फसलों की खेती हो या मसालों की, चाहे दक्षिण भारत के सफलतम सिंचाई प्रणाली हो या सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली। परन्तु लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के गुलामी के कारण एवं शेष विश्व की तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप भारत गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया।

आजाद भारत में विज्ञान, तकनीक और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कल्पना को साकार करते हुए कई सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं बांधों का निर्माण हुआ। आत्मनिर्भरता के पथ पर गतिमान देश को द्रुत गति देते हुए 12 मई, 2020 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के विरुद्ध 20

लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका प्रमुख उद्देश्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एवं मानव संसाधनों को समृद्ध करके एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करना है ताकि हर तबके के लोगों तक इसका लाभ पहुंचे।

भारत दुनिया का एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है और इसलिए पूरे विश्व की नजर इस बाजार के दोहन पर लगी रहती है। परन्तु भारत जो “**वसुधैव कुटुम्बकम्**” के विचार में विश्वास रखता है उसके लिए आत्मनिर्भरता, आत्मकेंद्रित नहीं है। अतः भारत, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के विरुद्ध नहीं है। भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस उड़ान को पंख लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं:-

1. स्वदेश में विकसित “**सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत**” ने न सिर्फ भारतीय रेल बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
2. स्वदेश में विकसित “**मल्टी रोल लाईट फाईटर तेजस**” विमान आत्मनिर्भरता का परचम आकाश में लहरा चुका है। वहीं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सक्षम पूर्ण भारतीय कम्पनियों एवं विदेशी कम्पनियों के साथ साझेदारी में काम कर रहे भारतीय कम्पनी को, रक्षा क्षेत्र में ऑर्डर दिये जा रहे हैं। सरकार ने देश के भीतर 56 परिवहन विमानों के निर्माण के लिए टाटा ग्रुप को ऑर्डर दिया गया है।
3. **प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान** के द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाया गया है।
4. सरकार द्वारा “**मेक इन इंडिया**” को प्रमोट करने के परिणामस्वरूप भारत आज कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ चुका है एवं वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीपीई किट के उत्पादन एवं निर्यात से 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार स्थापित कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है।
5. भारत कच्चे तेल के आयात पर प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर खर्च करता है। आजादी के सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2047 तक रिन्यूएबल ऊर्जा द्वारा कार्बन मुक्त ईंधन उत्पन्न करने के लिए एक “**राष्ट्रीय हाईड्रोजन मिशन**” की शुरुआत की गई है। भारत में 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 48% स्थापना के अधीन है। वाहन ईंधन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020** प्रमोचन

किया गया जिसका लक्ष्य 2020 से साल दर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

6. अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा पीएसएलबी-सी 51 का सफल प्रक्षेपण कर आत्मनिर्भरता का बिगुल बजा चुका है। इसके साथ ही बहुत सारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर काम चल रहा है।

एक आंकड़ा लें तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2020-21 में 44.02 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। चीन को निर्यात 16.61 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 21.19 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले एवं धरती के विशाल भू-भाग में फैले 75 साल के युवा भारत के पास यूं तो बुलंदियां पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। परन्तु सत्यनिष्ठा के बिना आत्मनिर्भरता की कल्पना करना बेमानी है। खासकर भारत जैसे देश के लिए जिसे न सिर्फ एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को नित नए तरक्की के आयाम पर पहुँचना है बल्कि एक बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा करना है। “आईआईएम/संबलपुर की नींव रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नवाचार, सत्यनिष्ठा और समावेश प्रबंधन देश को आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद कर सकते हैं।” स्वच्छ प्रशासन आत्मनिर्भर समाज की जरूरत है। इसलिए कामकाजी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ समाज की सत्यनिष्ठा भी आवश्यक है। सत्यनिष्ठा का मतलब है अपने नैतिक मूल्य के प्रति ईमानदारी बरतना। “Integrity” शब्द का उदगम लैटिन भाषा के शब्द “Integer” से हुआ है जिसका अर्थ होता है सम्पूर्ण महसूस करना और ये सम्पूर्णता तब महसूस होती है जब हम ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं। जब लोग ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं तभी तनाव मुक्त व स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो पाते हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार भारत के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा रही है। इसलिए सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र या आम नागरिक जीवन, सबकी सत्यनिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता के पथ पर तेज गति होने से देश की अपेक्षाएं भी ज्यादा हो गई हैं।

अतः 130 करोड़ से अधिक की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की बहुत जरूरत है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि उभरते भारत की आवश्यकता: सत्यनिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता।

✱

भ्रष्टाचार के कारण

 विकास कुमार

तकनीकी सहायक/वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे

भ्रष्टाचार से समाज को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। यह हमारे सपनों के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। भ्रष्टाचार को यदि जड़ से उखाड़ फेंकना है तो हमें कई मोर्चों पर इससे लड़ना होगा। इनमें से एक है भ्रष्टाचार के कारणों पर लगाम कसना। इसके लिए हमें भ्रष्टाचार के कारणों का पता लगाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार के कुछ संभावित कारण निम्नलिखित हैं :-

- अत्यधिक विनियमन और लाइसेंसिंग।
- जटिल नियम।
- वस्तुओं/सेवाओं की सुपुर्दगी पर एकाधिकार।
- पारदर्शिता का अभाव।
- जवाबदेही का अभाव।
- अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति।
- खराब नियामक ढांचा।
- खराब शिकायत निवारण तंत्र।
- भ्रष्टाचार का पता लगाने में देरी।
- सामाजिक रूप से भ्रष्ट आचरण की निंदा का अभाव।
- मूल्यों, नैतिकता और सत्यनिष्ठा को विकसित करने की औपचारिक प्रणाली का अभाव।
- नियमित/आवधिक/आश्चर्यजनक (सरप्राइज) जांच की अपर्याप्तता।
- कठोर नौकरशाही ढांचा व प्रक्रियाएं।
- अधिकारों, कर्तव्यों, प्रक्रियाओं, नियमों, कानूनों आदि के बारे में जागरूकता की कमी।

आइए, हम एक साथ आगे आएँ और इन सभी कारणों का पता लगाकर इनका निराकरण करें। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी को समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह प्रण लेना चाहिए, न भ्रष्टाचार करें, न करने दें। तभी हम सबका आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।

✱

क्या करें और क्या ना करें

कार्य अनुबंध

संतोष कुमार

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत/पूमरे

क्या करें :

- प्राक्कलन और निविदा अनुसूची को अंतिम रूप देने के पूर्व बाजार दर का सर्वेक्षण करें, निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य सूची में दिए गए दर का ध्यान रखें तथा यथोचित एवं वास्तविक दर की विवेचना करें।
- रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा-निर्देश के अनुसार एन आई टी और निविदा दस्तावेज में पात्रता मानदंड और समतुल्य कार्य का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- आपात स्थितियों को छोड़कर, समुचित रेस्पांस को प्रोत्साहित करने हेतु निविदाओं को खोलने के लिए पर्याप्त एवं उचित नियमानुकूल समय दी जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लें कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निर्दिष्ट सक्षम स्तर के अधिकारियों की निविदा समिति का गठन वर्तमान आदेशों के अनुसार हुआ हो।
- निविदा में ईएमडी, एसडी, पीजी की शर्तें मौजूदा नियम के अनुसार होनी चाहिए।
- विलंबित/देर से आए हुए निविदाओं को वर्तमान नियमों के अनुसार निष्पादित करें।
- रिग/कार्टल गठन की पहचान करने के लिए सहयोगी संस्थाओं की शिनाख्त करने का प्रयास करें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा समिति की कार्यवृत्त में दर के औचित्य का विस्तृत विवरण हो। यह सिर्फ पहले की स्वीकृत दर के संदर्भ में ही नहीं होना चाहिए बल्कि बाजार दर और अन्य कारकों, जो कि दर्शाए गए दर में भी हो सकता है, को ध्यान में रखने के बाद किया गया हो।
- प्रत्येक एकल मद के साथ-साथ कुल लागत के संबंध में दर की औचित्य पर पहुँचने के लिए समरूप या सदृश/निकटवर्ती क्षेत्र में समान मद के बारे में उपलब्ध संदर्भित सूचनाओं का ध्यान रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि विशेष कर महत्वपूर्ण एकल मद के कुल लागत और दर दोनों के मामले में दर की तार्किकता गंभीर, तार्किक और तकनीकी रूप से जाँच ली गई हो।

Do's and Don'ts

Works Contract

 **Santosh Kumar**
Dy. CVO/Electrical/ECR

DO'S:

- Survey market rate, consider the rate offered by the manufacturers/supplier on the rates quoted in the price list and make a proper & realistic rate analysis before finalizing the estimate and tender schedule.
- Ensure incorporation of eligibility criteria, similar nature of work strictly as per Railway Board/HQ's guidelines in NIT and tender document.
- Allow the prescribed time for opening of a tender to encourage proper response-except in exigencies with the approval of competent authority.
- Ensure that tender committee is constituted of competent level of officers specified as per extant orders nominated by competent authority.
- EMD, SD, PG conditions in the tender should be as per extant rule.
- Deal the delayed/late tenders as per extant rules.
- Attempt identification of sister concerns to detect ring/cartel formation.
- Ensure detailed deliberation of reasonableness of rates in the tender committee minutes. This should not only be with reference to previously accepted rates but also after taking into account of market rates and other factors which may have bearing on quoted rates.
- Consider all the relevant information available about similar items in the same or similar/adjoining areas for arriving at reasonableness of the rate in respect of individual items as well as total cost.
- Ensure that the reasonableness of rates is examined critically, logically and technically and specifically, both in respect of total cost and rates of important individual items.

- प्रस्तावों की परस्पर स्थिति सही होने की स्थिति पर पहुंचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विशेष शर्तों के साथ वित्तीय विवक्षा प्राप्त कर ली गई हो।
- प्रस्ताव और विशेष सिफारिश के मामलों में निविदाकर्ता के लिए दी गई शर्तों पर पूरा सोच-समझ लें और इन्हें निविदा समिति के कार्यवृत्त में अवश्य दर्ज कर दें।
- ध्यान रखें Negotiation एक अपवाद होना चाहिए न कि नियमित (जहां दर तार्किक रूप से ज्यादा न हो और पुनः टेंडर करना संभव और वांछनीय न हो)।
- न्यूनतम वैध निविदा दाता से दर का मोल-भाव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से होना सुनिश्चित करें।
- यदि न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं हो तो इसे अनदेखा करने के लिए संबंधित प्रमाणिक और विस्तृत विवरण दर्ज करें।
- यह सुनिश्चित करें कि निविदा समिति के कार्यवृत्त में संबंधित सूचना जैसे तिथि, मीटिंग का स्थान एवं तिथि के साथ सभी सदस्यों का हस्ताक्षर बना हुआ है।
- असहमति नोट के साथ निविदा समिति के संस्तुतियों को सावधानी से संसाधित करें।
- सिर्फ निविदा समिति के कार्यवृत्त में स्वीकृति या अन्यथा को दर्ज करें और पन्नों पर ठीक प्रकार से नंबर डालें।
- कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्मुक्त होने वाले सामानों की संयुक्त निरीक्षण कर सूची बनाएं।
- कार्य समाप्ति के पहले सुनिश्चित करें कि निर्मुक्त हुए सामानों को लेखा में लिया गया है।
- संवेदक को जारी किए गए रेलवे सामग्रियों का उचित लेखा जोखा रखें।
- कार्य शुरू होने से पहले संवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निरीक्षण एवं पासिंग सुनिश्चित करें तथा रेकार्ड का उचित रख रखाव करें।
- संवेदक को सामग्री सिर्फ अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से एवं कार्य प्रगति के अनुसार ही जारी करें। कार्यों के संपादन के दौरान प्रमाणिक अनुमोदित आरेख एवं विशेष विवरण जैसे RDSO/IS का अनुकरण करें।
- निविदा के शर्तों के अनुसार कार्य के सम्पादन हेतु योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए जोर डालें।

- Ensure that all special conditions having financial implications are evaluated to arrive at correct inter-se position of the offers.
- Deliberate on all the conditions put forth for the tenderer in the offer and specific recommendation in respect of those conditions and it must be recorded in TC minutes.
- Remember negotiations should be an exception and not on regular basis.
- Ensure negotiation with lowest eligible tenderer only after getting approval of competent authority.
- Record relevant, valid & detailed reasons for overlooking the lowest offer if it is not acceptable.
- Ensure that the tender committee minutes contain the relevant information as the date, venue of the meeting and dated signature of all members.
- Treat the TC recommendation with dissenting notes carefully.
- Record the acceptance or otherwise on the body of the tender committee minutes only and pages should be correctly numbered
- Joint inspection of inventory is to be carried out for the material to be released before commencement of the work.
- Ensure all released materials are taken into account before work completion.
- Keep proper accountal of Railway materials issued to the contractors at the site of work
- Ensure inspection and passing of materials supplied by contractors before used in work. Maintain proper records.
- Issue materials to the contractors only through authorized agents and control the issues commensurate with progress of work. While execution or works, follow the standard drawings & specification like RDSO/IS.
- Insist for qualified technical supervisors for execution of works as per contract conditions.

- कार्य कराते समय करारनामा में अंकित स्पेसीफिकेशन एवं नवीनतम संशोधित आरेख का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
- रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों, संयंत्र और कल पुर्जों का भाड़ा खर्च की वसूली कार्य के तुरन्त बाद संवेदक के क्रियाशील बिल से सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मद में अतिरिक्त कार्य सम्पादन के पहले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित करें ताकि करार दुषित न हो।
- मापन पुस्तिका में मापों को अंकित करने में Engineering Code के पारा 1315 एवं 1322 का अनुसरण करें। मापें निर्दिष्ट स्थानों के साथ अंकित होने चाहिए।
- Field book को अनुरक्षित करें जिसमें दैनिक प्रगति का विवरण कार्यस्थल के कार्य प्रगति के सापेक्ष अंकित करें।
- कार्यस्थल पुस्तिका को अनुरक्षित करें जिसमें अधीनस्थ कार्यपालकों एवं संवेदक को दिए गए निर्देश सम्मिलित हो।
- आपूर्ति सामग्रियों को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ब्यौरा संविदा करारनामा के अनुसार हो।
- संपादित कार्यों का 20% परीक्षण जांच, मदवार एवं स्थान को दर्शाते हुए किया जाना चाहिए।
- संवेदक द्वारा अनुसूचित आपूर्ति सामग्री को DMTR खाता में उचित चालान एवं जांच प्रतिवेदन के साथ लेना चाहिए।
- कम्पनी को मॉगपत्र एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र जमा करने के पश्चात की संवेदक प्रतिनिधि को कार्य करने हेतु सामग्री निर्गत करना चाहिए।
- केवलों के बिछाने हेतु केबल खन्दक की गहराई ईंटों, बालू का प्रावधान इत्यादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- DMTR एवं अंतरणों को प्रतिदिन जरूर बन्द करें एवं सप्ताह में एक बार DMTR पर आदयाक्षर करें।
- दर संविदा वस्तुओं के बिल पारित करते समय दर संविदा के शर्तों के अनुसार वारंटी प्रमाण पत्र हेतु जोर दें।
- सामग्रियों के निरीक्षण प्रमाण पत्र को संविदा के मांग के अनुसार सत्यापित करें।
- निरीक्षण प्रमाण पत्र पारित करने से पहले DMTR को सत्यापित करें।

- Refer the specifications & drawings thoroughly along with latest amendments as mentioned in the agreement.
- Ensure recovery of cost of materials supplied by Railways, hire charges for tools & plants etc. from the contractors running bills immediately after their use.
- Ensure prior administrative approval of competent authority before executing additional quantities in each item so that the contracts are not vitiated.
- While recording measurements in the MB follow the Engineering Codes 1315 and 1322. The measurements recorded should be specific with locations.
- Maintain field Book consisting of details of daily progress recording particulars with reference to works in progress location.
- Maintain site order book consisting of instruction issued to the Executive, sub-ordinate and contractor.
- Ensure before accepting the materials for their make and specification as per contract agreement.
- The 20% test check should be specific with item and the location of the work checked.
- Supply portion in schedule by contractor should be taken into DMTR account with proper invoice bills and test reports.
- Issues of materials to contractor representative for execution should be done duly after receipt of requisition of firm and after submission of INDEMNITY bond.
- For laying of cables in cable trench proper care to be taken regarding depth, provision of bricks, sand cushion etc.
- DMTR transactions must be closed on every day and initial the DMTR once in a week.
- Insist for warranty certificate as per terms of rate contract while passing bills for RC items.
- Verify inspection certificate as per contract requirements.
- Verify the DMTR before passing inspection certificate.

क्या न करें :

- प्राधिकारी विशेष के स्वीकृति की शक्ति के अंतर्गत कार्य की कीमत रखने के लिए कार्य की निविदा बुलाने के निहित, कार्य को विभाजित न करें।
- पात्र ठेकेदारों की सहभागिता को सीमित करने के लिए, अनावश्यक / अप्रासंगिक शर्तें न लगाए।
- निविदा खुलने के पश्चात प्रस्ताव (प्रस्तावों) में संशोधन को शामिल न करें।
- अन्य मामलों / समीपवाले क्षेत्र में उसी निविदाकर्ता को अन्य ठेका देते समय खराब निष्पादन के आधार पर प्रस्ताव / निविदा अस्वीकृत न करें।
- प्राप्त प्रस्ताव के विचार के दौरान निविदा आमंत्रित करने के दौरान दिए गए पात्रता मानदंड में बदलाव न करें।
- निविदा समिति गठित हो जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन एवं उचित मान्य कारण (यदि कोई हो) दर्ज किए बिना निविदा समिति के सदस्यों को न बदलें।
- निर्दिष्ट अपवादात्मक परिस्थितियों के अलावा विलंबित / देर निविदा पर विचार न करें। (निविदा के आमंत्रण में देरी होने की स्थिति में इसे विचारार्थ रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है)।
- यदि आप निविदा समिति के सदस्य हैं तो स्वीकृति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग न करें।
- निविदाओं पर विचार करते समय निविदा को खुलने या मोल तोल करने के पश्चात निविदाकर्ताओं के पत्र / अभ्यावेदनों पर विचार न करें।
- निविदा समिति द्वारा विचार नहीं किए जानेवाले आशोधित प्रस्तावों पर विचार न करें।
- किसी प्रस्ताव विशेष के सुयोग्यता या अन्यथा पर निविदा समिति के विवेचना से पूर्व प्रतिक्रिया न दें।
- संस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को प्रभावित करने के लिए विशेष शर्तों का मूल्यांकन करने में असंगतियों को न आने दें।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी गैर-अनुसूची मदों को परिचालित / समाविष्ट न करें। अपवादात्मक मामलों में जहां ऐसा किया हो जाना हो वहां आवश्यक साइट रिकार्ड अनुरक्षित करें।
- किसी निविदा के कार्य के बड़े मद के मामले में एकल मद का असामान्य रूप से ऊँचा और अव्यावहारिक दर स्वीकार न करें।

Don'ts :

- Do not split work to call separate tenders to keep the value of the work within acceptance powers of a particular executive.
- Do not restrict the participation of all eligible contractors by including unnecessary/irrelevant special conditions.
- Do not entertain modification to offer(s) subsequent to opening of the tenders.
- Do not reject the offers/tenders on account of poor performance while awarding another work to the same tenderer in other cases/adjacent areas.
- Do not alter the eligibility criteria laid down while calling tender during consideration of the offers received.
- Do not change the TC members once constituted, without prior approval of competent authority and proper valid recorded reasons, if any.
- Do not consider delayed/late tenders except under specified exceptional circumstances. (It requires RB's approval to consider late/delayed offer).
- Do not exercise the powers of the accepting authority in case you have been a member of the tender committee.
- Do not entertain letters/representations of tenderers subsequent to the opening or negotiation while considering of tenders.
- Do not accept modified offers, not considered by the Tender Committee.
- Do not advise the tender committee prior to their deliberations on the suitability or otherwise of any particular offer.
- Do not allow anomalies in evaluation of special conditions to affect the acceptance of the offer recommended.
- Do not operate/incorporate any new non-schedule items without sanction of the competent authority. In exceptional cases where it has to be done, maintain necessary site records.
- Do not accept the individual item rates abnormally high and unworkable in respect of major items of work in a tender.

- जहाँ एक या अधिक शेड्यूल आइटमों को मिलाकर काम किया जाना संभव हो, नन शेड्यूल आइटम से कार्य नहीं करना चाहिए।
- एक कार्यस्थल पर दो या अधिक संस्था को अनुमति न दें।
- संवेदक को ज्यादा मुनाफा वाली मदों के कार्यों को उसके इच्छानुसार पहले संपादन करने की अनुमति न दें ताकि संवेदक में पूरे कार्य को सम्पन्न करने की रुचि बनी रहे।
- बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के अनुसूची में दी गई मात्रा से ज्यादा सामग्री को स्वीकार न करें।
- एक संस्था द्वारा आंशिक रूप से छोड़े हुए कार्यों को सम्पादन हेतु किसी अन्य संस्था को अनुमति देने के पहले अंतिम माप ले लें एवं उसे पूर्व संवेदक एवं नवीन संवेदक से स्वीकृत करा लें।
- संवेदक द्वारा किए गए विभागीय उपकरणों के उपयोग के बिल की वसूली को संवेदक के अंतिम बिल तक इकट्ठा न होने दें।
- कार्य के परिपूर्ण मदों का भुगतान कार्य स्थल पर सामग्री आने मात्र से न करें जबतक कि संवेदक इसे कार्य की मदों के अनुसार उपयुक्त स्थान पर लगा न दे।
- अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों की माप पुस्तिका पर अंकित न करें।
- बिना उचित प्राधिकार के वाह्य उपभोक्ता/संवेदक को बिजली की सप्लाई न दें।
- कार्य के दौरान निम्नवत् हुए सामान का करार की शर्तों के अनुसार लेखा जोखा किए बिना कार्य की माप न करें।
- माप पुस्तिका को बिना कार्य संपादन के न भरें।
- आपूर्ति सामग्री बिना सही जाँच के न स्वीकार करें।
- कार्यस्थल की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना श्रमिक हिस्सा परिचालित न करें।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना RDSO/RITES निरीक्षण को प्रेषणी निरीक्षण में न बदलें।
- मूल पर्चा एवं चालानों के बिना सामग्री स्वीकार न करें।
- कार्य के संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अनुमोदन बिना कार्यस्थल को परिवर्तित न करें।

*

- Don't operate non- scheduled items where it is possible to do work as per schedule or a combination thereof.
- Don't allow two or more firms to execute work at one site.
- Don't allow the contractor first execute only those items considered more profitable at discretion, so that contractor's interest in completing the whole works remains.
- Don't accept the materials more than the scheduled quantity without obtaining approval from competent authority.
- Don't allow execution of partly left over works by another agency before taking final measurements of earlier contract and getting them accepted both by the old and the new contractor.
- Don't allow recoveries on accounts of use of departmental machinery by contractors to be accumulated up to the final bill.
- Don't make payment of a finished item of work on mere arrival of the material at site unless it is fixed in position as per description of the item of work.
- Don't record the measurements for such works, which are Incomplete/ defective.
- Don't extend the temporary power supply to outsiders/ contractors without proper authority.
- Don't record the measurement towards dismantling/releasing work without ensuring proper accountable of released materials as per contract conditions.
- Don't Record measurements without carrying out the work.
- Don't accept materials supply without proper inspection.
- Don't operate labour portion without ensuring site requirements.
- Don't change RDSO/RITES Inspection to consignee inspection without approval of Competent Authority.
- Don't accept the material without original bills and invoices.
- Don't deviate the location without approval of sanctioning authority of the work.

*

Do's and Don'ts

SELECTIONS

 **Ujjawal Anand**
Dy. CVO (A&P)/ECR

Do's :

- ✓ The number of vacancies should be correctly assessed and approved before issuing notification for selection.
- ✓ Notification should clearly indicate category wise (SC/ST/UR) breakup.
- ✓ Authority approving issue of notification must ensure that Personnel department (RP cell) has examined and vetted the community wise break up of vacancies.
- ✓ This is to ensure that vacancies are as per applicable Post based Roster.
- ✓ Pre-promotional training of stipulated duration for SC/ST candidates should be ensured.
- ✓ If a change is introduced in the condition of eligibility after the call for applications or after the selection has started ensure that opportunity is given to all candidates who may have become eligible according to the revised conditions of eligibility.
- ✓ Selection committee should be constituted as per Railway Board's guidelines.
- ✓ Copy of latest Railway Board instructions/guidelines should be made available by the Personnel department to selection committee members at the time of nomination itself.
- ✓ Members of selection committee especially question paper setter and evaluator should ensure that they have received latest instructions/guidelines before setting the paper or starting the evaluation work.
- ✓ As per RBE/96/18 the question paper in all promotional exams will henceforth be 100% objective type. Further all the questions will be of multiple choice only.
- ✓ Till the time preparation for Computer Based Test (CBT) has been made, test may be conducted on OMR sheets, which shall have a carbon copy, which shall be kept in safe custody.
- ✓ There shall be negative markin for incorrect answers. One third of the marks allotted for wrong answers.
- ✓ Paper setter should provide model answers for uniform and faster evaluation.
- ✓ Answer sheets should be coded as soon as written test is over.

- ✓ The answer sheets with dummy numbers/codes and those without any visible identification signs (like 'jai', 'om' etc) only should be evaluated.
- ✓ Evaluation of answer sheets should be in indelible ink and in no case should a lead pencil be used.
- ✓ Marks awarded by the evaluator for each question should be tabulated on the top sheet.
- ✓ Delay in evaluation by more than two months should be brought to the notice of DRM or HOD. Delays of more than three months should be brought to the personal notice of the General Manager.
- ✓ Marks sheet indicating code nos. and marks obtained duly signed should be given to the personnel branch.
- ✓ Evaluated answer books along with model answer should be handed over to Personnel department.
- ✓ Result of written examination should be declared and widely circulated.
- ✓ Marks awarded for records of service etc should be based on details of ACR gradings, awards etc duly worked out and such detail should be part of selection proceedings.
- ✓ Ensure that the evaluation chart prepared is signed by all the members of the selection committee.

Don'ts:

- ✗ Do not nominate an officer in the Selection Board/Committees, if his name is borne on the agreed/secret list.
- ✗ Do not change the constitution of the Selection Board/ Committee for a Selection except when unavoidable.
- ✗ Vacancies should not be altered once the notification is issued.
- ✗ Do not allow delays between various stages of Selection process, particularly between Written Test, evaluation of answer sheets, viva Voce and publication of result.
- ✗ Do not have the evaluation of Answer Sheets done by someone else unofficially.
- ✗ Do not use a lead pencil for allotting marks.
- ✗ Don't do corrections in marks once given by erasing, cutting, over-writing etc.
- ✗ Evaluator is not permitted to review their evaluation and to award marks keeping in mind the percentage of pass marks with a view to bringing more candidates into zone of viva-voce. Marking should be strictly as per content and correctness of answers.
- ✗ Do not give marks for questions attempted in excess of the number of questions required to be answered.
- ✗ Do not forget to date your signature in the selection proceedings.

*

क्या करें और क्या ना करें

भंडार संबंधित मामले

 उदयाचल कुमार

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)/पूमरे

GeM

क्या करें :

1. GeM पोर्टल के वेब पते के रूप में www.gem.gov.in का उपयोग करें, क्योंकि यह GeM के लिए प्रामाणिक वेबसाइट है।
2. हमेशा GeM वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशानिर्देशों के साथ खुद को अपडेट करें।
3. GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को GeM से ही खरीदा जाना चाहिए।
4. निविदा/बोली तैयार करते समय नन-स्टॉक मद के मामले में consignee द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों/विवरण का और स्टॉक मद के मामले में पीएल विनिर्देश का पालन करना चाहिए।
5. एनआईटी में निरीक्षण खंड को अनुमान के मूल्य के अनुसार और रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार जोड़ा जाना चाहिए।
6. यदि Purchase Item को इंस्टालेशन की भी आवश्यकता है, तो मांग को तदनुसार प्रशासनिक अनुमोदन, वित्त सहमति और अन्य आवश्यक अनुमोदन/प्रमाणन के बाद तैयार किया जाना चाहिए। बाद के चरण में विवाद से बचने के लिए Bid condition में भी उस बारे में स्पष्ट रूप से नियम और शर्त की घोषणा करें।
7. GeM पर 'तुलना के बाद direct order' के मामले में, तकनीकी रूप से समान उत्पादों के बीच ही तुलना की जानी चाहिए।
8. यदि किसी वस्तु को एएमसी/सीएमसी के साथ खरीदा जाना है, तो संबंधित डीएस-2 में भी मौजूदा नियमों के अनुसार उचित पुनरीक्षण, सहमति, अनुमोदन, प्रमाणीकरण के साथ उसे शामिल करना चाहिए।
9. स्वीकृत कार्यों के मामले में जहां विस्तृत आकलन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, और नन-स्टॉक मांगों के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, उस समय डीएस-2 पर विवरण वही होना चाहिए जैसा कि स्वीकृत कार्यों में उल्लिखित है।

Do's and Don'ts

STORES MATTERS

 **Udyachal Kumar**
Dy. CVO (Stores)/ECR

GeM

Do's :

1. Use www.gem.gov.in as web address for GeM portal, as it is only authentic website for GeM.
2. Always update yourself with latest guidelines available on GeM website.
3. Goods and services available on GeM should be purchased from GeM only.
4. Tender/Bid should be prepared in align with specification provided by consignee in case of non-stock item and as per PL specification in case of stock item.
5. Inspection clause should be added in NIT as per value of estimate and according to prescribed rules and guidelines provided by Railway Board.
6. If the product requires installation, the demand should be made accordingly followed by administrative approval, finance concurrence and other necessary approval/certification. In bid also explicitly declare the term and condition about same, to avoid the room of dispute at later stage.
7. In case of “direct order after comparison” on GeM, comparison should be done among technically suitable products only.
8. If an item has to be purchased with AMC/CMC, related DS-2 should incorporate same, with proper vetting, concurrence, approval, certification as per existing rules.
9. In case of sanctioned works where detailed estimate has been sanctioned already, and vetting of NS requisitions is not required, description on DS-2 should be same as mentioned in sanctioned works.

10. जहां कहीं भी गुड्स का कुल मूल्य खरीद प्रस्ताव के अनुमानित मूल्य का प्रमुख हिस्सा (सत्तर प्रतिशत) बनता है, ऐसे मामलों में खरीद को गुड्स की खरीद के रूप में माना जाएगा और तदनुसार खरीद की जाएगी (आरबी पत्र संख्या: 2020/आरएस(जी)/779/12 दिनांक 18.02.2021) ।
11. GeM से उत्पाद या सेवा खरीदते समय, दर की तर्कसंगतता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
12. सामग्री प्राप्त होने के बाद, निरीक्षण, स्वीकृति/अस्वीकृति, बिल प्रक्रिया और भुगतान GeM SPV द्वारा दी गई समय सीमा में किया जाना चाहिए।
13. ईएमडी, एसडी और पीबीजी क्लॉज को GeM और रेलवे बोर्ड के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।
14. देरी से आपूर्ति, आपूर्ति की विफलता, आपूर्ति की गई सामग्री की गैर-मानक गुणवत्ता या किसी अन्य पहलू के संबंध में रेलवे परेशिती द्वारा GeM पोर्टल पर शिकायत दर्ज किया जाना चाहिए और यदि उस शिकायत का समाधान नहीं होता है तो 10 दिन के बाद उसे अगले स्तर पर ले जाना चाहिए।
15. क्रेता के खिलाफ GeM पर की गई शिकायत का जवाब क्रेता के द्वारा GeM पोर्टल पर देना चाहिए। शिकायत की अधिसूचना स्वचालित रूप से GeM लॉगिन खाते के साथ जुड़ी ईमेल पर प्राप्त होती है।
16. GeM पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते समय, निविदा समिति का गठन और SOP का उपयोग, RB पत्र संख्या: 88/RS(G)/779/14/ pt dt 07.02.2020 या तदोपरांत नवीनतम जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

स्क्रेप बिक्री के लिए ई-ऑक्शन

क्या करें :

1. Reserve price का निर्धारण उसी प्रकार के स्क्रेप वस्तु की पिछली नीलामी में प्राप्त बोलियों और उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर होना चाहिए। इसे नीलामी संचालन अधिकारी द्वारा तय किया जाना चाहिए।
2. Reserve price का निर्धारण और आरपी रजिस्टर का रख-रखाव रेलवे बोर्ड के नवीनतम नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

10. Wherever the aggregate value of goods component forms the major part (70 % i.e seventy percent) of the estimated value of the procurement proposal, the procurement in such cases shall be considered as goods procurement and procured accordingly(RB Letter no: 2020/RS(G)/779/12 dated 18.02.2021).
11. While purchasing product or hiring services from GeM, rate reasonability must be ensured.
12. After receipt of material, inspection, acceptance/rejection, bill process and payment should be done in the time frame given by GeM SPV.
13. EMD, SD and PBG clause should be incorporated as per GeM and latest railway board guidelines.
14. In case of any complain or grievance of railway consignee regarding late supply, failure of supply, non-standard quality of supplied material or any other aspects should be submitted on GeM portal and if the same grievance not get resolved should be escalated after 10 days.
15. All the buyer of GeM should give reply of incidence raised against him/her on GeM. Notification regarding raised incidence get received automatically on email address which added with GeM login account.
16. While purchasing of goods and services on GeM, the formation of tender committee and application of SOP should be as per RB Letter no:88/RS(G)/779/14/pt dt 07.02.2020 or any further latest guidelines.

E-Auction for scrap sale:

Do's :

1. Reserve Price should be based on the bids obtained at past auctions for similar item of scrap and other information available. It should be fixed by auction conducting officer.
2. Fixation of Reserve Price and maintenance of RP register should be as per latest rules and guidelines of railway board.

यूडीएम

क्या करें :

1. सामग्री के लिए मांग (एस-1313 एवं एस-1830) केवल यूडीएम के माध्यम से तैयार की जानी चाहिए।
2. गैर-स्टॉक मदों का लेखा परेषिती द्वारा यूडीएम में होना चाहिए।
3. स्टॉक के ग्राउंड बैलेंस से मिलान करने के लिए प्राप्ति और निर्गत को यूडीएम में नियमित आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए।
4. वस्तुओं की मांग पत्र तैयार करने के लिए, रेलवे के पूंजीगत धन की रुकावट को रोकने के लिए, अन्य कारकों के साथ-साथ यूडीएम में उपलब्ध स्टॉक पर भी विचार किया जाना चाहिए।

क्या ना करें :

1. गैर-स्टॉक मदों की प्राप्ति के लेखाकरण में कभी भी देरी न करें, जिससे की फर्म को आपूर्ति की गई सामग्री के बदले समय पर भुगतान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

निविदा

क्या करें :

1. खरीद के लिए सामान्य विवरण/विनिर्देशों को अपनाएं।
2. खरीद योग्य मात्रा जरूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. निविदा के बाद के चरण में किसी भी संशोधन से बचें।
4. प्रस्तावों पर विचार करते समय दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करें। इस दौरान न सिर्फ अंतिम स्वीकृत दर के साथ होना चाहिए बल्कि वर्तमान बाजार दरों पर भी विचार करना चाहिए।
5. न्यूनतम दर के प्रस्तावों को अस्वीकार करते समय स्पष्ट कारण दर्ज करें।
6. संभावित आपूर्तिकर्ता को निविदा में भाग लेने से रोकने के लिए अस्पष्ट एवं पक्षपातपूर्ण विवरण से बचें।

क्या ना करें :

1. खरीद को निचले प्राधिकरण की शक्ति के भीतर लाने के लिए मांग की मात्रा को विभाजित न करें।
2. पीएसजी जारी किए जाने के अलावा विशिष्ट ब्रांड के लिए विवरण न अपनाएं।
3. अपंजीकृत, अनधिकृत फर्म (अर्थात जो फर्म अनुमोदित सूची में नहीं हैं) को प्रतिबंधित स्रोत से क्रय की जाने वाली वस्तुओं के लिए tender enquiry न दें।

✱

UDM

Do's :

1. Requisition for materials (S-1313 & S-1830) should be generated through UDM only.
2. Accountal of Non-stock items should be in UDM by consignee.
3. Receipt and issue should be updated on regular basis in UDM to match the ground balance of stock.
4. To generate demand of items, stock available in UDM should also be considered along with other factors to prevent the blockage of capital money of railway.

Don'ts :

1. Never delay in accountal of receipt of non-stock item, which may prevent the firm to get payment on time in lieu of supplied material.

Tender

Do's :

1. Adopt generic description/ specification for procurement.
2. Procurable quantity should not be more than occasion of demands.
3. Avoid any modification at post tender stage.
4. Ensure reasonableness of rates while considering the offers. This should not only be with last accepted rate but also take consider of current market rates.
5. Ensure that while passing over the offers, specific reasons are recorded.
6. Avoid jargon description to eliminate potential supplier.

Don'ts :

1. Do not a split the indent quantity to bring the purchase within the power of lower authority.
2. Do not adopt description for specific brand except when PAC is issued.
3. Do not give enquiry to unregistered, unauthorized firm (i.e firm not in approved list), for the items which are restricted to be purchased from restricted source.

*

क्या करें और क्या ना करें

यातायात

बी. एन. लाल

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / यातायात / पूमरे

क्या करें :

- ✓ जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाये रखें।
- ✓ उच्च नैतिक मानदंड एवं ईमानदारी बनाये रखें।
- ✓ ड्यूटी आरंभ करने से पहले निजी धन की घोषणा अवश्य करें।
- ✓ समय से कार्य पर उपस्थित हों।
- ✓ अनुशासन की मजबूत भावना बनाये रखें।
- ✓ उचित स्थान पर आरक्षण तालिका प्रदर्शित करें।
- ✓ समेकित यात्रा भत्ता, महीने में 20 दिनों से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर ही दावा करें।
- ✓ पॉलिसी गार्ड लाईन के तहत लीज में दिये गये भी.पी.यू. एवं एस.एल. आर. में लादे गये माल का वजन प्रस्थान स्टेशन पर हर पांचवें दिन सुनिश्चित करें।
- ✓ पाली बदलते समय उचित कार्यभार सौंपना एवं कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- ✓ चल टिकट परीक्षक अपनी बीट के अनुसार ड्यूटी सुनिश्चित करें।
- ✓ परिदान से पूर्व प्रत्येक आवक पार्सल का माप एवं तौल अवश्य करें।
- ✓ चल टिकट पर्यवेक्षक अपने मूवमेन्ट रजिस्टर को अवश्य ही अद्यतन रखें।
- ✓ प्रत्येक मुद्रण पुस्तिका का प्रयोग करते समय दोनों तरफ कार्बन का प्रयोग अवश्य करें।
- ✓ भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण के उन्मूलन में तत्पर रहें।

क्या ना करें:

- रिश्वत न मांगें एवं न स्वीकार करें।
- नशे की हालत में ड्यूटी पर न आवें।
- स्टेशन परिसर में धूमपान न करें।
- सरकारी धन विलम्ब से जमा न करें।
- यदि नियंत्रक की ड्यूटी न करते हों तो तनाव भत्ता का दावा न करें।
- ड्यूटी के दौरान निर्दिष्ट पोशाक नहीं पहनते हों तो पोशाक भत्ता न लें।
- लगातार डबल ड्यूटी न करें।
- सुविधा पास का उपयोग एक बार से ज्यादा न करें।
- बिना रात्रि ड्यूटी किये रात्रि भत्ता का दावा न करें।
- पेपर टिकट में किसी भी तरह का सुधार या कटिंग न करें।
- स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंसी से प्रत्येक पाली में सरकारी धन जमा करवाना न भूलें।
- बिना परिवर्तित किये सुविधा टिकट पर यात्रा की अनुमति न दें।
- किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा न करने दें।

✽

Do's and Don'ts

Traffic

 **B. N. Lal**

Dy. CVO (T)/ECR

Do's :

- ✓ Maintain courtesy and good behaviour with the people.
- ✓ Maintain high ethical standard and honesty.
- ✓ Must declare private cash before commencement of duty.
- ✓ Must report duty in time.
- ✓ Must maintain strong sense of discipline.
- ✓ Ensure proper display of reservation chart.
- ✓ CTA (Consolidated Travelling allowance) should only be claimed, if more than 20 days away from headquarter in a month.
- ✓ Weighment of leased SLR/VP must be conducted at originating station on every 5th day as per policy guidelines.
- ✓ Proper handing over/taking over at the time of shift change to be ensured.
- ✓ TTEs must travel/perform duty as per their beat.
- ✓ Each inward parcel packages must be weighed and measured before making delivery.
- ✓ Must maintain TTEs movement dairy.
- ✓ Must use both side carbon on all money value book.
- ✓ Work for weeding out corruption and unethical practices.

Don'ts :

- Solicit or accept gratuities.
- In a state of intoxication on duty.
- Smoke on station platform.
- Must not late submit the Government cash.
- Don't claim the stress allowance if not actually working as Controller.
- Don't claim the dress allowance, if you are not wearing specific dress during duty hours.
- Never perform double duty at a stretch.
- Don't use Railway privilege pass more than once for journey.
- Must not claim false night duty allowance.
- Corrections in paper ticket is prohibited.
- Must not forget to take Govt. cash from STBA in each shift.
- Must not allow traveling on un-exchanged privilege ticket order.
- Don't allow journey on transfer of ticket.

*

क्या करें और क्या ना करें

इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे-ब्रिज (ईआईएमडब्ल्यूबी) का रखरखाव

 अवनीश कुमार,
मुख्य सतर्कता निरीक्षक / यांत्रिक

क्या करें:

- ✓ ईआईएमडब्ल्यूबी का संबंधित अधिकारियों से निर्धारित आवृत्ति के अनुसार अंशशोधित किया जाना चाहिए।
- ✓ राज्य सरकार के माप-तौल विभाग द्वारा ईआईएमडब्ल्यूबी का वार्षिक मुद्रांकन एवं सत्यापन किया जाना चाहिए।
- ✓ संदर्भ वैगन द्वारा ईआईएमडब्ल्यूबी का अंशांकन निम्नानुसार लिया जाना चाहिए— पहला संदर्भ खाली वैगन द्वारा, दूसरा संदर्भ वैगन के सकल वजन 40 टन द्वारा, तीसरा संदर्भ 50 टन वैगन द्वारा, चौथा संदर्भ 70 टन, पांचवां संदर्भ 90 टन सकल वैगन का वजन। ये वास्तविक तौल सीमा में क्रमबद्ध कर उचित अंशांकन सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ डिजिटाइजर और कंट्रोल पैनल को वार्षिक मुद्रांकित करने के बाद वाणिज्य, यांत्रिक, सेवा प्रदाता के पर्यवेक्षकों और माप-तौल विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से बंद एवं सील किया जाना चाहिए।
- ✓ किसी भी बड़े ब्रेकडाउन के बाद, जिसमें माप-तौल विभाग द्वारा सील किए गए वे-ब्रिज के हिस्से शामिल हैं, ईआईएमडब्ल्यूबी को संबंधित राज्यों के माप-तौल विभाग से अनिवार्य रूप से फिर से मुहर लगानी चाहिए जहां ईआईएमडब्ल्यूबी स्थापित है।
- ✓ ईआईएमडब्ल्यूबी का एफओआईएस से एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे एफओआईएस में वजन विवरण दर्ज किया जा सके।
- ✓ तौल सेतु के खराब रहने और अनुरक्षण का उचित अभिलेख तुलाई स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- ✓ यह सुनिश्चित किया जाए कि ईआईएमडब्ल्यूबी का वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं माप-तौल विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण वार्षिक मुद्रांकित एवं प्रमाणन के छः माह बाद हो।

Do's and Don'ts

Upkeepment of Electronic In Motion Weighbridge (EIMWB)

 **Avanish Kumar**

CVI/Mechanical

Do's :

- ✓ The EIMWB must be calibrated as per laid down frequency from concern authorities.
- ✓ EIMWB must be annually stamped and verified by Weight & Measure department of state government.
- ✓ Calibration of EIMWB by reference wagon should be taken as follows, 1st reference by empty wagon, 2nd reference by gross weight of wagon 40 ton, 3rd reference by 50 ton wagon, 4th reference by 70 ton, 5th reference by 90 ton gross weight of wagon. These will ensure proper calibration of the weighbridge in the actual weighment range.
- ✓ Digitiser and control panel must be locked and sealed jointly by the supervisors of commercial, mechanical, service provider and officials of weight & measure department (W&M) after annual stamping.
- ✓ After any major breakdown attention which involves parts of weighbridge sealed by Weight & measure department, the EIMWB should invariably got re stamped from the W& M Department of respective states in which EIMWB is installed.
- ✓ FOIS integration of EIMWBs must be ensured, so that Weighment details directly captured in the FOIS without any manual intervention.
- ✓ Proper record of weighbridge remaining out of order and maintenance should be kept at weighment location.
- ✓ Ensure that joint inspection of EIMWB by Sr. Scale or JAG officers of the division shall be conducted preferably 6 month after annual stamping and certification by Weight & Measure Department.

- ✓ ईआईएमडब्ल्यूबी को टर्नकी आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा किए गए सुधारों एवं कार्यों का विवरण रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए।
- ✓ उपयोग में न होने पर वे-ब्रिज कक्ष बंद स्थिति में होना चाहिए।
- ✓ रेक का वजन एक समान गति से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और बिना किसी त्वरण/अवतरण के 15 किमी प्रति घंटे की गति से कम होना चाहिए।
- ✓ वे-ब्रिज की किसी भी असामान्य कार्यप्रणाली को मंडलीय वाणिज्य नियंत्रक एवं सी एंड डब्ल्यू नियंत्रक को सूचित किया जाना चाहिए।

क्या ना करें:

- ✗ बाहरी व्यक्ति या अनधिकृत व्यक्ति को वे-ब्रिज कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति न दें।
- ✗ रेक का वजन 15 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से न करें।
- ✗ उपयोग में न होने पर वे-ब्रिज रूम को लॉक करना न भूलें।
- ✗ वे-ब्रिज की असामान्य कार्यप्रणाली को रिकॉर्ड करना न भूलें।
- ✗ जंक्शन बॉक्स को लॉक करना न भूलें।
- ✗ 30 मिनट से अधिक तौलने की आवश्यकता न होने पर ईआईएमडब्ल्यूबी को स्विच ऑफ करना न भूलें।
- ✗ ईआईएमडब्ल्यूबी के किसी भी हिस्से के साथ किसी भी स्थिति में छेड़छाड़ की अनुमति न दें।

*

**सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है,
फिर भी हर एक सत्य ही होगा।**

— स्वामी विवेकानन्द

- ✓ EIMWBs should be established on turnkey basis. Details of Rectifications attended and work performed by firm representative must be taken on record.
- ✓ Weighbridge room must be in locked condition when not in use.
- ✓ Weighment of rake must be recorded at uniform speed and less than 15kmph speed without any acceleration / deceleration.
- ✓ Any abnormality in working of EIMWB should be brought in the notice to Divisional commercial control and C&W control.

Don'ts :

- ✗ Don't allow outsider or unauthorised person to enter into Weighbridge room.
- ✗ Don't perform weighment of rake at speed more than 15 kmph.
- ✗ Don't forget to lock weighbridge room when not in use.
- ✗ Don't forget to record the abnormal working of EIMWB.
- ✗ Don't forget to lock junction box.
- ✗ Don't forget to switch off the EIMWB when weighment not required for more than 30 minutes.
- ✗ Don't allow tempering in any case with any parts of EIMWB.

*

Truth can be stated in a thousand different ways yet each one can be true.

—Swami Vivekanand

केस अध्ययन

यातायात

जे.के. मजूमदार, मुसतानि/यातायात	आई.आई.ए. फरीदी, मुसतानि/यातायात
ए.के. सिंह, मुसतानि/यातायात	प्रवीण कुमार, मुसतानि/यातायात
ज्योति प्रकाश, मुसतानि/यातायात	रंजीत कुमार, मुसतानि/यातायात
ए.के. श्रीवास्तव, मुसतानि/यातायात	प्रभाकर सिंह, मुसतानि/यातायात
एस.के. सिंह, मुसतानि/यातायात	

1. रेलवे बोर्ड के सलाह पर इलेक्ट्रॉनिक इनमोशन वे-ब्रिज पर एक निवारक जाँच किया गया। जिसमें उस कोल रोक का फिर से वजन किया गया, जिसके लोड को प्रथम वे-ब्रिज पर अत्यधिक वजन के कारण तौल समायोजन हो चुका था। उसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

- ❖ 50 वैगन में अत्यधिक वजन पाई गई जिसके लोड को प्रथम वे ब्रीज पर वजन के पश्चात् समायोजित किया गया था।
- ❖ 51.80 टन कोयला का भाड़ा, सामान्य दर से तीन (03) गुना अधिक दर से लिया गया।
- ❖ 223.60 टन कोयला का भाड़ा, सामान्य दर से पाँच (05) गुना अधिक दर से लिया गया।
- ❖ इस प्रकार रु 69,23,344 /- (उनहत्तर लाख, तेइस हजार तीन सौ चौवालिस रुपया मात्र) दण्डात्मक माल भाड़ा वसूला गया।

2. स्रोत सूचना के आधार पर आरक्षण कार्यालय में एक निवारक जाँच किया गया।

- ❖ कार्यरत आरक्षण लिपिक का निजी तथा सरकारी धन की जाँच की गई।
- ❖ कार्यरत आरक्षण लिपिक के पास से सरकारी धन रु 840 तथा निजी धन रु 1266 अधिक पाया गया।
- ❖ पाए गए अधिक राशि को सरकारी खाते में जमा कराया गया तथा रेलवे बोर्ड की पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई।

Case Study

TRAFFIC

J.K.Majumdar, CVI/T

A.K.Singh, CVI/T

Jyoti Prakash, CVI/T

A.K. Srivastava, CVI/T

S.K. Singh, CVI/T

I. I. A. Faridi, CVI/T

Praveen Kumar, CVI/T

Ranjeet Kumar, CVI/T

Prabhakar Singh, CVI/T

1. On the advice of Railway Board a preventive check was conducted at Electronic In Motion Weighbridge. In which coal rake was reweighed which was adjusted earlier by consignee at 1st weighment point and following irregularities found:-

- ❖ Overloading found in 50 wagons which were shown adjusted earlier.
- ❖ Thus, 51.80 Tonnes of coal were charged @ 3 times of the normal freight rate
- ❖ 223.60 Tonnes of coal were charged @ 5 times of the normal freight rate
- ❖ A sum of Rs. 69,23,344/- (Sixty Nine Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred and Forty Four only) was realised as punitive freight charges on this account.

2. On source information a preventive check was conducted in PRS Office.

- ❖ Government and Private/Personal Cash of on duty ECRC was checked.
- ❖ A sum of Rs. 840/- and Rs. 1266/- were found excess in Government Cash and Personal Cash respectively in possession of on duty ECRC.
- ❖ Excess amount was deposited in Government account and for failure to comply the Railway Board Policy, staff taken up under D&A Rule.

3. स्रोत सूचना के आधार पर अंतिम स्टेशन पर ट्रेन में ओ.बी.एच.एस. से संबंधित एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ ओ.बी.एच.एस. कर्मचारी के निजी धन की जाँच की गई।
- ❖ घोषित निजी धन रु 580 पाया गया।
- ❖ उपलब्ध निजी धन रु 16,950 पाया गया।
- ❖ रु. 16,370 अधिक निजी धन पाया गया।
- ❖ ओबीएचएस कर्मचारी के रु. 16,370 अधिक निजी धन को सरकारी खाते में जमा कराया गया। सजा के तौर पर, उसे पूर्व मध्य रेल के किसी भी गाड़ी में काम करने से मना करने का सलाह दिया गया।

4. स्रोत सूचना के आधार पर चलती ट्रेन में एक निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

- ❖ कोच टिकट निरीक्षक के पास से रु 5000 बेहिसाब धन पाया गया।
- ❖ बेहिसाब धन को सरकारी खाते में जमा कराया गया। मौजूदा प्रावधान के उल्लंघन के आरोप में दीर्घ शास्ति पत्र जारी किया गया।

5. स्रोत सूचना के आधार पर अंतिम स्टेशन पर ट्रेन से आये हुए चल टिकट परीक्षक की ड्यूटी ऑफ करते समय एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ ड्यूटी मुक्त होते समय अन्तिम स्टेशन पर कोच के टिकट जाँच कर्मचारी के सरकारी व निजी धन की जाँच की गई, जिसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गई –
- ❖ एक टिकट जाँच कर्मचारी के पास से रु 6730 /— अधिक पाया गया जिसे सरकारी खाते में जमा कराया गया।
- ❖ कुल 06 टिकट जाँच कर्मचारियों में से केवल 03 ही "साइन आफ" करने पहुँचे।
- ❖ सभी संबंधित टिकट जाँच कर्मचारियों जो ड्यूटी ऑफ करने नहीं पहुँचे तथा जिसके पास अधिक रकम पाया गया उन लोगों को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया।

3. On source information a preventive check was conducted at train terminating station of OBHS.

- ❖ Private cash of On Board House Keeping Staff checked.
- ❖ Private cash declared Rs 580/-.
- ❖ Private cash produced Rs 16950/-.
- ❖ Excess cash found Rs 16370/-.
- ❖ A sum of Rs. 16370/- found excess in the private cash of OBHS, deposited in Government Account. He was advised to debar from all trains of ECR as punishment measure.

4. On source information a preventive check was conducted in running train and following irregularities noticed.

- ❖ A sum of Rs.5000/- undeclared found in the possession of ticket checking staff manning the train/coach.
- ❖ Undeclared amount deposited in Government account in accordance with existing policy and SF-5 issued to defaulting staff.

5. On source information a preventive check was conducted at terminating station during "Signing off duty".

- ❖ During "Signing Off of duty" at terminating station personal Cash and Government Cash of train manning ticket checking staff was checked and following irregularities noticed.
- ❖ An amount of Rs.6730/- found excess in the Private cash of a ticket checking staff and the same was deposited in Government account.
- ❖ Out of 06 checking staff only three turned up to "Sign Off".
- ❖ All ticket checking staff who failed to turn up for "Signing off" and having unaccounted money were taken up under D&AR as per existing guidelines.

6. स्रोत सूचना के आधार पर ट्रेन के पट्टे पर दी गई एस.एल.आर में अत्यधिक वजन की एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ पट्टे पर दी गई एस.एल.आर. की धारण क्षमता 4000 किलोग्राम था।
- ❖ वास्तविक वजन 6705.80 किलोग्राम पाया गया।
- ❖ 2705.80 किलोग्राम अधिक वजन पाया गया।
- ❖ इस प्रकार रु 1,17,653 अवप्रभार के रूप में स्थापित एवं अर्जित किया गया। सम्बन्धित रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को सुधारात्मक उपाय हेतु पत्र लिखा गया।

7. स्रोत सूचना के आधार पर कोविड पार्सल स्पेशल के भी.पी. से उतरे सामान की अत्यधिक वजन के संबंध में एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ विभिन्न पी.डब्ल्यू. बिल पर आये भेज गये सोपान की जाँच की गयी।
- ❖ प्रारंभिक स्टेशन पर पी.डब्ल्यू. बिल के अनुसार वजन 15320 किलोग्राम था।
- ❖ गन्तव्य स्टेशन पर वास्तविक वजन 23,907 किलोग्राम पाया गया।
- ❖ इस प्रकार कुल रु. 31,679 अवप्रभार के रूप में स्थापित एवं अर्जित किया गया।
- ❖ सम्बन्धित रेलवे के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक को सुधारात्मक उपाय हेतु पत्र भेजा गया।

8. स्रोत सूचना के आधार पर पार्सल ऑफिस में एक निवारक जाँच की गई जिसमें आवक माल का वजन किया गया।

- ❖ पी.डब्ल्यू. बिल पर प्रारंभिक स्टेशन से बुक किए गए माल का वजन गन्तव्य स्थान पर अधिक पाया गया।
- ❖ प्रारंभिक स्टेशन पर वजन 1600 किलोग्राम पी.डब्ल्यू. बिल पर अंकित था।
- ❖ गंतव्य स्टेशन पर वास्तविक वजन 3336 किलोग्राम पाया गया।
- ❖ इस प्रकार कुल रु. 8,908 अवप्रभार के रूप में स्थापित एवं अर्जित किया गया तथा अग्रतर कार्यवाही हेतु केस को सम्बन्धित रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को अग्रसारित किया गया।

6. On source information a preventive check was conducted to verify the Overloading in leased SLR.

- ❖ Capacity of leased SLR was 4000 Kgs.
- ❖ Actual weight found 6705.80 Kgs.
- ❖ Excess weight of 2705.80 Kgs detected.
- ❖ A sum of Rs. 1,17,653/- was raised and realized as undercharge. A letter sent to SDGM of concerned Railway for taking corrective measures.

7. On source information a preventive check was conducted to verify the Overloading in Covid Parcel VP.

- ❖ Consignment booked under different PW bills were checked.
- ❖ As per PW Bill weight at originating station was 15320 Kgs.
- ❖ Actual weight has found at destination 23907 Kgs.
- ❖ A sum of Rs. 31679/- was raised and realized as undercharge.
- ❖ The details of irregularities intimated to SDGM of concerned Railway for taking corrective measures.

8. On source information preventive check conducted at Parcel Office in which Inward consignment were weighed.

- ❖ Consignment booked from originating station found excess than the booked weight at destination station.
- ❖ Booked weight at originating station was 1600 Kgs.
- ❖ Actual weight found at destination 3336 Kgs.
- ❖ A sum of Rs. 8908/- was raised and realized as undercharge and matter referred to SDGM of concerned Railway for further course of action.

9. स्रोत सूचना के आधार पर ट्रेन के पट्टे पर दी गई भी.पी. के अत्यधिक वजन की एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ पट्टे पर दी गई भी.पी. की धारण क्षमता 23000 किलोग्राम था।
- ❖ वास्तविक वजन 26576 किलोग्राम पाया गया।
- ❖ 3576 किलोग्राम अधिक वजन पाया गया।
- ❖ इस प्रकार रु. 1,60,958 अवप्रभार के रूप में स्थापित एवं अर्जित किया गया। सम्बन्धित रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को सुधारात्मक उपाय हेतु पत्र लिखा गया।

10. स्रोत सूचना के आधार पर ट्रेन के पेन्ट्री कार की एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ पेन्ट्री कार में स्वीकृत संख्या से कम कर्मचारी पाये गये।
- ❖ तीन (03) अग्निशामक यंत्र जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी, उपलब्ध पाया गया।
- ❖ करारनामा की प्रति नहीं पायी गयी।
- ❖ स्वच्छता/सफाई संतोषजनक नहीं पाया गया।
- ❖ डीप फ्रिजर खराब पाया गया।
- ❖ रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं पाया गया।
- ❖ फलाई केचर भी खराब पाया गया।
- ❖ अग्रेतर कार्यवाही हेतु केस को मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को प्रेषित किया गया एवं उसकी एक प्रति कार्रवाई हेतु संबंधित प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक को उपलब्ध कराई गई।

11. स्रोत सूचना के आधार पर खानपान स्टॉल पर एक निवारक जाँच की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

- ❖ समझौता पत्र की प्रति न तो खानपान की दुकान पर उपलब्ध था और ना ही स्टेशन पर वाणिज्य विभाग के कर्मचारी के पास उपलब्ध था।
- ❖ अनुज्ञप्ति शुल्क 12.04.2019 से बकाया था।
- ❖ खानपान की दुकान पर उपलब्ध कर्मचारी के पास परिचय पत्र या वर्दी उपलब्ध नहीं था।
- ❖ गैस स्टोव के साथ घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा था।

9. On source information a preventive check was conducted to verify the Overloading in leased VP.

- ❖ Capacity of leased VP was 23000 Kgs
- ❖ Actual weight found 26576 Kgs.
- ❖ Excess weight of 3576 Kgs detected.
- ❖ A sum of Rs. 1,60,958/- was raised and realized as undercharge. A letter sent to SDGM of concerned Railway for taking corrective measures.

10. On source information a preventive check was conducted in Pantry Car.

- ❖ Less no. of pantry staff available than sanctioned one .
- ❖ 3 nos. of fire extinguisher were expired.
- ❖ Agreement paper was not available.
- ❖ Sanitation was not upto the mark.
- ❖ Deep freezer was out of order
- ❖ Rate list was not displayed
- ❖ Fly catcher was not in working condition
- ❖ Matter referred to CVO/IRCTC for further course of action with a copy to the concerned PCCM.

11. On source information a preventive check was conducted at the Static Stall, Following irregularities were noticed:-

- ❖ Agreement paper was neither available with the catering stall staff nor with the commercial staff of the station.
- ❖ License fee was due from 12/04/2019.
- ❖ Staff of the catering stall failed to produce Identity Card and he was not in uniform.
- ❖ Gas stove was found with domestic cylinder in the stall.

- ❖ कचरे का डिब्बा उपलब्ध नहीं था।
- ❖ पी.ओ.एस. मशीन उपलब्ध नहीं था।
- ❖ नकद भुगतान की रसीद नहीं दी जा रही थी।
- ❖ “बिल नहीं, तो पैसा नहीं” का बोर्ड दुकान पर नहीं लगा था।
- ❖ उपर्युक्त सुधारात्मक उपाय हेतु मामला मंडल को अग्रसारित किया गया।

12. रात्रि कालीन कार्य भत्ता का झूठा दावा।

- ❖ शिकायत पर अन्वेषण के दौरान यह संज्ञान में आया कि स्टेशन प्रबंधक के मिलीभगत से फाटक वाला के द्वारा रात्रि कार्य भत्ता का दावा एवं भुगतान लिया जा रहा है। जबकि उसके द्वारा कोई रात्रि में रेल सेवा नहीं की जा रही थी।
- ❖ मंडल को संबंधित कर्मचारी से झूठे रात्रि भत्ते की वसूली के साथ-साथ कर्मचारी एवं स्टेशन प्रबंधक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सलाह दी गई।
- ❖ इसके अलावा यह भी सलाह दिया गया कि मंडल स्तर पर एक दल का गठन हो जो कि औचक निरीक्षण कर, सभी विभागों में इस तरह की अनियमितताओं का उजागर करें एवं रोक लगावें।

13. चल टिकट जाँच कर्मचारियों के द्वारा समेकित यात्रा भत्ता का गलत दावा।

- ❖ मुख्य टिकट निरीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा समेकित यात्रा भत्ता का गलत दावा का आरोप था जो कि जाँच में सही पाया गया।
- ❖ यह भारतीय रेल स्थापना कोड के भाग-2 पैरा 1605 का उल्लंघन था।
- ❖ दोषी कर्मचारी से समेकित यात्रा भत्ता की वसूली के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु मंडल को सिफारिश भेजी गई है।
- ❖ मंडल को सलाह दी गई है कि ऐसे अन्य झूठे समेकित यात्रा भत्ता हेतु जाँच समिति गठन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

- ❖ Dustbin was not available.
- ❖ POS machine was not available.
- ❖ Cash receipt was not available.
- ❖ “No Bill No Pay” sticker was not found pasted.
- ❖ Matter was referred to Division for taking suitable corrective measures.

12. False Claiming of Night Duty Allowance.

- ❖ During investigation of a complaint case it came to notice that in connivance with Station Manager, false Night Duty Allowance claimed and received by Gateman, though he has never performed night duty in that period.
- ❖ Division is advised to recover the false NDA claimed and reimbursed from the employee along with DAR against Gateman and Station Manager.
- ❖ Moreover, it is also advised to form a Divisional Team and surprise check may be organised across the department to detect such irregularities.

13. False Claiming of CTA (Consolidated Travelling Allowance) by the checking staff.

- ❖ A complaint was received that CIT (Chief Inspector Of Ticket) is claiming CTA without performing duty away from his headquarter for more than 20 days in a month. This case was investigated and found true.
- ❖ It is against the Indian Railway Establishment Code Volume II, Para 1605.
- ❖ Recovery of false CTA along with DAR against defaulting staff was recommended.
- ❖ Division is advised to form a committee to examine such failure at other locations along with recovery of excess payment on account of CTA.

14. रियायत प्रमाण—पत्र का दुरुपयोग।

रियायत प्रमाण—पत्र के गलत इस्तेमाल संबंधी एक शिकायत पर जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए—

- ❖ रियायत प्रमाण—पत्र के आधार पर यात्रा सह—आरक्षण टिकट जारी किया गया।
- ❖ कैंसर रियायत पत्र मेडिकल वेलफेयर विभाग, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा जारी था।
- ❖ जाँच के दौरान पाया गया कि उपर्युक्त कैंसर रियायत प्रमाण—पत्र, सफदरगंज अस्पताल के पैड पर जारी किया हुआ फर्जी था, जैसा कि अस्पताल के निदेशक के द्वारा सूचित किया गया।
- ❖ सफदरगंज अस्पताल से गलत रियायत पत्र की पुष्टि होने के पश्चात् एक निवारक जाँच की गई।
- ❖ गलत रियायती कैंसर प्रमाण—पत्र पर यात्रा कर रहे, यात्री को दबोच कर, रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस को आगे की कार्रवाई हेतु सौंपा गया।
- ❖ इस मामले में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु रेलवे बोर्ड को अग्रसारित किया गया।

15. माल गोदाम में कार्यरत कर्मचारी के रोटेशनल ट्रांसफर की निवारक जाँच आयोजित की गई।

- ❖ जाँच के दौरान यह प्रकाश में आया कि रेलवे बोर्ड के नियमानुसार कर्मचारियों का रोटेशनल ट्रांसफर नहीं हो रहा है।
- ❖ ऐसे भी कर्मचारी पाये गये जिनका पदस्थल दूसरे इकाई में था, परन्तु मौखिक आदेश पर माल गोदाम में कार्यरत थे।
- ❖ सभी मंडलों की रिपोर्ट को समेकित कर कमियों का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया गया।

16. 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के कमीशन भेन्डर के कार्यरत रहने का परिवाद।

- ❖ उक्त परिवाद के जाँच के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कमीशन भेन्डरों का खानपान विभाग में कार्यरत होने की पुष्टि हुई।
- ❖ यह रेलवे बोर्ड के नियम के विरुद्ध था। मंडल को आवश्यक कार्यवाही एवं दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

*

14. Misuse of Concessional Certificate.

During investigation of a complaint case regarding misuse of concessional certificate, it was revealed that:-

- ❖ On the basis of the concession certificate JCRTs were generated from reservation office.
- ❖ Cancer concession certificate issued from “Medical Social Welfare Department” Safdarjang Hospital and VMC, New Delhi.
- ❖ During verification of the certificate Director, VMC Safdarjang Hospital, New Delhi, stated that the same was not issued from their institute and was fake.
- ❖ After getting confirmation from the Safdarjang Hospital regarding the genuineness of concession certificate a preventive check was organised.
- ❖ Passenger found travelling on said concessional cancer certificate was trapped in the train and handed over to RPF/ GRP for further course of action.
- ❖ Matter was referred to Railway Board with suggestion to weed out misuse of Cancer Concession Certificate

15. On source information a preventive check was conducted to ensure Rotation of Staff working in Goods Shed.

- ❖ During investigation it was observed that staffs posted in goods shed are not transferred periodically as per Railway Board guidelines.
- ❖ Staff found working in Goods Shed while originally posted at some other location/station.
- ❖ Summarized report of all Divisions was put up to competent authority for taking remedial measures.

16. Investigation of a complaint case regarding utilization of Commission vendors in catering units who are already attained the age of 60 years.

- ❖ The complaint was investigated and found that commission vender who had attained more than 60 years age were still utilized.
- ❖ It was contrary to Railway Board policy guideline. Division has been adviced to take suitable corrective measures and D&AR action against the defaulting officials.

*

लेखा एवं कार्मिक

1. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी।

 दीपक कुमार दीप, मुसतानि/लेखा

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जॉंच के उपरान्त यह प्रकाश में आया कि कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के मामले में विद्यमान नियमों PFRDA के पत्र सं. PFRDA/2018/40/Exit, dated 10.01.2018 तथा स्थानीय स्तर पर जे.पी.ओ. सं० ECR/HRD/NPS/JPO/2019 Dt. 03.05.2019 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी हैं:-

- कर्मचारी के आवेदन में अनिवार्य कॉलम (जैसे:- PRAN एवं Verified Date का कॉलम) का रिक्त होना।
- कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी हेतु बीमारियों की निर्धारित सूची में वर्णित बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख कर्मचारियों द्वारा संलग्न दस्तावेज में नहीं किया जाना।
- भूमिक्रय हेतु धन निकासी का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निकासी स्वीकृत किया जाना।
- कर्मचारियों के आंशिक धन निकासी की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना।
- Form: 601 PW Receipt No., PRAN एवं Verified Date का कॉलम रिक्त रखना तथा Subscriber, DDO एवं PAO के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करना।
- कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी से संबंधित निकासी पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जाना।
- निकासी आवेदन की हार्डकॉपी एन.एस.डी.एल., नई दिल्ली को नहीं भेजा जाना।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के किसी भी मामले को स्वीकृति से पूर्व पायी गई अनियमितता का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्य सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाए गए हैं।

Case Study

Accounts & Personnel

1. Partial withdrawal from NPS

 **Dipak Kr. Dip.** CVI/A

During the course of vigilance investigation of one of Divisions of ECR, ignorance of extant rules circulated vide PFRDA's letter no. PFRDA/2018/40/Exit, dated: - 10.01.2018 and gross violations of Local JPO no.ECR/HRD/NPS/JPO/2019, Dated: 03.05.2019 has been noticed in case of Partial Withdrawal from NPS by the employees. The details of irregularities noticed during the vigilance check are as under: -

- Mandatory Columns in Application form (e.g., PRAN& Verified date) were not being filled up.
- Non-availability of details of diseases in documents submitted by the employees for withdrawal from NPS on account of sickness.
- Partial Withdrawal from NPS was sanctioned for purpose of land purchase despite of unavailability of provisions for the same.
- Non-availability of entries of partial withdrawal from NPS in Service Record of employees concerned.
- The relevant columns of Form: 601 PW Receipt No., PRAN and verified date were blank and date of subscribers DDO and PAO was not appearing with their signature.
- No entry was being made in withdrawals register against Partial withdrawals from NPS by the employees.
- The Hard copy of application was not being sent to NSDL, New Delhi.

In the light of above it is necessary to ensure the rectification of above said irregularities while according the sanction for withdrawal of amount from NPS in future.

The above facts have been brought into notice of competent authority.

2.. अपने मूल इकाई से बाहर कार्य करने वाले कर्मियों के संबंध में।

 रीतेश राज, मुसतानि / लेखा

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में एक परिवाद के जाँच के दौरान पाया गया कि 239 में से 35 कर्मचारी उच्च अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार लंबे समय से अपने मूल इकाई से बाहर कार्य कर रहे थे, जबकि उनका वेतन बाहर कार्यरत कर्मियों के पर्यवेक्षकों से प्राप्त चेक शीट के आधार पर मूल इकाई में ही प्रभारित किया जा रहा था। यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। इस दौरान कई बार इस इकाई के प्रभारी एवं संबंधित उच्च अधिकारी परिवर्तित होते रहे। लेकिन बाहर कार्यरत कर्मियों के वापसी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस विषय को वर्तमान शाखा अधिकारी के समक्ष उठाने पर उन्होंने विषय के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट की तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया। परिणामस्वरूप अगले ही दिन 30 कर्मियों के वापसी का आदेश जारी किया गया।

इस मामले में यह भी देखा गया कि जो कर्मि अपने मूल इकाई से बाहर कार्यरत थे उनको कई भत्ता जैसे कठिनाई भत्ता, पोशाक भत्ता इत्यादि दिया जा रहा था, जो कठिन कार्य के प्रवृत्ति के अनुसार लाईनकर्मियों को ही देय है। अतः कठिनाई भत्ता एवं पोशाक भत्ता जिसके लिये लाईन में कार्यरत कर्मि योग्य है, की वसूली किया जाना अपेक्षित है। साथ ही लंबे समय से इन कर्मचारियों का अन्य इकाई में कार्यरत होना यह परिलक्षित करता है कि इन कर्मियों की आवश्यकता मूल इकाई को नहीं है। अतः इन कर्मियों के पदों के अभ्यापर्ण पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार रेलवे राजस्व की बड़ी बचत होगी।

✱

“मद मनुष्य की वो स्थिति या दिशा है,
जिसमें वह अपने ‘मूल कर्तव्यों’ से
भटक कर ‘विनाश’ की ओर
चला जाता है।”

— रवांगी दयानन्द सरस्वती

2. Staff working outside of their parent unit.

 **Ritesh Raj, CVI/A**

During investigation of a complain case in one division of ECR, it was found that 35 staff out of 239 were working outside of their own unit on verbal order of higher officers since long. However their salary was being charged from their own unit on the basis of Check Sheets received from the concerned supervisor under whom they were working. This practice was continuing since very long. In the mean while incharge of the parent unit as well as the concerned higher officers changed many times. But no attempt was made for repatriation of these staff during their tenure. The matter was discussed with the current Branch Officer who informed that he is not aware of that and if so necessary action would be taken soon. As a result order for repatriation of 30 staff was issued very next day.

In the instant case, it is also seen that the staff who were working outside of their parent unit were being granted allowances viz. Hardship Allowance & Uniform Allowance since long which are admissible for line staff due to their nature of hard duty. Hence, recovery of Hardship allowances as well as Uniform allowance was advised. Further these staff were working outside the unit for long period, reflects that their post are not necessary in their parent unit. Hence surrender of these posts should be considered. This would result in saving of railway revenue.

*

" It is the Duty of all leading men,
whatever their persuasion or party,
to safeguard the Dignity of India."

– Mahatma Gandhi

अभियंत्रण

1. संविदात्मक कार्यों में समाप्ति सूचना जारी करना।

 जनार्दन प्रसाद, मुसतानि/इंजी.

एक सतर्कता मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एजेंसी ने कार्य पूरा नहीं किया था और इसलिए रेलवे निर्माण संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार की बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि/निष्पादन गारंटी को जब्त कर लिया गया था, लेकिन संविदा की सामान्य शर्त-2020 के पैरा 62 के तहत समाप्ति नोटिस जारी नहीं किया गया था। संविदा की सामान्य शर्त-2020 के अनुसार दिया गया कार्य पूरा होने की तिथि अथवा कार्य विस्तार की तिथि के भीतर पूरा नहीं होने वाले संविदात्मक कार्यों के लिए समाप्ति सूचना जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि संविदात्मक कार्यों के पूरा होने अथवा कार्य विस्तार अवधि के भीतर पूरा नहीं होने पर, सामान्य शर्त संविदा-2020 पैरा-62 के अनुपालन में समाप्ति सूचना अनिवार्य रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. संविदात्मक कार्य में विभिन्न मदों की मात्रा का उचित प्रारंभिक निर्धारण के संबंध में।

 सतीश कुमार, मुसतानि/इंजी.

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि संविदा के ठेका अनुबंध मूल्य में (+) 44 प्रतिशत (उच्च स्तर पर) की वृद्धि की गई थी। इस प्रकार की भिन्नता के कारण, प्राक्कलन को संशोधित किया गया और पूरक अनुबंध बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य की विभिन्न मदों की मात्रा का निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया गया था, जिसके कारण संविदा में इतना बड़ा बदलाव हुआ। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2013/सीई-1/सीटी/0/29/वीएआर दिनांक 05.03.2014 के अनुसार, भिन्नता न्यूनतम होनी चाहिए। भिन्नता सीमित होनी चाहिए ताकि मूल संविदा का दायरा, स्वरूप एवं उद्देश्य को पूरी तरह से न बदला जा सके। भिन्नता न हो अथवा भिन्नता को कम करने के लिए, उचित मदों और उससे संबंधित मात्राओं का अनुमान अनुमोदित आरेख/योजना के अनुसार किया जाना चाहिए।

Case Study

ENGINEERING

1. Issue of Termination Notice in contractual works.

 **Janardan Prasad, CVI/Engg.**

During investigation of a vigilance case, it was found that the agency did not complete the work and so, earnest money deposit & Security deposit/performance guarantee of the contractor was forfeited as per standing rules governing railway works contracts but termination notice was not issued as per General Condition of Contract-2020 clause 62. Termination notice should be issued for contractual works not completed within Date of Completion/extension granted as per General condition of contract-2020.

It is therefore emphasized that for contractual works not completed within Date of Completion/extension granted, termination notice should invariably be issued in compliance to General Condition of Contract-2020 clause-62.

2. Regarding proper Initial assessment for quantity of various items in contractual work.

 **Satish Kumar, CVI/Engg.**

During investigation of a case, it was found that CA value for the work was increased by(+) 44% (on higher side) of contract. Due to such variation, the estimate was revised and supplementary agreement was executed. It is apparent that proper assessment of quantity of various items of work was not done properly, which led to such huge variation in the contract. In terms of Rly. Bd's letter no. 2013/CE-I/CT/0/29/VAR dated 05.03.2014, the variation should be bare minimum. Variation should be limited so as not to completely change the scope, character and purpose of the original contract. In order to avoid variation or minimize variation, the items and their respective quantities should be estimated with due care as per approved drawing/planning.

3. मछली पकड़ने के अधिकार की निविदा की शुरुआत और अंतिम रूप देने में अनियमितताएं।

 संजय प्रसाद सिंह, मुसतानि/इंजी.

एक शिकायत मामले की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं—

प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली कार्य अवधि के साथ, 03 वर्षों के लिए मछली पकड़ने के निविदा की शुरुआत और अंतिम रूप समय पर नहीं किया गया था। निविदा को 03 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम रूप देने का कार्य का प्रारंभ 07 माह बाद अर्थात् नवम्बर माह में किया गया था जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।

संविदा के विशेष नियम एवं शर्त के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क 31 दिसंबर तक अर्थात् कार्य वर्ष के शुरू होने के 03 महीने पहले जमा करना होगा, ऐसा न करने पर लाइसेंस सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन वार्षिक लाइसेंस शुल्क की निर्धारित राशि समय पर जमा नहीं की जा रही है और अभी भी लाइसेंसधारी मछली पकड़ने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं।

एजेंसी/ठेकेदार के द्वारा चूक के मामले में, जमानत राशि बहुत देर से जब्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उस विशेष वर्ष के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी जिस समय संविदा समाप्त किया गया था। जिसके कारण लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ हुआ और वह उस विशेष वर्ष के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों का उपयोग करना जारी रखा जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हुई।

इसलिए, रेलवे के राजस्व को नुकसान से बचाने के लिए निविदाओं को शुरू करने और अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. रेलवे की जमीन और क्वार्टरों को बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जे से खाली कराने की प्रक्रिया में अनियमितताएं।

 संजय प्रसाद सिंह, मुसतानि/इंजी.

एक शिकायत मामले की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं—
रेलवे की कई भूमि और क्वार्टरों पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही थी।

3. Irregularities in initiation & finalization of tender of fishing right.

 **Sanjay Prasad Singh, CVI/Engg.**

During investigation of a complaint case, following irregularities were found:-

The initiation & finalization of tender of fishing right for 03 years, with working period starting from 1st April and ending on 31st March for each year, was not done timely. Finalization of tender was done in the month of November, 07 months after start of the period of 03 years for which tender was invited.

As per special term and condition of contract, the annual license fee has to be deposited by the licensee by 31st December i.e before 03 months of the commencement of the working year, failing which the license security money is to be forfeited. But the required amount of annual license fee are not being deposited timely and still licensee are utilizing the fishing rights.

In case of default of agency/contractor, security deposit had been forfeited very late resulting in no tender being invited for that particular year in which termination of contract is done. This caused undue advantage to licensee, who continued to utilize the fishing rights for that particular year this causing loss of railway revenue.

Therefore, strict adherence to time frame for initiation & finalization of tenders must be ensured to avoid loss of railway revenue.

4. Irregularities in process of evacuating Rly's land and quarters illegally occupied by outsiders.

 **Sanjay Prasad Singh, CVI/Engg.**

During investigation of a complaint case, following irregularities were found:-

Many Railway's land and quarters were illegally occupied by outsider, which was leading to loss of revenue of railway.

इसके आलावा बड़ी संख्या में परित्यक्त क्वार्टर भी थे, जिन्हें तोड़ा नहीं गया था और बाहरी लोग अनधिकृत रूप से इन क्वार्टरों में रह रहे थे।

अतः संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस तरह के अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय में प्रयास करने होंगे और परित्यक्त क्वार्टरों/परिसंपत्तियों को मौजूदा नीति के अनुसार निपटाया जाना चाहिए ताकि रेलवे प्रतिष्ठानों के इस प्रकार के अनधिकृत उपयोग/कब्जे को रोका जा सके।

5. मिट्टी के कार्य के निष्पादन में अनियमितता।

 विद्यानन्द प्रसाद, मुसतानि/इंजी.

निवारक जाँच के दौरान, निम्न बिन्दु पाये गये—

- स्थल पर निष्पादित मिट्टी कार्य की माप लिए बिना एकमुश्त आधार पर एजेंसी को भुगतान के लिए 1.69 लाख घन मीटर मिट्टी कार्य एमबी में दर्ज किया गया था, लेकिन निवारक जाँच के दौरान केवल 34,335 घन मीटर मिट्टी की मात्रा मिली।
- सहायक अभियन्ता ने भी बिना कार्य—स्थल सत्यापन के एमबी में दर्ज एकमुश्त माप की नमूना जाँच की।
- आरडीएसओ की विशिष्टता संख्या—आरडीएसओ/2018/जीई:आईआरएस—0004 (डी) के पैरा—10.3 के अनुसार मिट्टी का परीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि एमबी में दर्ज 1.69 लाख घन मीटर मिट्टी की मात्रा के लिए, केवल मिट्टी का प्रारंभिक परीक्षण किया गया था।
- आरडीएसओ की विशिष्टता संख्या—आरडीएसओ/2018/जीई:आईआरएस—0004 (डी) के पैरा—10.6.1डी (ii) के अनुसार मिट्टी के काम का संचनन नहीं किया गया था, क्योंकि प्रयोगशाला में भारी संचनन परीक्षण द्वारा प्राप्त एमडीडी मूल्य का 98 प्रतिशत के मुकाबले केवल 83.33 प्रतिशत अधिकतम शुष्क घनत्व पाया गया था।
- इंजीनियरिंग कोड के पैरा—1317 के अनुसार मिट्टी कार्य का क्रॉस सेक्शन तैयार नहीं किया गया था, इसे एक्सेलशीट में तैयार किया गया था जिसमें केवल ओजीएल दिखाया गया था।

इस प्रकार, साइट पर माप किए बिना मिट्टी के काम का माप एमबी में दर्ज किया गया था और इंजीनियरिंग कोड और आरडीएसओ के जारी किए गए दिशा—निर्देश का पालन किए बिना मिट्टी के काम को निष्पादित किया गया था।

✱

There were a large number of abandoned quarters also, which were not dismantled & outsiders were unauthorisely occupying these quarters.

Therefore, the concerned officers/officials have to make more focussed efforts in coordination with state authorities to evacuate such encroachments & abandoned quarters/assets should be disposed off as per extant policy so that such type of unauthorized use/ occupation of railway establishments are stopped.

5. Irregularity in execution of earth work.

 **Vidyanand Prasad, CVI/Engg.**

During preventive check, following points were observed-

- Without taking measurement of executed earthwork at site, on the lump sum basis, 1.69 lakh Cum quantity of earthwork was recorded in MB for payment to the agency, but during preventive check, only 34,335 cum quantity of earthwork found.
- AEN also test checked the lump sum measurement recorded in MB without site verification.
- Test of soil was not done as per Para-10.3 of RDSO's Specification No.- RDSO/2018/GE: IRS-0004 (D), as only initial test of soil was done for 1.69 lakh Cum quantity of earthwork recorded in MB.
- Compaction of earth work was not done as per Para-10.6.1d (ii) of RDSO's Specification No.- RDSO/2018/GE: IRS-0004 (D), as only 83.33% maximum attainable dry density was found against 98% of MDD value as obtained by Heavy Compaction Test in the laboratory.
- Cross Section of Earthwork was not prepared as per para-1317 of Engineering code, it was prepared in excel sheet in which only OGL shown.

Thus, the measurement of earthwork was recorded in MB without taking measurement at site and earthwork was executed without following Engineering code and issued guidelines of RDSO.

*

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

1. स्क्रेप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन में अनियमितता।

 **शैलेन्द्र कुमार**, मुसताफि / भंडार

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में कर्षण वितरण विभाग के ओ.एच.ई. डिपो में स्क्रेप सामग्री के रख-रखाव और निपटान से संबंधित निवारक जाँच के दौरान काफी मात्रा में स्क्रेप कॉपर कॉन्ट्रैक्ट वायर और कैटेनरी वायर बिना हिसाब के पाया गया। जब पूछताछ की गयी तो इकाई प्रभारी ने बताया कि उन्हें आये हुए अमी दो महीना हुआ है और ये कॉपर वायर उनके पूर्ववर्ती द्वारा उन्हें इकाई का प्रभार सौंपते समय बिना वजन के, बिना क्रेडिट वाउचर के और बिना लेजर में प्रविष्टि किये हुए दिया गया था।

सतर्कता जाँच में यह पाया गया कि उक्त स्क्रेप कॉपर कॉन्ट्रैक्ट वायर और कैटेनरी वायर, एक वर्ष पूर्व मंडल के स्टेशन यार्ड में रूपांतरण के दौरान रेल लाईन हटाने में निकला था। इस बीच इकाई में तीन प्रभारी का स्थानांतरण हुआ। इसके आगे के घटनाक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्क्रेप कॉपर वायर इकाई प्रभारी 'क' के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था, छः महीने बाद उनका स्थानांतरण दूसरे इकाई में हो गया, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्क्रेप कॉपर वायर का ना तो वजन कराया, ना क्रेडिट वाउचर लिया और ना ही लेजर में प्रविष्टि किया। इकाई प्रभारी 'क' ने यह स्वीकार किया कि स्क्रेप कॉपर वायर उनके कार्यकाल में प्राप्त हुआ था और इकाई का प्रभार नये इकाई प्रभारी 'ख' को सौंपते समय उन्होंने हैन्डींग और टेकिंग ओभर रिपोर्ट में इस संबंध में नहीं लिखा था परन्तु मौखिक रूप से स्क्रेप कॉपर वायर के संबंध में नये इकाई प्रभारी को बताया था।

इकाई प्रभारी 'ख' का कार्यकाल चार महीने का था, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान स्क्रेप कॉपर वायर का ना तो वजन कराया, ना क्रेडिट वाउचर लिया और ना ही लेजर में प्रविष्टि किया तथा इकाई का प्रभार नये इकाई प्रभारी 'ग' को सौंपते समय स्क्रेप कॉपर वायर के संबंध में हैन्डींग और टेकिंग ओभर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने उक्त स्क्रेप कॉपर वायर के संबंध में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया।

सतर्कता जाँच के समय इकाई के प्रभारी 'ग' थे, उन्हें इकाई का प्रभार लिये दो महीने हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके पूर्ववर्ती इकाई प्रभारी 'ख' ने इकाई का प्रभार सौंपते समय उक्त स्कैप कॉपर वायर को बिना वजन के, बिना क्रेडिट वाउचर के और बिना लेजर में प्रविष्टि किये हुए दिया था तथा यह कहा था कि इसे वजन कराकर लेजर में लेना है।

जाँच के दौरान पाया गया कि इकाई प्रभारी द्वारा प्रणाली और एसी ट्रैक्सन मैनुअल का घोर उल्लंघन किया गया था।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विजिलेंस अनुशासन व अपील नियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. रीलीज्ड बैट्री के लेखाकरण में अनियमितता।

 महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भंडार

एक मंडल में नये बैट्री के निर्गमन एवं रीलीज्ड बैट्री के निस्तारण के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न विसंगतियाँ पाई गई :-

मंडल के केन्द्रीय भंडार से विभिन्न प्रकार के नई बैट्रियों को निर्गमित कर अनुभाग को दिया जा रहा था। केन्द्रीय भंडार के द्वारा नई बैट्रियों के निर्गमन के उपरान्त प्राप्त रीलीज्ड बैट्रियों की प्राप्ति नई बैट्रियों के निर्गमन के अनुपात में नहीं किया जा रहा था।

केन्द्रीय भंडार के यूनिट प्रभारी ने बताया कि अनुभाग में 40 एच बैट्री के स्थान पर 80 एच की बैट्री लगायी गयी है जिसके कारण 80 एच की रीलीज्ड बैट्री कम प्राप्त हुई है, लेकिन प्रभारी के द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज/साक्ष्य नहीं दिखा सके।

प्रभारी के कथन की सत्यता हेतु संबंधित अनुभाग में जाँच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि अनुभाग में सल्फ्यूरिक एसिड के अभाव में इन्सर्टेशन का कार्य नहीं हो सका जिसके कारण रीलीज्ड बैट्री को केन्द्रीय भंडार में नहीं लौटाया जा सका।

उपरोक्त विसंगतियों के निवारण हेतु भंडार प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि नई बैट्रियों के निर्गमन के अनुपात में रीलीज्ड सामग्री प्राप्त नहीं होने की स्थिति में दस्तावेज में सकारण अभियुक्ति दी जाए ताकि रीलीज्ड सामग्री का लेखाकरण उचित तरीके से हो सके।

3. सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताएं।

 प्रेम कुमार, मुसतानि, चिकित्सा

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल की दो विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में तैनात दो सीएमपी डॉक्टरों द्वारा निकटतम अस्पताल/डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध नियमित रेलवे चिकित्सा अधिकारी के काउंटर हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना 7 दिन से अधिक समय (50 दिनों तक) के बीमार अवधि के लिए अन्य जौनल रेलवे के कर्मचारियों के पक्ष में सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी किया हुआ पाया गया था, जो मेडिकल प्रैक्टीशनर के साथ अनुबंध में प्रवेश करने के नियम और शर्तों के खंड (6) का उल्लंघन है।

यह भी नोट किया गया कि अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा आईआरएमएम के पैरा 541 (4) के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुसार किसी विशेष मामले में 10 दिन से अधिक समय तक जारी किए गए आरएमसी प्रमाण पत्रों के संबंध में अन्य क्षेत्रों के बीमार सूचीबद्ध कर्मचारियों के संबंधित केस पेपर कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन पर संबंधित रेलवे चिकित्सक को नहीं भेजे गए थे, जो आईआरएमएम 2000 के पैरा 541 (4) का उल्लंघन है। उक्त अनियमितता हेतु प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूर्व मध्य रेल को उचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

4. निजी अस्पताल की सूचीबद्धता एवं मरीजों को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में रेफर करने की प्रक्रिया में अनियमितता।

 प्रेम कुमार, मुसतानि, चिकित्सा

एक मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक निजी अस्पताल 'ए' को एक ही सुविधाओं के लिए अस्पताल टैरिफ की दो अलग-अलग छूट के साथ दो अलग-अलग इकाइयों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जो रेलवे बोर्ड पत्र सं०—2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक : 23/12/2016 के निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही यह भी देखा गया कि दोनों इकाइयों द्वारा अलग-अलग एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक बार रेलवे की किसी इकाई द्वारा अस्पताल को मान्यता दी गई है, तो इसे पूरे भारतीय रेलवे के लिए सूचीबद्ध समझा जाएगा। यह भी नोट किया गया कि पैनल में शामिल अस्पताल में ईलाज किए गए मरीज का फीडबैक भी

उस यूनिट द्वारा नहीं लिया जा रहा था, जिसकी पैनल की सीमा/नवीनीकरण के समय जरूरत होती है। इसके अलावा पैनल में शामिल अस्पताल का परफॉर्मंस रजिस्टर भी इकाइयों द्वारा नहीं रखा जा रहा था। यू०टी०आई०आई०टी०एस०एल० वेबसाइट के माध्यम से मरीज का रेफरल लेटर ऑनलाइन तैयार करने के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देश के बावजूद पूमरे की सभी इकाइयों में मरीज का रेफरल लेटर ऑफलाइन तैयार किया जा रहा था।

उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में, सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पीसीएमडी/ईसीआर को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

5. स्क़ैप सामग्रियों के रखरखाव तथा भंडार सत्यापन में अनियमितता।

 **इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा**

सतर्कता निवारक जाँच के दौरान इंजीनियरिंग विभाग के एक P. Way इकाई में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं —

- (i) P. Way materials का भंडार सत्यापन 21 वर्षों से नहीं किया हुआ पाया गया (अंतिम स्टॉक वेरीफिकेशन **दिसम्बर 1996** में होना पाया गया था) जो भंडार संहिता के पैरा 3201/3202 का उल्लंघन है।
- (ii) यूनिट प्रभारी के द्वारा Quarterly Return दिसम्बर 2015 के पश्चात् तथा Sectional PWI के द्वारा Monthly Return क्रमशः जुलाई 2015 तथा मार्च 2015 के पश्चात् भेजा जाना नहीं पाया गया, जो स्टोर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1417 का उल्लंघन है।
- (iii) भारी मात्रा में P. Way materials (Rail 52 Kg 50000 Meter= 2594.5 MT) का लेखाकरण किया जाना नहीं पाया गया।
- (vi) अगस्त 2015 के पश्चात् इकाई प्रभारी के चार्ज का हस्तान्तरण भी होना नहीं पाया गया।

*

संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक

1. रेलवे क्वार्टर का अनाधिकृत कब्जा।

 रंजीत कुमार, मुसतानि / विद्युत

पूर्व मध्य रेल में क्वार्टर के अनाधिकृत कब्जे के संबंध में एक परिवाद की जाँच की गई। जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:-

- (i) रेलवे के एक कर्मचारी नवनियुक्त प्रशिक्षु के साथ बिना आवंटन के एक रेलवे क्वार्टर में अनाधिकृत रूप से रहते हुए पाये गये जबकि उन्हें एक क्वार्टर पहले से मिला हुआ था।
- (ii) उसी रेलवे कॉलोनी में एक अन्य रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के साथ बिना आवंटन के नए रेलवे क्वार्टर में अनाधिकृत रूप से रह रहा था और उसने भी रेलवे क्वार्टर के आवंटन के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था तथा वह आवास भत्ता भी आहरित कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप रेलवे राजस्व की आर्थिक हानि हुई।
- (iii) जोनल विजिलेंस ने जिम्मेदार रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ दीर्घ शास्ति दंड कार्यवाही के लिए सलाह दी है और मौजूदा नियम के अनुसार आवास भत्ता, बिजली बिल और पानी शुल्क की वसूली करने की सिफारिश की है।

2. एस. एंड टी. कार्यालय और भंडार की मैनिंग में अनियमितताएं।

 राम अनुज वर्मा, मुसतानि / एस एंड टी

निवारक जाँच के दौरान एस. एंड टी कार्यालय और भंडार की मैनिंग के मामले में विसंगतियों को देखा गया है। विसंगतियाँ निम्न प्रकार हैं:-

- संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति पुस्तिका ठीक से भरी हुई नहीं थी।
 - संविदा कर्मचारियों को कोई पहचान पत्र जारी नहीं हुआ था।
 - संविदा कर्मचारियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन के कागजात उपलब्ध नहीं थे।
 - संविदा कर्मचारियों की अनुपस्थिति के लिए ठेकेदार के ऑन एकाउंट बिल से कोई कटौती नहीं की गई थी।
 - ठेकेदार के बिल से दंड स्वरूप रु. 92784/- की वसूली हुई।
- उपरोक्त अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

✱

Case Study

S & T, Electrical and Mechanical

1. Unauthorized Occupation of Railway Quarter.

 **Ranjeet Kumar**, CVI/Elect.

A check was conducted on the basis of a complaint regarding unauthorized occupation of Railway quarter in ECR. During check following irregularity observed:-

- (i) One railway official was found unauthorized occupant of railway quarter in addition to allotted quarter along with one trainee official.
- (ii) In the same Railway colony another Railway official along with his family was found unauthorized occupant of new Railway quarter. He was also drawing HRA which resulted pecuniary losses of Railway revenue.
- (iii) Zonal Vigilance advise for Major Penalty proceedings against responsible staff and also advice to recovery of HRA, electricity bill and water charges as per extant rule

2. Irregularities in Manning of S & T Offices and Store.

 **RAM ANUJ VERMA**, CVI/S&T

During preventive check, anomalies have been observed in the case regarding execution of work of “Manning of Offices and Store.” The anomalies are as follows:

- Attendance register of contractual staff was not maintained properly.
- No identity card was issued to contractual staff.
- Medical certificates and documents of police verification of firm’s staff also not found.
- No penalty imposed during passing of on account bill for absent of contractual staff.
- An amount of Rs.92784/- recovered from contractor’s bill as penalty.

An administrative D & AR action has been taken against railway official responsible for above irregularities.

✱

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-16/2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 09.10.2020

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।**

विषय : खेल-कूद कोटा के तहत नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर निवारक जाँच।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि खेल-कूद में उपलब्धि के प्रमाण-पत्र के आधार पर एक अभ्यर्थी को योग्य पाया गया था। उपलब्धि प्रमाण-पत्र की सत्यता की पुष्टि के लिये संबंधित खेल-कूद अधिकारी के पास पत्र भेजा गया। सत्यता की पुष्टि करते समय खेल-कूद अधिकारी ने नया मद उपलब्धि प्रमाण-पत्र में जोड़ दिया जिसका विभाग द्वारा जाँच नहीं किया गया और औपबंधिक नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी के पक्ष में जारी कर दिया गया। तदनुसार उक्त अभ्यर्थी ने रेलवे में योगदान कर लिया।

दूसरे अभ्यर्थी की शिकायत के आधार पर उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी की जाँच किया गया और यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने खेल-कूद के उपलब्धि प्रमाण-पत्र की सत्यता फॉर्म भरते समय छिपाया था। अंततः कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया।

सर्वसंबंधित को निर्देश देने हेतु अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में विवाद एवं उलझन से बचने के लिये खेल-कूद उपलब्धि प्रमाण पत्र के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई पुष्टि तथा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन जमा करने के समय दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का मिलान सही ढंग से किया जाना चाहिए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 16/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 09.10.2020

**Principal Chief Personnel Officer,
East Central Railway,
Hajipur**

Sub : Preventive check on verification of certificate of the candidates recruited through sports quota.

During a preventive check in one division of ECR by vigilance, it has been observed that one of the candidates was found suitable on the basis of achievement certificate in sports. Letter was sent to sports officer concerned to verify the genuineness of the aforesaid sports achievement certificate. At the time of verification of certificate, concerned sports authority added new para in achievement of certificate which was not examined by the department and provisional appointment letter was issued in favour of aforesaid candidate. Accordingly said candidate joined in Railway.

On the basis of complaint of another candidate, the candidature of the aforesaid candidate was examined and it was found that the candidate had concealed the fact regarding achievement of sports at the time of filling up the application form. Finally he was dismissed from Railway service.

It is requested to instruct all concerned to ensure that sports achievement certificates which are received from the concerned authorities duly verified should be compared properly with the documents/certificates submitted by the candidates at the time of filling up the application form to avoid any disputes/complication in future.

(Ujjawal Anand)

Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-17 / 2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जाँच के उपरान्त यह प्रकाश में आया कि कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के मामले में विद्यमान नियमों PFRDA के पत्र सं PFRDA/2018/40/Exit, dated 10.01.2018 तथा स्थानीय स्तर पर जे.पी.ऑ. सं0 ECR/HRD/NPS/JPO/2019 Dt.03.05.2019 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी हैं:-

1. कर्मचारी के आवेदन में अनिवार्य कॉलम (जैसे:- PRAN एवं Verified Date का कॉलम) का रिक्त होना।
2. भूमि क्रय हेतु धन निकासी का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निकासी स्वीकृत किया जाना।
3. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी हेतु बीमारियों की निर्धारित सूची में वर्णित बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख कर्मचारियों द्वारा संलग्न दस्तावेज में नहीं किया जाना।
4. कर्मचारियों के आंशिक धन निकासी की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना।
5. Form: 601 PW Receipt No., PRAN एवं Verified Date का कॉलम रिक्त रखना तथा Subscriber, DDO एवं PAO के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करना।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 17/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 29.10.2020

**Principal Chief Personnel Officer,
East Central Railway,
Hajipur**

Sub : Partial withdrawal from NPS.

During the course of vigilance investigation of some Divisions of ECR, ignorance of extant rules circulated vide PFRDA's letter no. PFRDA/2018/40/Exit, Dated: - 10.01.2018 and gross violations of Local JPO no. ECR/HRD/NPS/JPO/2019, Dated: 03.05.2019 has been noticed in case of Partial Withdrawal from NPS by the employees. The details of irregularities noticed during the vigilance check are as under:-

01. Mandatory Columns in Application form (e.g. PRAN & Verified date) were not being filled up.
02. Partial Withdrawal from NPS was sanctioned for purpose of land purchase despite of unavailability of provisions for the same.
03. Non-availability of details of diseases in documents submitted by the employees for withdrawal from NPS on account of sickness.
04. Non-availability of entries of partial withdrawal from NPS in Service Record of employees concerned.
05. The relevant columns of Receipt No., PRAN and verified date were blank and date of subscribers DDO and PAO was not appearing with their signature.

6. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी से संबंधित निकासी पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जाना।
7. निकासी आवेदन की हार्डकॉपी एन.एस.डी.एल., नई दिल्ली को नहीं भेजा जाना।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के किसी भी मामले को स्वीकृति से पूर्व पायी गई अनियमितता का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्य आपके संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जा रहे हैं। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

“पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से
हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच
पुल का निर्माण कर सकते हैं।”

— सर्वपल्ली राधा कृष्णन

06. No entry was being made in withdrawals register against Partial withdrawals from NPS by the employees.
07. The Hard copy of application was not being sent to NSDL, New Delhi.

In the light of above it is necessary to ensure the rectification of above said irregularities while according the sanction for withdrawal of amount from NPS in future.

The above facts are here by brought into your notice for information and necessary action please. The action taken in this regard may be communicated to this office accordingly.

(Ujjawal Anand)

Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

*

***"The Highest Education is that
which does not merely give
us informaton but makes our life
in harmony with all existence."***

– Rabindra Nath Tagore

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-18/2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 20.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जाँच के उपरान्त प्रकाश में आया कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन (Re-engagement) के उपरांत उनके द्वारा पदस्थापना स्थल पर बिना योगदान दिये ही इनके पक्ष में लगातार आठ माह (नवम्बर/2018 से जून/2019) तक कुल 242536/-रुपये का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया गया। इस मामले में संलिप्त कर्मचारी द्वारा पुनर्नियोजित कर्मचारी का ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की जाँच किये बिना ही वेतन चार्ज कर दिया गया था जिसके लिये उन्हें दीर्घ दण्ड से अधिरोपित किया गया है। साथ ही पुनर्नियोजित कर्मचारी के पक्ष में भुगतान किये गये कुल राशि 242536/- रुपये की वसूली भी की गई।

सतर्कता जाँच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत रेल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तैयार वेतन विपत्रों के साथ पुनर्नियोजित कर्मचारियों का ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल लेखा कार्यालय को नहीं प्रेषित किया जाता है।

इस संदर्भ में, भविष्य में ऐसी किसी संभावित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वेतन विपत्र को तैयार करने से पूर्व पुनर्नियोजित कर्मचारियों के ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की अभिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना एवं वेतन विपत्र के साथ उसकी एक प्रति लेखा कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा-निर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 18/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 20.10.2020

**Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway,
Hajipur**

Sub: Irregularities in payment of wages to re-engaged staff.

After a vigilance check conducted in a Division of East Central Railway, it came into notice that payment of an amount of Rupees 242536/- was made against honorarium to a re-engaged employee continuously up to eight months (from November 2018 to June 2019) without reporting in actual for engagement by the employee concerned. In this case the salary/honorarium to re-engaged employee was prepared without checking the joining report/muster roll by the concerned bill preparing clerk who was involved in the case for which he had been issued major penalty. An amount of Rupees 242536/- was also recovered from the re-engaged employee.

During vigilance check it also came into the notice that the copy of joining report/muster roll of re-engaged employee was not sent to Accounts office along with salary bill prepared for payment of honorarium to re-engaged employees.

In this regard it is, therefore, requested to ensure the receipt of certified copies of joining report/master roll of re-engaged employees before preparation of salary bill for payment of honorarium to re-engaged employees in future.

It is, therefore, requested to kindly arrange to issue necessary guidelines to make effective the suggestions of above cited system improvement. A copy of the same may also be made available to this office for information and record.

(Ujjawal Anand)

**Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance**

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-19/2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 23.11.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना

विषय : अभिलेखों एवं रिकार्डों के रखरखाव के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि एक मामला विधि कार्यालय में निपटाया गया था और कानूनी राय जारी की गई थी लेकिन यह पाया गया कि कानूनी राय लेने के लिए जमा किए गए सहायक दस्तावेजों के विवरण सहित कई रिकॉर्ड विधि कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जो कि एक अच्छा रिवाज नहीं है। विधि कार्यालयों में कानूनी राय/सलाह के लिए निपटाए गए मामलों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, कानूनी मामले से संबंधित केस फाइल भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर/महेन्द्रघाट कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इसे सी.बी.आई. ने जब्त कर लिया था। सभी फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी तब रखनी चाहिए जब मूल फाइलें सी.बी.आई., सतर्कता आदि जैसे अन्य विभागों को सौंपी जाती हैं और साथ ही मूल फाइलों को वापस पाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, कार्यालय में मानदंडों के अनुसार निपटाई गई समस्त फाइलों के अनुसंधान एवं रखरखाव के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 19/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 23.11.2020

**Principal Chief Engineer,
E.C.Railway, Hajipur.**

**CAO/Con/N&S
E.C.Railway, Mahendrughat, Patna.**

Sub : System improvement regarding maintenance and upkeep of the records.

During investigation of a case, it is observed that a case was dealt in the Law office and Legal opinion was issued but it was found that no record including details of supporting documents submitted for seeking Legal opinion are available in Law office, which is not a good practice. The record of cases dealt for legal opinion/advice in Law offices should be kept.

Further, the case file regarding legal matter was also not available with CAO/Con/N/MHX office as it was seized by CBI. The duplicate copy of all files should be kept when original files are handed over to other department such as CBI, Vigilance etc and also, steps should be taken to get back the original files.

In view of the above, it is requested to issue a system improvement letter regarding maintenance and upkeep of record of all files dealt in the office as per norms.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

**(Saurabh Misra)
Dy.CVO (Engg)
For General Manager(Vig)**

Copy to:- PCPO/ECR/HJP for kind information and n/a please.

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-20/2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 26.11.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : मछली पकड़ने के अधिकार की निविदा प्रक्रिया शुरू करने और निविदा आवंटन और वार्षिक लाइसेंस शुल्क समय पर जमा करने के प्रणाली सुधार के संबंध में।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि तीन वर्षों के लिए मछली पकड़ने के निविदा प्रक्रिया की शुरुआत और निविदा आवंटन, अवधि एक अप्रैल से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी, समय पर नहीं की गई थी। निविदा का आवंटन 03 वर्ष की अवधि के प्रारंभ होने के 07 माह बाद नवम्बर माह में किया गया था जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबन्ध के विशेष निबंधन एवं शर्त के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क 31 दिसम्बर तक अर्थात् कार्य वर्ष प्रारम्भ होने के 03 माह पूर्व जमा कर दिया जायेगा, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। लेकिन यह पाया गया कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आवश्यक राशि जमा नहीं की जा रही है और अभी भी लाइसेंसधारी मछली पकड़ने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, यह पाया गया है कि चूक के मामले में, जमानत राशि को बहुत देर से जब्त किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस विशेष वर्ष के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकती है जिसमें अनुबंध की समाप्ति की जाती है। इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ होता है, जो उस विशेष वर्ष के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों का उपयोग करना जारी रखता है जिससे रेलवे राजस्व का नुकसान होता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उपयुक्त निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए जाए। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 20/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 26.11.2020

**Principal Chief Engineer,
E.C.Railway, Hajipur.**

Sub : System improvement regarding initiation & finalization of tender of fishing right and deposition of annual license fees on time.

During investigation of a case, it was found that initiation & finalization of tender of fishing right for 03 years, with working period starting from 1 April and ending on 31 March for each year, was not done timely. Finalization of tender was done in the month of November, 07 months after start of the period of 03 years for which tender was invited. As per special term and condition of contract, the annual license fee has to be deposited by the licensee by 31st December i.e. before 03 months of the commencement of the working year, failing which the license security money is to be forfeited. But it was found that required amount of annual license fee are not being deposited and still licensee is utilizing the fishing rights. Further, it is found that in case of default, SD is forfeited too late resulting in no tender being invited for that particular year in which termination of contract is done. This leads to undue advantage to licensee, who continues to utilize the fishing rights for that particular year thus causing loss of railway revenues.

In view of the above, it is requested that suitable instruction/guidelines in this regard may kindly be issued to all field units. A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Saurabh Misra)

Dy.CVO (Engg)

For, General Manager(Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-21/2020



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 21.12.2020

सभी विभागाध्यक्ष
पूर्व मध्य रेलवे
हाजीपुर।

विषय : गैर स्टॉक मांगों के प्रापण के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक फील्ड यूनिट द्वारा स्टोर की खरीद से संबंधित मामले की सतर्कता जॉब के दौरान, यह देखा गया कि पोस्ट टेंडर चरण में, इंडेंटिंग ऑफिसर (आईओ) ने उल्लेख किया कि सामग्री आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की होनी चाहिए, हालांकि उनके द्वारा सुझाए गए संभावित स्रोत मांग पर आरडीएसओ अनुमोदित स्रोतों की सूची से नहीं थे। इसके अलावा, जिन फर्मों को खरीद कार्यालय द्वारा निविदाएं जारी की गई थीं, वे भी आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्रोतों की सूची में नहीं थीं।

आईओ द्वारा निविदा के बाद के चरण में ऐसी नई शर्तों का सुझाव देना उचित नहीं माना जाता है। स्टोर्स को डीएस-2 अग्रेषित करने से पहले, मांगकर्ता को निविदा में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को प्रस्तुत करना चाहिए और बाद के चरण में निगमन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख के लिए इस कार्यालय को भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 21/2020



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 21.12.2020

**All PHODs
East Central Railway
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding procurement of non-stock requisitions.

In the course of vigilance investigation of a case pertaining to procurement of stores by a field unit, it was observed that at the post tender stage, Indenting Officer (IO) mentioned that material should be of RDSO approved supply though the likely sources suggested by him on the requisition were not from the list of RDSO approved sources. Moreover, the firms who were issued tenders by the purchase office were also not on the list of RDSO approved sources.

Suggesting such new condition at post tender stage by IO is considered not appropriate. Before forwarding a DS-2 to stores, indenter should furnish all the conditions required to be incorporated in the tender and nothing should be left over for incorporation at subsequent stage.

In order to prevent reoccurrence of the same in future, the above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Sunny Sinha)

**Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)**

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-01/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 04.02.2021

प्रधान वित्त सलाहकार

एवं

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय : नियुक्ति/विभागीय, पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच आदि के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का विडियो रिकार्डिंग कराने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच अथवा सभी प्रकार के नियुक्ति संबंधित आयोजित लिखित परीक्षाओं के समाप्ति के उपरान्त प्राप्त शिकायत के अनुसार सतर्कता विभाग को संज्ञान में आया है कि :-

1. परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा मोबाईल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर लिखते पाया गया है।
2. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक-दूसरे के नजदीक बैठाया जाता है।
3. एक साथ बहुत से परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति दे दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा परीक्षा में कदाचार/अनियमितता संबंधित काफी शिकायत प्राप्त होती रहती है। परन्तु परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विडियो रिकार्डिंग के अभाव में पूर्ण जाँच कर पाना संभव नहीं होता है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित लिखित परीक्षाओं का विडियो रिकार्डिंग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 01/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 04.02.2021

**PFA
& PCPO
ECR/Hajipur**

Sub : Ensuring of Video Recording in written examination of
Appointment/ Departmental Promotional examination/
Suitability Test etc.

The following observation have come into the notice of the
Vigilance Department related to the complaints about departmental
promotional exam/suitability test or various examination of
appointment :-

1. The candidates are found using mobile phone during examination.
2. The candidates were seated very close to each other.
3. Permission has been granted to go outside to too many candidates at a time.

Apart from these, many complaints related with misconduct/
irregularity are also received in Vigilance Department. But, due to
non-availability of video recording, it is not possible to investigate the
case thoroughly.

On the basis of above, it is suggested that video recording
for all the examination related with departmental promotion/suitability
test, appointment etc of East Central Railway may be ensured.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-02/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 04.02.2021

प्रधान वित्त सलाहकार

एवं

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय : स्कूटर/मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत मूलधन एवं ब्याज की राशि की वसूली में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्कूटर/मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत क्रय तथा इसकी वसूली संबंधित दस्तावेजों का निवारक जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. स्कूटर अग्रिम की स्वीकृत के एक माह के अन्दर क्रय संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, जो नहीं किया गया।
2. यदि स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध कर्मचारी क्रय नहीं करता है तो उसे मूलधन एवं ब्याज की एक मुश्त राशि जमा कर देनी चाहिए, जो नहीं किया गया।
3. स्वीकृत अग्रिम की कटौती, स्वीकृति माह के अगले माह के वेतन से प्रारंभ किया जाना चाहिए एवं मूलधन की कटौती पूर्ण होने के उपरांत ब्याज की गणना कर ब्याज की कटौती किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया।
4. इसी प्रकार स्वर्गवास/सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों का बकाया शेष रहने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया जो जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 02/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 04.02.2021

**PFA
&
PCPO
ECR/Hajipur**

Sub : Irregularities found in recoveries of principal and interest amount of Scooter/Motorcycle and Computer advances.

The following irregularities were found during the preventive check of the documents in a division of East Central Railway related with the motorcycle and computer advances and recovery of principal/ interest thereof :-

1. Documents related with advance drawn for purchase of scooter/motorcycle must be deposited/submitted in the office within a month, which was not done in the instance case.
2. If any employee failed to purchase after drawing advance, he has to return whole amount alongwith interest to the office, which was not done in the instant case.
3. The recoveries (in instalment as sanctioned) should be started with the next month in which advances have been drawn and after recoveries of principal amount, the interest may be calculated and recovered, which is not done in the instant case.
4. No Dues Certificate has also been issued in favour of retired/died/transferred employees without full recovery which should have not be done.

5. कुछ कर्मचारियों ने नियत अवधि में स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध स्कूटर/कम्प्यूटर का क्रय नहीं किया था। वैसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।
6. स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध निर्धारित ब्याज की गणना कर कटौती नहीं किया गया है। अतएव इसकी कटौती किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलोक में अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों को निर्देशित किया जाए कि सभी प्रकार के स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध मूलधन एवं ब्याज के बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है,
जो बाहर से अतिसुन्दर और
अन्दर से अत्यंत कष्टकारी है;
जो इसमें फँसा
वो पूरी तरह उलझ ही गया।”
— अटल बिहारी वाजपेयी

5. Some employees did not purchase scooter/motorcycle/ computer within the prescribed period. Action should have been taken against these employees as per rule, which was not done in the instant case.
6. The interest calculated for sanctioned advances has also not been recovered. Therefore recoveries should be done. In view of the above, it is directed to all units/divisions of East Central Railway to please avoid above irregularities in future.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)

Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

***"Corruption is the enemy of development,
and of good governance.
It must be got rid of.
Both the Government and the people at
large must come together to
achieve this National objective."***

– Pratibha Patil

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-03/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 01.04.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : विभागीय परीक्षाओं के लिये जारी किये जाने वाले विरमण पत्र
के एकरूपता की कमी।

सर्तकता विभाग द्वारा पूर्व मध्य रेलवे में हुये एक विभागीय परीक्षा में निवारक जॉच के दौरान देखा गया कि विभागीय परीक्षा हेतु जारी किये गये विरमण पत्रों में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ मामलों में पाया गया कि उम्मीदवार का फोटोग्राफ/हस्ताक्षर को सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में उम्मीदवार का नमूना हस्ताक्षर/फोटोग्राफी नहीं पाया गया।

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को विरमण पत्र में स्पष्ट फोटोग्राफ एवं नमूना हस्ताक्षर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर एक समान रूप में जारी किये जाने हेतु निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

इस संबंध में विरमण पत्र की एक प्रोफार्मा संलग्न की गई है।
संलग्न : यथोक्त

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 03/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 01.04.2021

**Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur**

Sub : Lack of uniform policy in issuing of sparing letter to candidates for appearing in the Departmental Examination.

During a preventive check of a departmental examination of ECR by Vigilance team, it has been observed that there is no uniformity in issuing of sparing letter to candidates for appearing in Departmental examinations. It is found in some of the cases that photographs/signatures were not attested by the competent authority. It is also found in some of the cases that even specimen signatures and photos were missing.

Therefore, it is requested to issue necessary instructions to all the divisions of ECR to follow the uniform policy at the time of issuing sparing letter of candidates to appear in the departmental examination with proper photograph & specimen signature of candidate duly attested by the competent authority.

A format of sparing letter is also enclosed herewith for reference.

DA : As above.

(Ujjawal Anand)

Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय

(कार्यालय का नाम)

सं० (संबंधित मिसिल सं०)

दिनांक..... (जारी करने की तिथि)

सेवा में,

.....

.....

विषय : विभागीय परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिए कर्मचारी का विरमण पत्र।

संदर्भ : पत्र सं०..... दिनांक.....

उपरोक्त विभागीय परीक्षा हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को इस कार्यालय से विरमित किया जाता है।

कर्मचारी का सत्यापित फोटो एवं हस्ताक्षर का विवरण निम्न है :-

नाम :

पद :

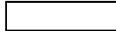
परीक्षा का नाम :

परीक्षा का स्थल :

परीक्षा की तिथि :

रिपोर्ट का समय :

उम्मीदवार का हस्ताक्षर:



हस्ताक्षर सत्यापित

उम्मीदवार का फोटो :



फोटो सत्यापित

(प्राधिकृत अधिकारी)

जारी करनेवाला अधिकारी का नाम,

पदनाम, कार्यालय का मुहर



EAST CENTRAL RAILWAY

Office _____

(Name of the Office)

No. _____ (Received File No.) Date _____ (issuing date)

To

Sub : Sparing of staff to appear in Departmental Examination

Ref. : Letter No. _____ dated _____

Following candidate is hereby spared from this end to appear in the above examination.

Particulars of the candidate alongwith attested photo and signature is produced below :-

Name :-

Designation :-

Name of Exam :-

Venue of Exam :-

Reporting Time :-

Signature of the Candidate :-

Signature attested

Photograph of the candidate :-

Photograph attested

(Signature of issuing Authority)

With Name, Designation &

Office Seal

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-04/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 19.05.2021

प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : मिश्रित कार्य और निविदा दस्तावेज का अनुमोदन ई-निविदा के भाग के रूप में समान प्रकृति के कार्य के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जांच के दौरान यह देखा गया है कि (i) मिश्रित कार्यों के लिए समान प्रकृति को परिभाषित करने के संबंध में अस्पष्टता थी क्योंकि वोल्टेज के विभिन्न ग्रेड (33 केवी/11 केवी) वाले मिश्रित कार्य के लिए समान प्रकृति के काम को अपनाने के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल नहीं किए गए थे और विभिन्न इकाइयां अलग-अलग मानदंड अपना रही हैं और (ii) निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन के बिना ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, भारतीय रेल में ई-निविदा को अपनाने से पहले निविदा प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी से निविदा दस्तावेजों का अनुमोदन लिया जा रहा था।

इसलिए यह सलाह दी गई है कि (i) विभिन्न वोल्टेज स्तर वाले मिश्रित कार्य के समान प्रकृति के कार्य के लिए उपयुक्त स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों और (ii) इस संबंध में प्रणाली में सुधार लाने के लिए ई-निविदा के हिस्से के रूप में निविदा दस्तावेज के अनुमोदन की प्रणाली जारी हों।

कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

(सुजीत कुमार मिश्रा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 04/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 19-05-2021

**PCEE,
E.C. Railway,
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding clear cut guidelines for similar nature of work of Composite work and approval of tender document as part of e- tendering.

During investigation of a works tender case it is observed that (i) There was ambiguity regarding defining of similar nature for composite works as no specific guidelines were incorporated for adopting similar nature of work for composite work involving different grades of Voltage (33KV/11KV) and different units are adopting different criteria& (ii) The e-tender was invited without taking approval of tender documents but in earlier form i.e. tendering process before adopting e-tendering in IR, approval of tender documents were being taken from competent authority.

So suitable guidelines was issued for (i) Similar nature of work of composite work having different voltage level and (ii) System of approval of tender document as part of e- tendering to effect System improvement in this regard.

Action taken in this regard may kindly be intimated to this office at the earliest.

(Sujit Kumar Mishra)
Sr. Dy. General Manager
East Central Railway, Hajipur

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-05/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 06.06.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा में
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र पूछे जाने के संबंध में।

मुख्यालय हाजीपुर में लेखा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित। Appendix-II, IREM-2019 की परीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, सीनियर सेकेंड्री स्कूल, दानापुर/खगौल में दिनांक-08.10.2020 से 10.10.2020 तक आयोजित किया गया जिसमें संज्ञान में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम एवं क्रमांक अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे प्रश्न-पत्र पर उत्तर में निशान लगाकर अदला बदली करने की संभावना है। अतः प्रश्न-पत्र पर ही नाम एवं क्रमांक अंकित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/इकाइयों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र से ली जाने वाली पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु विभागीय परीक्षा में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपना नाम एवं रोल नम्बर प्रश्न-पत्र पर दर्ज करने का प्रावधान किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 05/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 06.06.2021

**PCPO
ECR
Hajipur**

Sub : Regarding objective type question paper in the departmental examination for promotion/Suitability Test.

The promotion/suitability test for the post of Appendix-II, IREM Exam 2019 of Accounts department conducted by ECR/HQ/HJP was held from 08.10.2020 to 10.10.2020 at Railway Sr. Secondary School Khagaul, Danapur. During conduct of preventive check, it has come into notice that there was no provision to mention Name & Roll No. of candidates in objective type question paper. Therefore there is possibility to exchange the question papers by candidates after marking answers. Hence there should be a provision to mention Name & Roll No. of the candidates on question paper.

In view of the above, it is directed to all units/divisions of East Central Railway to make provision to mention name & Roll No. of the candidates in objective type question paper to avoid above irregularities in future.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-06/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 23.06.2021

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

विषय : सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

सतर्कता विभाग द्वारा एक मंडल में किए गए निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं संज्ञान में आयी हैं:-

1. विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज न करवाकर इसके स्थान पर मस्टर रोल में पी-पी दर्ज किया जाता है।
2. एक मामले में पाया गया कि दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका ही नहीं थी जिसके कारण माह के 06 तारीख से 21 तारीख तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति नहीं बनायी गयी। इसे रोकने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक के साथ-साथ मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक की भी थी। लेकिन मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के क्रम में उजागर नहीं किया जा सका।
3. दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी दो उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करते थे, जिसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान उजागर नहीं किया गया।

उपरोक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व मध्य रेल के सभी कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। समय-समय पर संबंधित बीट के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के क्रम में इसकी जाँच की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 06/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 23.06.2021

PCPO

ECR, Hajipur

Sub : All non-gazetted employees to register their presence in the attendance register-regarding.

During a preventive check by vigilance department conducted in a division of ECR, the following irregularities were found:-

1. In some of the units many officials do not sign in the attendance register. Instead P-P is recorded in the Muster roll.
2. In one case, it was found that there was no attendances register for employees of signal department at one of the station of Danapur Division, due to which attendance was not marked by the concerned employees from 6th to 21st day of the month. It was the duty of concerned supervisor of specific department along with concerned SWI to prevent it. However, Beat SWI also could not point it out during his beat inspections.
3. At one station of Danapur Division employees were making attendance on two different attendance registers which could not be pointed out by the concerned SWI.

In view of the above, please ensure that all Non-Gazetted employees of East central Railway make their attendance invariably on attendance register only. Concerned beat SWI should also ensure this and during their beat inspections, this aspect should also be checked.

This issue with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)

Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-07/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 29.06.2021

प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियंता

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय : रेलवे बोर्ड (सतर्कता) द्वारा ट्रेन संख्या 12309 में ता0 15.05.2016 को कानपुर एवं नई दिल्ली के बीच निवारक जाँच।

- संदर्भ :** (1) रेलवे बोर्ड पत्र सं0 2016/भी एस एस/ईसीआर/पीसी/2 दिनांक: 31.03.2021।
(2) आपका पत्र संख्या ECR/HQOMECH (CHG) /74/2020 dt. 15.07.2021
(3) सीनियर सीडीओ/आरएनसीसी का पत्र संख्या ECR/MECH/RNCC/Reply/Vigilance dt. 14.07.2021

रेलवे बोर्ड (सतर्कता) द्वारा ट्रेन संख्या 12309 में दिनांक 15.05.2016 को कानपुर एवं नई दिल्ली के मध्य औचक निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि श्री संजय पासवान पुत्र श्री जयलाल पासवान संविदा कर्मी मेसर्स जय माता दी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा एक बिना टिकट यात्री से रु. 3000/- (तीन हजार मात्र) लेकर बी-2 कोच के 48 बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी जिसे सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप से उस यात्री को लौटाया गया। वर्तमान संविदा में परिचारक द्वारा अनधिकृत यात्री के ट्रेन में ले जाये जाने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि पूर्व मध्य रेल अपने सभी संविदा/करार में ऐसा प्रावधान करें कि अगर फर्म या उसके कर्मचारी यथा OBHS/ACCA इत्यादि किसी गलत कार्य में लिप्त पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही का स्वरूप तय किया जाय ताकि अनधिकृत यात्रियों के ले जाने पर रोक लग सके।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर उचित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया जाता है। जारी दिशा निर्देश की एक प्रति वरिष्ठ उप महाप्रबंधक कार्यालय को भेजी जाय, ताकि रेलवे बोर्ड को सूचित किया जा सके।

(बी0 एन0 लाल)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 07/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 29.06.2021

PCME,

East Central Railway, Hajipur

Sub : PC conducted by Railway Board Vigilance in Train No. 12309 between CNB-NDLS on 15.05.2016

- Ref :** (1) RB letter No. 2016/VSS/ECR/PC/2 dated 31.03.2021
(2) Your office letter No. ECR/HQOMECH (CHG) / 74/2020 dt. 15.07.2021
(3) Sr. CDO/RNCC letter No. ECR/MECH/RNCC/ Reply/Vigilance dt. 14.07.2021

In connection with the preventive check conducted by Rly.Board vigilance in train No. 12309 between Kanpur and New Delhi on 15.05.2016, it was found that Shri Sanjay Paswan S/o Shri Jailal Paswan, contractual staff of M/s Jai Mata Dee retired Employees Association, Patna, allowed a without ticket passenger in coach B-2, Berth-48 and took Rs.3, 000 (Three Thousand only) from the passenger which was recovered from him in vigilance check. The items incorporated in existing contract does not incorporate the punishment/Penal provision, when any attendant found indulging in carrying irregular passengers.

Railway Board has advised that this provision may be advised to be included in all the contract in ECR relating with train escorting duty like OBHS/ACCA etc., so that illegal carrying of unauthorised passengers can be avoided.

The copy of advice may please communicated to the office of SDGM for onward submission to Rly. Board.

(B. N. Lal)

Dy.Chief Vigilance Officer (T)
For GM/Vig

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-08/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 12.08.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर

विषय : समाप्ति पत्र जारी करने के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि संवेदक ने काम पूरा नहीं किया और इसलिए संवेदक की बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि / निष्पादन गारंटी को जब्त कर लिया गया था लेकिन सामान्य शर्त संविदा-2020 के पैरा 62 के अनुसार संविदा समाप्ति पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें सामान्य शर्त संविदा-2020 के उपर्युक्त खंड के संदर्भ में कार्रवाई करने से पहले संवेदक द्वारा संविदात्मक कार्यों को पूरा नहीं करने के मामले में सभी संबंधितों को समाप्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए साथ ही जारी किए गए पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख के लिए उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(सुमन भारती)

उप.मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 08/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 12.08.2021

**Principal Chief Engineer,
E.C. Railway,
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding issue of termination letter.

During investigation of a vigilance case, it was found that the agency did not complete the work and so, EMD & SD/PG of the contractor was forfeited but termination letter was not issued as per GCC clause 62.

In view of the above, it is requested to kindly issue a system Improvement letter instructing all concerned to issue 'termination letter' in case of contractual works not completed by the agency before taking action in terms of the above mentioned clause of GCC. Also, please make available a copy of the letter issued, to this office for record.

(Suman Bharti)
Dy. CVO/Engg
For GM (Vig.)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-09/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 17.08.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर

विषय : रेलवे की जमीन और क्वार्टरों को बाहरी लोगों के अवैध कब्जे से खाली कराने के संबंध में व्यवस्था में सुधार।

एक मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि रेलवे की कई जमीनों और क्वार्टरों पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा है, जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय में अधिक सुदृढ़ प्रयासों की आवश्यकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उपयुक्त निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जाए ताकि रेलवे के राजस्व की हानि से बचा जा सके। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिए भेजी जाय।

(सुमन भारती)

उपमुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 09/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 17.08.2021

**Principal Chief Engineer,
E.C. Railway,
Hajipur.**

Sub : letter.System improvement regarding evacuating Rly's
land and quarters illegally occupied by outsiders .

During investigation of a case, it was found that many Railway's land and quarters were illegally occupied by outsider, which is leading to loss of revenue of railway . It appears that more focussed efforts in coordination with state authorities are needed to evacuate such encroachments

In view of the above, it is requested that suitable instruction/ guidelines in this regard may kindly be issued to all field units so that loss of revenue of Railway can be avoided. A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy. CVO/Engg
For GM(Vig.)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-10/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 19.08.2021

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेलवे,
हाजीपुर।

विषय : रेलवे लाभार्थियों को रेफर करने के लिए निजी अस्पताल की सूची में सुधार और मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया।

विषय : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/एच-1/19/3/पीएनएम दिनांक-05.10.2015, पत्र सं. 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक-23.12.2016 और रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04.2018।

रेलवे बोर्ड के पत्र के संदर्भ में, केंद्रीय अस्पताल, पटना की इकाई और डीआरएच/डीडीयू, डीएनआर, सीई, एसपीजे और डीएचएन जैसे सभी मंडल रेलवे अस्पतालों में निवारक जांचें आयोजित की गई थीं ताकि रेलवे लाभार्थियों को रेफर करने के लिए निजी अस्पतालों की सूची की प्रक्रिया और मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया की जांच की जा सके, जिनमें कुछ अनियमितताएं नोट की गई हैं।

- (1) पूमरे की दो रेलवे इकाइयों अर्थात् डीआरएच/डीएचएन और डीआरडीयू ने एम/एस पोपुलर हेल्थ केंयर लिमिटेड को पैनल में शामिल किया है। वाराणसी क्रमशः सीजीएचएस दरों से विचलन के मामले में अस्पताल टैरिफ पर विभिन्न छूटें यानी 15% और 20% पर एक ही सुविधाओं के लिए अलग-अलग है जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक-23.12.2016 के पैरा 5 के निर्देशों का उल्लंघन है।
- (2) पूमरे के सभी डीआरएच और सीएसएसएच, पटना में निजी पैनल में शामिल अस्पतालों का प्रदर्शन रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था, हालांकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04.2018 में अनिवार्य है।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 10/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 19.08.2021

PCMD

**East Central Railway,
Hajipur**

Sub : System improvement in enlistment of private hospital for referring of Railway beneficiaries and procedure to refer the patients to private hospitals.

Ref : Railway Board's letter No. 2014/H-1/19/3/PNM dated-05.10.2015, L/No. 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition dated-23.12.2016 and RbD's L/No. 2016/H-1/11/58/Policy dated-25.04.2018.

In reference to above Railway board's letter, preventive checks were conducted in the unit of Central Hospital, Patna and all Divisional Railway Hospitals like DRH/DDU, DNR, SEE, SPJ and DHN to check the procedure of enlistment of Private Hospitals for referral of Railway beneficiaries and procedure to refer the patients to private hospitals, some irregularities have been noted.

- (i) Two Railway units i.e. DRH /DHN & DRH/DDU of ECR have empaneled M/s Popular Health Care Limited, Varanasi separately for same facilities on different discounts i.e. 15% & 20% on hospital tariff in case of deviation from CGHS rates respectively which is violation of instructions of para 5 of Railway Bd's L/No. 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition dated-23.12.2016.
- (ii) Performance register of private empanelled hospitals was not being maintained in all DRHs & CSSH, Patna of ECR though mandated in Railway Bd's L/No. 2016/H-1/11/58/Policy dated-25.04.2018.

- (3) मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में या तो निजी पैनल वाले अस्पताल या रेलवे अस्पतालों में ईलाज करने वाले रोगी से फीडबैक भी प्राप्त नहीं किया जा रहा था जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04-2018 के मदेनजर मान्यता के नवीकरण के समय आवश्यक है।
- (4) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक-23-12-2016 के संदर्भ में एमओयू के सामान्य प्रारूप के एनैक्सचर 16 में उल्लिखित रोगी को रेफर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
- (5) रोगी को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में रेफर करने के लिए रेफरल पेपर अभी भी ऑफ लाइन तैयार किया जा रहा था जबकि एमओयू के अनुसार, रेफरल की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद यूटीआईआईटीएसएल के वेबसाइट से इसे ऑनलाइन तैयार किया जाना है।
- (6) पूर्व मध्य रेल का जोनल वेबसाइट में चिकित्सा विभाग के पहले वेब पेज पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं की जा रही है। जिसके कारण रेलवे के लाभार्थियों को अभी भी रेफरल के लिए ऐसे निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। उपरोक्त सूची यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर भी अपडेट की जानी चाहिए।

पूर्व मध्य रेल का जोनल वेबसाइट में चिकित्सा विभाग के पहले वेब पेज पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं की जा रही है। जिसके कारण रेलवे के लाभार्थियों को अभी भी रेफरल के लिए ऐसे निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। उपरोक्त सूची यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर भी अपडेट की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जाए। जारी किए गए निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

- (iii) Feedbacks was also not being obtained from the patient treated at recognized private hospitals either at Private empanelled Hospital or at Railway Hospitals which is necessary at the time of renewal of recognition in view of Railway Bd's L/No. 2016/H-1/11/58/Policy dated-25.04.2018.
- (iv) Procedure of referral of patient as mentioned at Annexure 1.6 of common format of MoU in reference to Railway Bd's L/No. 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition dated-23.12.2016 is not being followed.
- (v) Referral paper for referring the patient to empaneled private hospital was still being prepared offline whereas as per MoU, it has to be prepared online from UTIITSL website after following due procedure of the referral.
- (vi) List of empaneled private hospitals is not being displayed prominently on the first web page of Medical Department in Zonal website of East Central Railway. Due to which Railway beneficiaries are still not well aware about availability of super specialty facilities in such private hospitals for referral. The above list should be updated on UTIITSL website too.

In view of above, it is advised to ensure the implementation of provisions contained in Railway Board Letter No. 2014/H-1/19/3/PNM dated-05.10.2015, L/No. 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition dated-23.12.2016 and L/No. 2016/H-1/11/58/Policy dated-25.04.2018.

The above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-11/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 24.08.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

विषय : पूर्व मध्य रेल में आयोजित होने वाले विभागीय परीक्षा में (सीबीटी) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन की उचित व्यवस्था तथा हैकिंग/साइबर- अपराध की रोकथाम के संबंध में।

निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि दानापुर मंडल में कार्मिक विभाग के द्वारा जूनियर इंजीनियर/सिगनल के पद के लिए दिनांक-07.09.2021 को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) तीन अलग-अलग पालियों में आयोजित करने की योजना थी। लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण वर्णित सीबीटी मोड को लिखित मोड (ओएमआर शीट) में बदल कर एक पाली में आयोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप परीक्षा में विलंब हुआ और परीक्षा की तिथि में अचानक परिवर्तन करना पड़ा। इससे पता चलता है कि उचित तैयारी का अभाव था।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा को आयोजित करने से पहले कम्प्यूटर आधारित परीक्षण पूर्व में ही कर लिया जाना चाहिए ताकि परीक्षा का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके। साथ ही साथ सीबीटी के दौरान हैकिंग/साइबर-अपराध को रोकने के लिए भी उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 11/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 24.08.2021

PCPO

**East Central Railway,
Hajipur**

Sub : Proper Arrangement and Prevention of hacking/cyber-crime during conduct of Computer Based Test in Departmental Examination.

During a preventive check in Danapur Division it is seen that a computer Based Test (CBT) Examination was organised by Personnel Department/DNR for the post of JE/Signal on 12.09.2020. This examination was planned to be conducted in CBT mode. But due to sudden technical fault, before starting the examination, CBT mode was changed to Written Mode (OMR Sheet), which resulted in delay in conducting examination as well as sudden change in mode of examination. Further, this examination was planned to be conducted in three different shifts in CBT mode, but due to technical error it was conducted in one Shift in Written Mode. This shows that there was lack of proper preparation.

It is therefore suggested that before organizing any computer based test, technical checks should be done beforehand to ensure smooth conduct of CBT. Further, proper security arrangements should also be made to prevent any hacking/cyber crime.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)

**Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance**

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-12/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 16.09.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर

विषय: संविदात्मक कार्य में विभिन्न मदों की मात्रा के उचित प्रारंभिक मूल्यांकन के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

एक मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक संविदात्मक कार्य में बाद के बदलावों के कारण कार्य के लिए करारनामा मूल्य 69,51,272/- रुपये से बढ़ाकर रु. 1,00,84,195/- हो गया था, जो संविदा का (+) 44 प्रतिशत (उच्च पक्ष पर) था। इस तरह की भिन्नता के कारण, प्राक्कलन को संशोधित किया गया और पूरक अनुबंध बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य के विभिन्न मदों की मात्रा का सही निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया गया था, जिसके कारण संविदा में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ।

इसे देखते हुए, रेलवे बोर्ड का पत्र सख्यां 2013/सीई-1/सीटी/0/29/वीएआर दिनांक 05.03.2014 के निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कृपया उपरोक्त के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह के बृहद बदलाव से बचा जा सके।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिए भेजी जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 12/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 16.09.2021

**Principal Chief Engineer
East Central Railway,
Hajipur**

Sub : System improvement letter regarding proper Initial assessment for quantity of various items in contractual work.

During investigation of a case, it was found that Contract Agreement value for the work was increased from **Rs.69,51,272/-** to **Rs. 1,00,84,195/-** due to subsequent variations in the contract, Which was (+) 44% (on higher side) of contract. Due to such variation, the estimate was revised and supplementary agreement was executed. It is apparent that proper assessment of quantity of various items of work was not done, which led to such huge variation in the contract.

In view of this, strict adherence to instructions contained in Rly. Bd's letter no. 2013/CE-I/CT/0/29/VAR dated 05.03.2014 should be ensured in future.

It is requested to kindly issue **system improvement letter** regarding above, to avoid such huge variation in future.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy.CVO (Engg)
For GM(Vig.)

कविता

अनेकता में एकता स्वरूप है सतर्कता

✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि / मंडार

कई विभागों से मिलकर, है बना यह एक विभाग
सुचिता औ सत्यनिष्ठा हैं, जिसके धुन और राग
कर्मठ शांत कुशल कर्मी, जिन पर ना कोई दाग
केस को सुलझाते त्वरित, लगाकर तेज दिमाग
हर नजर तभी तो इन्हें, आदर्श छवि सा देखता
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता.....२

हैं सीवीसी के मानकों पर, चल रहे मिला कदम
और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हैं लड़ रहे निरंतर हम
बस एक ही तो लक्ष्य अपना, भ्रष्टाचार हो खत्म
सत्यनिष्ठ और सुचिता से, लिप्त हों सब के कर्म
अब सबका लक्ष्य हो यही, दिखलाएं दूरदर्शिता
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता.....२

मुश्किल हो लक्ष्य भले, हो जटिल बहुत ही केस
हर बिंदु पर बारीकियों से, जाँच हैं करते विशेष
तटस्थ हो सुलझाते उसे, करते भले चुनौती फेस
रखते नहीं कभी किसी से, पूर्वाग्रह या ईर्ष्या-द्वेष
एक लक्ष्य साधकर, हर निशाने को तभी भेदता
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता.....२

जब जहाँ और जैसी भी, होती दिखती हो विकृति
सहभागिता, सुधारात्मक या दंडात्मक होती कृति
कार्यप्रणाली में व्याप्त जहाँ, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति
यूँही सबको दिखती इसकी, भिन्न-भिन्न आकृति
सभी को मगर एक ही तो बस, दृष्टि से यह देखता
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता.....२

सतर्कता ने लागू करवाए, कितने ही प्रणाली सुधार
चेकलिस्ट भी बनवाये जिसका, हो रहा है व्यवहार
क्या करें ना करें से, गलतियाँ कम हो रहे लगातार
हमने किये प्रयास निरंतर, मिटने लगे हैं भ्रष्टाचार
फिर भी खत्म हुआ नहीं पूरा, है देव को खटकता
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता.....२

✱

स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

Disclaimer

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever the original orders on the subjects.



सतर्कता संगठन
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर